वर्ष : 36, अंक : 138, (अप्रैल–जून, 2013)

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

जन जन की भाषा है हिंदी

चंडीगढ़ में दिनांक 5 जून, 2013 को आयोजित उत्तर-1 तथा उत्तर-2 क्षेत्रों का राजभाषा सम्मेलन में मचासीन (बाएँ से). श्री जे. पी. गुप्ता, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़, श्री डी. के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, श्री अरुण कुमार जैन, सचिव राजभाषा विभाग, श्री यशपाल सिंह, मुख्य आकार आयुक्त चंडीगढ़ तथा श्री आलोक निगम, महाप्रबंधक एच.एम.टी. पिंजोर ।

उक्त सम्मेलन में उत्तर-1 तथा उत्तर-2 क्षेत्रों का राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री अरुण कुमार जैन, सचिव राजभाषा विभाग भारत सरकार ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे

—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 36

अंक : 138

(अप्रैल—जून, 2013)

❑ संरक्षक :
अरुण कुमार जैन भा.प्र.से.
सचिव, राजभाषा विभाग

❑ परामर्शदाता :
पूनम जुनेजा
संयुक्त सचिव (रा.भा.)

❑ संपादक :
भोपाल सिंह
निदेशक (नीति)

❑ सहायक संपादक :
शांति कुमार स्याल
परामर्शदाता (पत्रिका)
दूरभाष : 011-23438137

❑ निःशुल्क वितरण के लिए :
पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं । सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

❑ अपना लेख एवं सुझाव भेजें :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एन डी सी सी-II भवन, चौथा तल,
बी विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ईमेल—patrika—ol@.nic.in
पोर्टल—www.rajbhasha.gov.in.

विषय-सूची

		पृष्ठ
❑ संपादकीय		(iii)
❑ चिंतन		
1. राजभाषा के रूप में हिंदी: दिशा और दशा	—डॉ. पी. आर. वासुदेवन 'शेष'	1
2. राजभाषा हिंदी: आरक्षण के कटघरे में	—डॉ. एम. षण्मुखन	4
3. राजभाषा : अब नए हाथों में	—एस. एम. शकील	6
4. हिंदी की विकास-यात्रा	—मनोज कुमार सिंह	8
5. राष्ट्रीय एकता-हिंदी का योगदान	—संदीप नेमा	12
❑ साहित्यिकी		
6. नवजागरण की कविता और दिनकर	—डॉ. एन. पी. कुट्टुन पिल्ले	15
7. रीतिकालीन नगर—वर्णन	— श्वेता पपरेजा	21
❑ पुरानी यादें – नए परिप्रेक्ष्य		
8. युग पवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती	—टी. आर. आर्य	25
❑ विश्व हिंदी दर्शन		
9. विश्व में मंदारिन नहीं: हिंदी है पहले स्थान पर !! (शोध-पत्र)	—डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल	28
❑ पर्यावरण		
10. ग्लोबल वार्मिंग— मानव जीवन के लिए एक चुनौती	—योगेंद्र प्रसाद	34
❑ इंद्रधनुष		
11. वित्तीय समावेशन में भाषा की भूमिका	—डॉ. सुनील कुमार	36
12. मूर्तिकला एवं नृत्यकला का समास	—डॉ. एन. एस. राजगोपालन	39
13. दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के उपाय	—अशोक कुमार चौहान	41
14. खुशी के रसायन आपके मस्तिष्क में	—महेशचंद्र सेठ	46
15. देश की अर्थव्यवस्था में भंडारण की संकल्पना	—महिमानन्द भट्ट	47
16. आवास ऋण के लिए उपयोगी बातें	—अशोक कुमार	50

4035 HA/2013 – 1A

❑ राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 54

'ग' क्षेत्र : केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवाकर आयुक्त गोवा; दूरदर्शन ईटानगर; अकाशवाणी कड़पा; खादी और ग्रामो उद्योग हैदराबाद;

'ख' क्षेत्र : मध्य रेल पुणे; आयकर आयुक्त पटियाला; आयकर निदेशक लुधियाना;

'क' क्षेत्र : महाप्रबंधक गोरखपुर; आयकर आयुक्त पंचकुला; केंद्रीय उत्पादन शुल्क भोपाल; बोकारो स्टील प्लांट;

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 59

'ग' क्षेत्र : असम राइफल शिलांग; गुवाहाटी (उपक्रम; दक्षिण गोवा;

'ख' क्षेत्र : चंडीगढ़; अमृतसर;

(ग) कार्यशालाएं 62

'ग' क्षेत्र : मुख्य आयकर आयुक्त शिलांग; मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन; मुख्य आयकर आयुक्त गुवाहाटी; परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद; प्रधान महालेखाकार गुवाहाटी; आकाशवाणी कोलकाता; आकाशवाणी चेन्नै; आकाशवाणी हैदराबाद; कर्मचारी राज्य बीमा निगम चेन्नै; मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स मंगलूर; केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर; गुवाहाटी रिफाइनरी; राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता; केनरा बैंक, हुबली;

'ख' क्षेत्र : दूरदर्शन नागपुर; आकाशवाणी नागपुर; भारतीय कपास निगम लि. राजकोट; नाईपर एस ए एस नगर;

'क' क्षेत्र : मुख्य आयकर भोपाल; आकाशवाणी नई दिल्ली; आकाशवाणी बीकानेर; आकाशवाणी जगदलपुर; राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जयपुर;

❑ संगोष्ठी/सम्मेलन 74

राजभाषा विभाग द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन व पुरस्कार समारोह; गुवाहाटी रिफाइनरी; केनरा बैंक, हुबली;

❑ प्रतियोगिता/पुरस्कार 78

उत्तर क्षेत्र-1 व उत्तर क्षेत्र-2 का संयुक्त राजभाषा सम्मेलन व पुरस्कार, गुवाहाटी रिफाइनरी; केनरा बैंक मेरठ; नाबाई जयपुर; लेखा कार्यालय गोला बारूद फैक्टरी पुणे; केनरा बैंक कोलकाता; बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली;

❑ प्रशिक्षण 82

गुवाहाटी रिफाइनरी; बैंक ऑफ इंडिया अमृतसर;

❑ कार्यालय-ज्ञापन 83

❑ पाठकों के पत्र 87

4035 HA/13—1B

संपादकीय

केंद्र की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से बढ़ाया जाना है । इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं । विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं । इस रीति से राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु एक नई पुरस्कार योजना लागू की गई है जिसे विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है ।

इस बदलते युग में सरकारी कार्यालयों में काम करने की प्रक्रिया व ढंग बदल रहा है । यदि हम आज से आगामी 10 वर्षों के समय का ध्यान रखते हैं तो ऐसा लगता है कि अधिकांश कार्य कंप्यूटर प्रणाली द्वारा ही होगा । अतः कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न कंप्यूटर सिस्टमों/साफ्टवेयरों में हिंदी में कार्य करने की पूर्ण सुविधा हो । नहीं तो बढ़ते हुए कंप्यूटरीकरण में हिंदी की प्रगति में रुकावट पहुंचेगी ।

'राजभाषा भारती' पत्रिका में नया स्तंभ 'इंद्रधनुष' शुरू किया गया है जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में छपे उच्च कोटी के चयनित कुछ लेखों को प्रकाशित किया जा रहा है ।

प्रस्तुत अंक में 'चिंतन' स्तंभ के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है । 'साहित्यिकी' स्तंभ के अंतर्गत नवजागरण की कविता और दिनकर तथा रीतिकालीन नगर का वर्णन किया गया है । 'पुरानी यादें– नए परिप्रेक्ष्य में' के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डाला गया है । 'विश्व हिंदी दर्शन' के अंतर्गत एक शोध–पत्र द्वारा हिंदी को विश्व पटल पर पहले स्थान पर रखने का प्रयास किया गया है । 'पर्यावरण' के अंतर्गत मानव जीवन के लिए 'ग्लोबल वार्मिंग' एक चुनौती के रूप में लेख प्रस्तुत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति 'राजभाषा भारती' की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ तथा अन्य नियमित स्तंभ भी सदैव की भाँति इस अंक में दिए जा रहे हैं ।

संपादकीय मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिस अवधि का प्रकाशन किया जा रहा है उसी अवधि के दौरान की गई राजभाषा संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिए । तदनुसार प्रस्तुत अंक में 'राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ' स्तंभ के अंतर्गत अप्रैल-जून 2013 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा की सामग्री को स्थान देने का प्रयास किया गया है । भविष्य में भी हमारा यही प्रयास रहेगा । अतः मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि से भी यह आशा है कि राजभाषा संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रकाशनार्थ भेजेंगे, ताकि उसी अवधि के अंक में स्थान दिया जा सके ।

आशा है इस अंक को भी पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे । प्रबुध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी ।

—संपादक

राजभाषा के रूप में हिंदी : दिशा और दशा

–डॉ. पी.आर. वासुदेवन 'शेष'*

किसी भी राष्ट्र के जीवन में 60 वर्ष का समय कम नहीं होता, विशेषतः अपनी भाषा को अपनाने के लिए । लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनी जगह लेने में अब भी चर्चा, विचार-विमर्श के दौर से गुजरना पड़ रहा है । संविधान की पूरी मान्यता है, सरकार वार्षिक लक्ष्य बनाती है । नियमों-अधिनियमों का एक व्यापक प्रावधान है । सरकारी तंत्र की गतिविधियों में हिंदी को समाविष्ट करने के लिए राजभाषा विभाग की व्यवस्था है । इतना सब होते हुए भी राजभाषा के रूप में हिंदी को सर्वग्राही बनाने की प्रक्रिया अभी संक्रमण की स्थिति में है । पिछले कुछ वर्षों में अनुवाद प्रशिक्षण, यांत्रिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को लेकर साधन-संपन्न संस्थाओं में काफी काम हुआ है । महत्वपूर्ण प्रकाशन, लेखन सामग्री, प्रचार और प्रशिक्षण में हिंदी के अस्तित्व की अनुभूति होती है । लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पिछले दशकों का उत्साह, उपलब्धियां आंकड़ों के मकड़जाल में उलझ कर रह गई है ।

जिस प्रकार लोकगीतों और लोकाचार में हिंदी अबाधित स्फूर्तिपूर्णता और गतिशीलता के साथ प्रवाहित है उसकी तुलना में सरकारी कामकाज में वह कदम-कदम पर किसी अयाचित की तरह अपना स्थान ढूंढ रही है । ऐसा क्यों ?

दरअसल पिछले पचास वर्षों में हिंदी के प्रति लगाव आस्था विश्वास और उसे अपनाने पर गौरवान्वित महसूस होने की अनुभूति न जगा पाना इस उपेक्षा का मुख्य कारण है । खुली आंखों से देखें तो कुछ व्यावहारिक कारण भी हैं ।

सबसे बड़ा कारण है इस माध्यम का रोजी-रोटी से सीधें जुड़ा न होना । नौकरी व्यापार और समाज के महत्वपूर्ण मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रवेश दिया जाना अब स्वाभाविक और आवश्यक लगने लगा है । इसे विसंगति के रूप में अनुभव करने की अनुभूति को भी हम पार कर चुके हैं । इसलिए अंग्रेज़ी पूरी शिद्दत के साथ राजसी शान और शौकत और दबदबे के साथ चौकस होकर मुख्य द्वार से निकास द्वार तक पहरेदारी पर बैठी है ।

मजे की बात तो यह है कि इसकी दहशत हिंदी भाषी प्रदेशों में भी उतनी ही है जितनी अन्य प्रांतों में । जो अंग्रेज़ी जानते हैं और जो अंग्रेज़ी नहीं जानते ऐसे दो वर्ग, दो वर्ण, दो जातियां अंग्रेज़ी के कारण इस देश में बन गई हैं । इतना ही नहीं इस विभाजन का यह मानदंड इतना सूक्ष्म हो गया है कि एक आदमी गीत तो हिंदी में गाता है पर कार्यालय में अंग्रेज़ी में सोचता है ।

राष्ट्र की इस प्राथमिक और बुनियादी इकाई को भी तोड़ कर रख दिया गया है । विभाजन केवल भूमि का ही नहीं हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व का भी हो गया है । इसलिए लोकाचार और लोकगीतों के अक्षुण्ण, झरनों, नदियों के प्रवाह सी ऊर्जामयी हिंदी अपने ही देश के कार्यालयों तक आते-आते सूखते पोखर में बदल जाती है । यह एक ऐसी सच्चाई है, जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । लेकिन यह सब क्यों हुआ ? कैसे हुआ ? अब तो अंग्रेज भी नहीं है । फिर जन-सामान्य के दिलों से भारतीय भाषाओं और हिंदी का प्यार, उमंग, उत्साह छीनकर किसने बो दी है हमारे दिमागों में अंग्रेजी की यह अमरबेला । साफ है अंग्रजों के बाद, अंग्रेजी मानसिकता से उपजी सामंती प्रवृति पूंजीवादी सोच और उपनिवेशवादी आकांक्षाओं की हवस में हम अपने ही समाज से कटकर नियंता होने के दंभ में हिंदी और भारतीय भाषाओं

* कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तमिलनाडु, 360, अन्ना सलाई, चेन्नै-600018

4035 HA/13—2A

को अनदेखा कर रहे हैं। दोहरापन जब चरित्र का स्थायी भाव हो जाए तो सबसे पहले मूल्यों की ही बलि चढ़ती है।

आजादी के बाद मूल्यों में गिरावट आई है। संभ्रांत समाज में अंग्रेज़ी के बिना आदमी अधूरा घोषित कर दिया जाता है। विभिन्न औपचारिक अवसरों पर हिंदी का इतिहास जनमानस में उसकी गहरी पैठ, राष्ट्रीय भावना तथा अपनेपन की दुहाई देते हुए उसकी आरती गाई जाती है। लेकिन ढाक के वही पात, अंग्रेजी की चाशनी में डूबोकर जीवन में मिठास घोलते हुए। अंग्रेज़ी की बात ही कुछ ओर है, सामाजिक जीवन के दोहरेपन को कार्यालयीन व्यवहारों में कदम कदम पर देखा जा सकता है।

हमारे देश में भाषा का मसला अन्यान्य कारणों से व्यक्ति और समाज के लिए औपचारिक होता हुआ महत्वहीन हो गया है। व्यक्ति की निजता आत्मगौरव उसके सम्मान और उसकी पहचान से भाषा की सोच का न जुड़ पाना हमारे वर्तमान की सबसे बड़ी भाषिक त्रासदी है। किसी तबके में यह बात जब ध्यान में लाने की कोशिश की जाती है तब अंग्रेजी को पल भर कोसा जाता है और हिंदी की आरती उतारी जाती है।

संविधान में समाज के नव निर्माण उत्थान और बेहतर अनुशासित जीवन हेतु राज्य व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश होते हैं। राजभाषा के लिए भी संविधान में व्यापक व्यवस्था की गई है। बहुभाषी राष्ट्र और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के लिए यह आवश्यक तो है ही कि भाषा के प्रावधान प्रत्यक्ष परोक्ष से किसी भी कारण आहत न करें। लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद राजभाषा को लेकर जो एकमत समर्पण सदाशयता और दृष्टिकोण संविधान निर्माताओं का था, वह भाव कालांतर में धूमिल पड़ता दिखाई देता है। यह बात नहीं कि इसका उपयोग नहीं हुआ परंतु जितनी अपेक्षाएं स्वतंत्रता की थी उस पर हमारी पीढ़ी खरी नहीं उतरी। राजभाषा के रूप में राजभवन के बाहरी आवरण पर हिंदी सजा दी गई लगती है और राजभवन के भीतर अंग्रेजी आज भी उसी अकड़ के साथ विराजमान है।

पारिवारिक शब्दों, संदर्भ साहित्य, भाषा में लोच और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का राग लंबे समय तक नौकरशाही के बीच अलापा जाता रहा। अब ये सुविधाएं कुछ संस्थानों के प्रयास से उपलब्ध की गई है। परिणाम स्वरूप कुछ काम दिखाई देने लगा है। हिंदी पानी के ऊपरी सतह पर तैरती दिखाई देने लगी है। गोता लगाने की स्थिति अब भी नहीं है यह तभी बन सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था में एक ठोस इच्छाशक्ति का प्रॅस्फुटन हो। हमारे पास अच्छा जमीन है, भरपूर पानी है अच्छी किस्म के बीज भी हैं, जरूरत है इसे एक अनुकूल मौसम में पूरे मन से बौने की तभी अंग्रेजी के फौलादी तख्ते को पार कर, हिंदी प्रशासन के सिंहासन पर विराजमान हो सकती है।

इक्कीसवीं सदी में समूची दुनिया उपभोक्तावाद की गिरफ्त में है। हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। कुछ संपन्न और विकसित देश तीसरी दुनिया और विकासशील देशों में नए ढंग से अपने उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का सहारा लेकर उपभोक्ताओं को अपनी चीजें परोस रहे हैं। घोषित रूप में उदारीकरण और वैश्वीकरण के चलते हुए कुछ गरीब देशों में अपनी पहचान को लेकर एक हडकंप सा मचा हुआ है।

एक ओर हिंदी नए नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर ज्यों उसने कब्जा ही कर लिया है। टी.वी. पर विदेशी चैनल भी अब हिंदी सीरियल समाचार दे रहे हैं कुछ डॅब करके और कुछ उपशीर्षकों के साथ हिंदी में आ रहे हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापनों की भरमार है, हिंदी में। व्यावसायिक रूप हिंदी का खूब निखर रहा है, इन माध्यमों ने हिंदी का भरपूर उपयोग किया है। व्यावसायिक सफलता के लिए हिंदी को माध्यम बनाया गया। लेकिन जहां तक राजभाषा हिंदी का सवाल है अब भी कई तकनीकी अवरोध है। जिनमें मुख्य अवरोध है, हिंदी में लिखने की मानसिकता का अभाव। हिंदी मनोरंजन और व्यवसाय में तो आगे है पर कार्यालयों में या इन्हीं विज्ञापनों या मनोरंजन से संबंधित लिखित व्यवहार में हिंदी का उपयोग बहुत कम होता है। इसलिए उसके राजभाषा स्वरूप में उत्साहजनक परिवर्तन नहीं दिखाई देते। यह एक विसंगति ही है। फिल्म, टी.वी. विज्ञापन और पत्रकारिता के साथ ही हिंदी साहित्य भी हिंदी प्रचार में पूरी तरह जुटा हुआ है। हिंदी, वह पुल है जिसके माध्यम से संस्कृति दर्शन कला ओर समसामयिक चिंतन का आदान प्रदान होता है। अनुवाद के साथ साथ मूल रूप से भी हिंदी में लेखन हो रहा है। अब अमृता प्रीतम, महीप सिंह केवल हिंदी के लेखक हैं। डा. राही मासूम रजा और आलम शाह खान, मेहरूनिसा परवेज,

4035 HA/13—2B

नासिरा शर्मा जैसे लेखक उर्दू के नहीं हिंदी के लेखक हैं। इसी तरह भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है हिंदी के लेखक हैं और चर्चित भी रहे हैं, उनमें प्रभाकर माचवे, अंनत गोपाल शेवडे, आलोक भट्टाचार्य अरिगपुडी, जयश्री अय्यंगार, सुमति अय्यर, डॉ. आरसु, पांडुरंगराव, डॉ. जगन्नाथ, वेणुगोपाल, आबिद सुरती ऐसे कुछ नाम है जो अभिव्यक्ति के लिए हिंदी को अधिक करीब पाते हैं।

कुल मिलाकर जो एक अनौपचारिक संसार है वह हिंदी से सरोबार है। चेन्नई का कोई ट्रक ड्राइवर यदि हैदराबाद चेक नाके पर किसी कर्मचारी से हिंदी में बात करता है तो चौंकने जैसी कोई बात नहीं हैं। रेल के सफर में उत्तर-दक्षिण पूरब से पश्चिम चारों ओर हम अपरिचितों से हिंदी के माध्यम से परिचय प्राप्त करें तो बहुत ही सहज है और अब तो पेजॅर भी हिंदी में आ गए है। इंटरनेट में भी हिंदी है। इंग्लैंड के शहरों में बसे एशियाई लोगों की संख्या काफी है। वे चेहरे से पहचाने जा सकते हैं। आपस में वे हिंदी बोलते हैं भले ही वे बांग्लादेश के हों, पाकिस्तानी या श्रीलंकाई या कि भारतीय हों। अर्थात् कार्यालय के बाहर देश विदेश में हिंदी की व्याप्ति देखी जा सकती है। यह एक सुखद स्थिति है।

हमारी सांस्कृतिक एकता की विरासत हमारी भाषाओं को पनपने देने में सहायक सिद्ध होगी। स्वार्थवश ही क्यों न हो संचार माध्यमों में हिंदी को लेकर अचानक रुझान बढ़ा है। उसमें भी हिंदी का एक अनौपचारिक वातावरण बनेगा। व्यवसाय विज्ञापन फिल्म और साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

अब आवश्यकता है भाषा के इस बहुआयामी महत्व को समझकर जनमानस और कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति एक आस्था जगाने की।

अनुवाद द्वारा हमने अधिकांश प्रक्रिया साहित्य तैयार किया है, बचा हुआ भी तैयार कर लेगें। परंतु जब तक इसके उपयोग के प्रति रूचि नहीं जागेगी तब तक अनुवाद की सार्थकता नहीं होगी। इसलिए राजभाषा के प्रति व्यक्ति समाज और पर्यायी रूप से कर्मचारियों के मन में आशा का संचार करना एक मनौवैज्ञानिक चुनौती अमूर्त होने के कारण प्रशासन के रूढ़िगत उपाय बौने पड़ जाते हैं इसलिए राजभाषा को अपनाने के लिए स्थितियों को देखतें हुए नवोन्मेष कदम उठाने होगें।

अधिकांश संस्थानों ने प्रथम चरण का राजभाषा विषयक कार्य पूरा कर लिया है। जिसमें लेखन सामग्री, प्रक्रिया, साहित्य प्रशिक्षण, साहित्य प्रचार साहित्य आदि स्थायी स्वरूप के कागजात हिंदी में तैयार कर लिए गए है। साथ ही पत्राचार भी काफी मात्रा में हिंदी में होता है। चाहे वह मुद्रित रूप में हो, या छोटे-छोटे प्रारूप के रूप में, इस तरह से प्रारंभिक दौर की सफलता संतोषजनक रही है। पर यह मात्रात्मक सफलता ही रही है। अभी गुणावत्तात्मक उपलब्धियों की ओर बढ़ने की काफी संभावनाएं है। राजभाषा को अब किसी भी विषय विशेष की मूलधारा में प्रवेश करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन के शीर्ष से राजभाषा का संदेश पूरे संस्थान में प्रसारित हो। अत: अब ऐसे कार्यक्रमों में हिंदी को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से शीर्ष प्रबंधन की भागीदारी हो।

दुनिया की सभी संपन्न भाषाएं अपने संक्रमण काल को पार कर सक्षम स्थिति में पहुंची है। इस संदर्भ में राजभाषा हिंदी को और कई ठोस उपलब्धियां अभी भी हासिल करनी है।

हिंदी हमें जान से प्यारी।
देवनागरी सबसे न्यारी।।

महके हिंदी की फुलवारी।
सदा रहे इसकी हरियाली।।

राजभाषा हिंदी : आरक्षण के कटघरे में

–डॉ. एम. षण्मुखन*

हर साल हमारे देश में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पाक्षिक (पखवाड़ा) आदि का सुनियोजित आयोजन होता है। यह सिलसिला सालों से जारी है। यह सचमुच राजभाषा हिंदी के प्रति हमारे प्यार, सम्मान व आस्था का द्योतक है। साथ ही यह आयोजन हिंदी की बदहालत का भी ज्वलंत सबूत है। दिवस, सप्ताह या पखवाड़ा मनाने की नौबत इसलिए आती है कि अन्य दिनों उसे वांछित वर्चस्व व सम्मान नहीं मिल रहे हैं। भारत में कहीं भी 'अग्रेजी दिवस' नहीं मनाया जाता है। कतिपय प्रांतो में भाषा दिवस मनाने की प्रथा है। केरल में नवंबर एक तारीख को 'मलयालम दिवस' मनाया जाता है। हमें इस हकीकत का ख्याल होना चाहिए कि आरक्षण उन्हें दिया जाता है जिन्हें समान अवसर नहीं मिल रहा है। इसीलिए विश्व भर में 'महिला दिवस' मनाया जाता है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के समान भारतीय संसद में महिलाओं के लिए भी आरक्षण देने की मांग सालों से हो रही है। पर मांग की पूर्ति नहीं हुई है। कहने का मतलब यही है कि यदि हिंदी को भारत के सभी कार्यालयों में अग्रेंजी के समान ही हैसियत मिलती या सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग होता तो यों 'दिवस' मनाने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए तहे दिल से हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हिंदी जितनी जल्दी हो सके, आरक्षण के इस कटघरे से बाहर आए और हिंदी दिवस या सप्ताह मनाने का अवसर ही न मिले। लेकिन वर्तमान माहौल और हालात के मद्देनज़र इसका कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहा है।

यह हकीकत है कि सन् 1950 की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हिंदी को पंद्रह वर्ष बाद यानी सन् 1965 को पूरी तरह राजभाषा की हैसियत लेनी थी, लेकिन अनेक कारणों से यह संभव नहीं हो सका। डॉ राममनोहर लोहिया ने संसद की बहस के दौरान बार-बार ज़ोर देकर यह जानना चाहा था कि सरकार पंद्रह वर्ष के दौरान हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की दिशा में क्या-क्या ठोस कदम उठाएंगी पर उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। फलत: सन् 1965 तक आते हिंदीतर प्रांतों से यह मांग होने लगी कि हम अभी हिंदी के माध्यम से कार्य क़रने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए आगे भी अग्रेंजी, सरकारी काम काज की सह भाषा के रूप में बनी रहे। दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में हिंदी विरोधी आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा। तब नेहरूजी ने हिंदीतर प्रदेश के लोगों को यह तसल्ली दी कि जब तक वे हिंदी को आत्मीयता के साथ नहीं अपनाते तब तक उन पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। इसके परिणामस्वरूप सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसमें यह प्रावधान है कि सरकारी कार्यालयों से ज़ारी दस्तावेजों में हिंदी और अग्रेंजी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय स्तर पर द्विभाषिका की स्थिति आ गई। सन् 1976 में यह अधिनियम राजभाषा नियम बन गया। यह कानून दरअसल हिंदी के लिए एक काला कानून है क्योंकि इसकी वजह हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनने के सौभाग्य से वंचित या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और एक यथार्थ यह है कि जब तक समाज में अग्रेंजी का वर्चस्व और दबदबा बरकरार रहेंगे तब तक यह मुमकिन भी नहीं होगा। हिंदीतर प्रांतों में विशेषकर दक्षिण में यह वाकई संभव नहीं है क्योंकि वे अग्रेंजी का अधिशत्व तो सहेंगे पर हिंदी का बिलकुल नहीं।

इसी सत्य से हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे समाज में अग्रेंजी भाषा की धाक गहराई तक जमी हुई है। इसके अनेक कारण हैं। एक प्रबल कारण यह है कि अग्रेंजी भाषा का रोजगार से गहरा सरोकार है। उच्चस्तरीय नौकरी हासिल करनी है तो अग्रेंजी भाषा पर मज़बूत पकड़ की जरूरत है। यों अग्रेंजी अपने आप नौकरशाहों और उच्चवर्ग की भाषा बन जाती है। ये दोनों यह चाहते हैं कि

* 27/432 लीला नीलायम, नजदीक विद्या नगर, कोच्ची विश्वविद्यालय पो., कोच्ची-682022

अपनी श्रेष्ठता और वरीयता बरकरार रहें । अग्रेंजी इसका एक कारगर ज़रिया है । इतना ही नहीं, आम जनता को उच्चवर्ग एवं सत्ता से दूर रखने के लिए भी अग्रेंजी का वर्चस्व अनिवार्य है । यानी हमारे वर्ग विभाजित समाज का अनिवार्य हिस्सा है अग्रेंजी का अधीसत्व । इसे तत्काल समाप्त करना आसान नहीं है । यद्यपि बाहरी तौर पर सत्तासीन हर सरकार हिंदी के अनुकूल होती है, लेकिन सत्ता के तिलस्म को बनाए रखने के लिए अग्रेंजी का प्रभुत्व चाहती भी है ।

जैसे उपर्युक्त सूचित किया गया, उच्चस्तरीय नौकरी हासिल करने व रोजगारोन्मुख कोर्स में दाखिल होने के लिए अग्रेंजी ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए अग्रेंजी–माध्यम स्कूलों की बढ़ोतरी हो रही है । इसके साथ प्रत्येक प्रांतीय सरकार की तरफ से मातृभाषा–माध्यम स्कूल भी चलाई जा रही है । मतलब सरकार गरीब जनता के लिए अलग शिक्षा पद्धति का ही आयोजन कर रही है । यों वर्गों में बंटे समाज के अंतर्विरोध भी मज़बूत बनने जा रहे हैं । इस संदर्भ में गांधीजी के ज़माने के किस्से का जिक्र करना व़ाजिब लगता है । विष्णुशास्त्री चिपलूणकर अग्रेंजी भाषा के परम भक्त थे । वह उसे शेरनी का दूध कहा करते थे । जब गाँधीजी ने यह बात सुनी तो बोले कि यदि अग्रेंजी शेरनी का दूध है तो उस शेर के बच्चे जिएं, हम तो आदमी हैं, हमें अपनी माँ का दूध चाहिए । उन्होंने यह भी कहा था कि करोड़ों लोगों को अग्रेंजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में फंसाने के बराबर है । मैंकाले ने अग्रेंजी शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह वाकई गुलामी की बुनियाद थी । विडंबना की बात है कि अब गांधीजी का ज़माना नहीं रहा । वैश्वीकरण की वजह से पूरी दुनिया एक बाज़ार में तब्दील हो रही है । बहु राष्ट्रीय कंपनियाँ हमारे देश में पूंजी निवेश करने के साथ सांस्कृतिक उत्पादों की बिक्री के ज़रिए उपभोग पर अधिष्ठित एक संस्कृति का भी परोक्ष तौर पर प्रचार कर रही हैं जिसका माध्यम अग्रेंजी भाषा है । हमारे युवा जन इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी हासिल करने के लिए बेताब हैं या एक तरह मज़बूर हैं जिसके लिए अग्रेंजी का ज्ञान अनिवार्य है । इसकी वजह अग्रेंजी विश्व–भाषा की हैसियत पा चुकी है । यानी उसकी पकड़ और मजबूत हो गई है ।

पर हमें इस असलियत का मुकाबला करना ही होगा । हमें यह खयाल होना चाहिए कि भाषा सिर्फ विचारों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, वह केवल कार्यालय में काम करने या प्रशासन चलाने का जरिया ही नहीं है बल्कि हमारी जातीय पहचान की प्रतीक है, हमारी अस्तिमा की निदर्शन है । हमारी विरासत उसी में सुरक्षित है और भाषा के ज़रिए ही उसकी पहचान संभव है भाषा, उससे जुड़े समाज और संस्कृति को भी उजागर करती है । इसलिए उसे संस्कृति की व़ाहिका बताया जाता है । मसलन हमारे यहाँ आपसी रिश्ते के बारीकी अंतर को दिखाने के लिए मामा, काका, बहिन, बहिनोई, भाभी, देवर, भांझा आदि ढ़ेर सारे शब्द मयस्सर हैं; लेकिन अग्रेंजी में अंकिल और कजिन शब्द ही प्रचलित हैं । दरअसल मम्मी, डैडी शब्द सिर्फ माँ–बाप का पर्याय नहीं है बल्कि एक संस्कृति व अधीशत्व संकल्पना के मूर्त वाड.मय हैं । सचमुच इस भाषा और संस्कृति का प्रभाव इतना गहरा एवं व्यापक है कि अग्रेज़ियत के माहौल को बनाए रखने के लिए मातृभाषा का गला घोंटा जाता है या उसे ताला लगाकर तहखाने में बंद रखने की कोशिश की जाती है । मतलब उसके प्रयोग के दायरे को सीमित कर दिया जाता है । अग्रेंजी के प्रति इस आस्था को मलयालम के मशहूर कवि कुञ्जुण्णी मास्टर ने इस तरह मज़ाक उड़ाया है –

> ''बीबी की डेलिवरी मैंने विलायत में होने दी
> ताकि मेरा बेटा, पैदाइश से अग्रेंजी बोले ।''

राजभाषा की वर्तमान हैसियत का मूल्याकंन इस परिप्रेक्ष्य में हमें करना चाहिए और जहाँ तक हो सके मौजूदा हालात से ऊपर उठाने की कोशिश भी होनी चाहिए । इस अवसर पर और एक उल्लेखनीय बात यह है कि हिंदी प्रदेश की सरकारें हिंदी को राजभाषा होने की हैसियत का अनुचित लाभ उठाना चाहती हैं । जो हिंदी के लिए कतई श्रेयस्कर नहीं है । मसलन ''त्रिभाषा पाठ्य पद्धति'' समूचे भारत के लिए निर्धारित की गई थी, पर हिंदी प्रदेश में सिर्फ दो ही भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं । पर हिंदीतर प्रदेश, खास कर दक्षिण में लोग तीन भाषाएँ पढ़ने के लिए मज़बूर हैं । यदि हिंदी प्रदेश में भी एक और भाषा, विशेषकर दक्षिण भारत की कोई भाषा अवश्य सिखाई जाए तो सभी प्रांतों के बीच भाषिक स्तर पर सद्भाव उत्पन्न होगा और हिंदी उत्तर–दक्षिण की खाई को पाटकर एक हद तक भावात्मक संबंधों एवं एकता साबित करने के लिए सहायक सिद्ध होगी । साथ अग्रेंजों का यह दलील भी झूंठ साबित होगा भारत की एकता के लिए अग्रेंजी की सख्त जरूरत है ।

4035 HA/13—3A

राजभाषा : अब नए हाथों में

– एस. एम. शकील*

राजभाषा के रूप में हिंदी की विकास यात्रा निरंतर जारी है । वर्ष दो वर्ष राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास तेज करने की बात भी बदस्तूर जारी है । आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि पुराने युग की समाप्ति हो रही है और देश तकनीकी क्रांति देख रहा है । यह तकनीकी क्रांति आज से 30 वर्ष पूर्व राजभाषा से जुड़े व्यक्तियों के लिए एकदम नई है और एक चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है । कुछ राजभाषा से जुड़े अधिकारी अपने आप को नए वातावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास कर रहे हैं पर फिर भी अधिकतर तकनीकी दृष्टि से सक्षम नहीं है और इससे भी बड़ी बात कि आगामी 2 से 3 वर्षों में राजभाषा की डोर नए युवाओं के हाथ में पूरी तरह से आने वाली है यह भी दृष्टव्य है कि आज राजभाषा को लेकर फिर वहीं चुनौतियां सामने हैं जो 30 वर्ष पूर्व थी । तकनीकी क्रांति ने राजभाषा के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और अब नए राजभाषा अधिकारियों को फिर कहीं न कहीं नई शुरूआत करने की आवश्यकता है । वर्तमान में सबसे बड़ा प्रश्न जो उभरकर सामने आ रहा है वह यह है कि क्या नए युवा राजभाषा को लेकर गंभीर हैं या केवल उन्होंने राजभाषा को रोजगार या आगे बढ़ने का माध्यम समझकर अपनाया है । यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नए राजभाषा अधिकारियों की मन: स्थिति ही राजभाषा का अगला पड़ाव तय करने वाली है । मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि नए राजभाषा अधिकारी भी केवल अड़चनों और सरकारी उदासीनता का शिकार हुए तो शीघ्र ही राजभाषा के रूप में हिंदी अपने पतन को देख सकती है । मैं हमेशा से मानता हूं कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में आगे बढ़ाने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती और उसके लिए राजभाषा अधिकारियों की आवश्यकता भी नहीं है परन्तु यदि हम राजभाषा के रूप में विचार करें तो सबसे कठिन चुनौतियां हमारे सामने है । सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर हिंदी को राजभाषा के रूप में आगे कैसे बढ़ाया जाए? भारत में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को छोड़कर कोई भी सीधे राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए काम नहीं कर रहा है अर्थात् संस्थाएं अपने व्यवसाय के अनुसार ही अपनी नीतियां तय करती हैं और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वहां राजभाषा की उपयोगिता को साबित करना । इसलिए हम चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हो हमें वहां के कारोबार और कार्यकलापों के अनुरूप राजभाषा नीति का समन्वय बिठाने का प्रयास करना होगा । हिंदी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों को हमें संस्था विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हुए उसमें राजभाषा के महत्व को उजागर करना होगा । हमें हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बराबर महत्व देना होगा । इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं उसे संस्था विशेष परिस्थितियों के अनुसार करना कठिन होता है परन्तु असंभव नहीं है इसके साथ ही राजभाषा अधिकारियों के लिए सबसे प्रमुख चुनौती है लोगों के हृदयों में हिंदी के प्रति उदासीनता और नकारात्मक सोच को हटाना । यह सत्य है, जब आपके सामने हर समय अंग्रेजी के पत्र और सूचनाएं आती हैं तो यह उदासीनता पुख्ता होती जाती है परंतु यह कोई बड़ी समस्या नहीं यदि द्विभाषीकरण को सही रूप में अपनाया जाए तो इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है । हमारे वातावरण में अंग्रेजी नजर आती है तो सभी को लगता है अंग्रेजी बढ़ रही है, तो इस वातावरण को ही बदल डालिए । हमें कार्यालयी वातावरण में हिंदी की हवाएं बहानी होगी तो लोग स्वयं ही इसकी खुश्बुओं में सराबोर हो जाएंगे । दूसरे हमेशा यही कहिए हिंदी बढ़ रही है हम जितना कहेगें यह बात हमारे मस्तिष्क पर उतनी ही गहरी होती जाएगी । हमेशा अपने संस्था के लोगों से मिलने पर कहें हिंदी आगे बढ़ रही है चाहे आपके मन में नकारात्मकता आ रही हो पर यह दूसरों के सामने न आने दें । जब हम

* संपादक, गृह पत्रिका, तारांगण, बैंक आफ इंडिया, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लाक, नौवी मंजिल, बांद्रा कुर्ला कम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

4035 HA/13—3B

लगातार लोगों के सामने यह कहेंगे और राजभाषा के लिए अपने काम भी जारी रखेंगे तो निश्चय ही राजभाषा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अधिकतर राजभाषा से जुड़े लोगों की अपनी सोच में भी हिंदी की प्रति उदासीनता दिखती है और ऐसी स्थिति में दूसरे से कोई भी अपेक्षा करना आधारहीन है। तीसरे, वर्तमान में हर संस्था में राजभाषा के नए बीज बोए जा रहे हैं अर्थात् नए राजभाषा अधिकारियों की भर्ती की जा रही है। इनमें से कुछ अधिकारी बिल्कुल नए और कुछ थोड़ा बहुत अनुभवी हैं। संस्था के दूसरी अनुभवी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह इन नए बीजों को अच्छी तरह से सींचे अर्थात उन्हें राजभाषा के प्रत्येक पक्ष की जानकारी दें क्योंकि यदि उन्हें सही या गलत जानकारी मिलती है तो वैसी ही जानकारी आगे बांटेंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि नए लोगों को राजभाषा नीति की स्टीक जानकारी दी जाए और प्रयास किए जाने चाहिए कि अपनी संस्था के अनुभवी या बाहरी संस्थाओं के सफल राजभाषा से जुड़े लोगों को बुलाया जाए। इन बीजों को मिट्टी के अनुरूप तैयार किया जाए और समय-समय पर सिंचित किया जाए तो आगे चलकर एक हरेभरे पेड़ के रूप में उभरेंगे। ■

लेखक कृपया ध्यान दें

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं।

हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लेख ए-4 आकार के कागज पर दो प्रतियों में टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः 3000 शब्दों से अधिक न हों।

लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है।

लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा।

कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें :—

—संपादक
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
एन डी सी सी-II भवन, चौथा तल, बी विंग,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं. 011-23438137,

हिंदी की विकास-यात्रा

–मनोज कुमार सिंह *

1.0 प्रस्तावना :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज में रहकर वह अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और दूसरों की बातें स्वयं समझना चाहता है । मानव अपनी बातें दूसरों तक सम्प्रेषित करने के लिए कभी इशारों का सहारा लेता है तो कभी अस्पष्ट ध्वनियों का सहारा लेता है । किन्तु, मनुष्य सम्प्रेषण के लिए सबसे अधिक जिस माध्यम का सहारा लेता है, वह है भाषा । भाषा ध्वनि-प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर अदान-प्रदान करते हैं ।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य के लिए अपने भावों एवं विचारों को स्थायित्व देना, दूर-दूर स्थित लोगों से सम्पर्क बनाए रखना तथा संदेशों के आदान-प्रदान के लिए मौखिक भाषा से काम चल पाना असंभव हो गया । अतएव मौखिक ध्वनि संकेतों को लिखित रूप की आवश्यकता महसूस की गई । यह आवश्यकता ही लिपि के विकास का कारण बनी । मौखिक भाषा को स्थाई रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ । संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं । देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, फारसी और रूसी विश्व की प्रमुख लिपियां हैं । हिंदी, मराठी, नेपाली औरं संस्कृत भाषायें देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं । यों तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, किन्तु कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है । विश्व की भाषाओं और लिपियों का विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	भाषा	लिपि
(1)	(2)	(3)
1.	हिंदी	देवनागरी
2.	संस्कृत	देवनागरी
3.	अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, स्पेनिश	रोमन
4.	पंजाबी	गुरमुखी
5.	उर्दू, अरबी, फारसी	फारसी
6.	रूसी, बुल्गेरीयन	रूसी

2.0 प्राचीन भारतीय भाषायें :

समय के साथ-साथ एक भाषा बोलने वाली कई जातियां विश्व के अलग-अलग भागों में जाकर बस गई जिससे उनकी भाषाओं में परिवर्तन आता चला गया और नई भाषायें बनती चली गई । विश्व की लगभग 2,800 भाषाओं को निम्नलिखित 12 मुख्य भाषा परिवारों–भारत-यूरोपीय, द्रविड़, आग्नेय, चीनी, यूराल-अल्टाइक, बांटू, सेमेटिक, हेमेटिक, अमेरिकी (रेड इण्डियन), काकेशस, सूडानी और बुशमैन में वर्गीकृत किया जा सकता । भारत में संसार की निम्नलिखित चार भाषा परिवारों की अनेक भाषायें बोली जाती हैं :

- भारत-यूरोपीय
- द्रविड़
- तिब्बत-बर्मी
- आग्नेय

भारत-यूरोपीय भाषा परिवार विश्व का एक अत्यंत विशाल भाषा परिवार है । इसकी भारतीय शाखा को भारती आर्य भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है । हिंदी तथा उत्तर भारत की अधिकांश भाषायें आर्य परिवार की भाषायें मानी जाती हैं । इनका मूल स्रोत संस्कृत है । ग्रीक, ईरानी, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी आदि अनेक भाषायें भी उसी मूल भाषा से विकसित हुई हैं जिससे संस्कृत का विकास हुआ । भारत में एक दूसरा भाषा परिवार द्रविड़ कुल का है ; जिसकी मुख्य भाषायें है–तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ । इन चार

* प्रबंधक (आई.ई.), एन.सी.एल., सिंगरौली (म.प्र.)

भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। वैदकि संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में इसे निम्न चार चरणों से होकर गुजरना पड़ा :

- वैदिक संस्कृत (1500 ई. पू. से 800 ई.पू.) : वैदिक संस्कृत में चार वेदों की रचना हुई।
- लैकिक संस्कृत (800 ई. पू. से 500 ई.पू.) : लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य की रचना हुई।
- पालि-प्राकृत (500 ई. पू. से 500 ई.तक) : पालि-प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य को रचना हुई।
- अपभ्रंश (500 ई. से 1000 ई. तक) : अपभ्रश प्राकृत का परिवर्तित रूप है।

इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है।

3.0 देवनागरी लिपि का विकास :

देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि में संसार की लगभग सभी भाषायें लिखी जा सकती है। यह लिपि बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि में बांई से दांई ओर को लिखी जाती है। भारत के अधिकांश भाषाओं की लिपियां बांई से दांई ओर लिखी जाती है। केवल फारसी लिपि, जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है, दांई से बांई ओर को लिखी जाती है। विद्वानों की मान्यता है कि हमारी देवनागरी लिपि किसी-न-किसी रूप में ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, लेकिन देवनागरी का विकास ब्राह्मी से एकदम सीधा न होकर उत्तर शैली की कुटिल, शारदा और प्राचीन नागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक आ पहुंचा। प्राचीन नागरी के दो रूप विकसित हुए—पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी रूप में कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि लिपि का विकास हुआ तो उसके पश्चिमी रूप से गुजराती, मराठी, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री तथा देवनागरी लिपियां विकसित हुई। देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित चार्ट से आसानी से समझा जा सकता है।

4.0 आधुनिक भारतीय भाषायें :

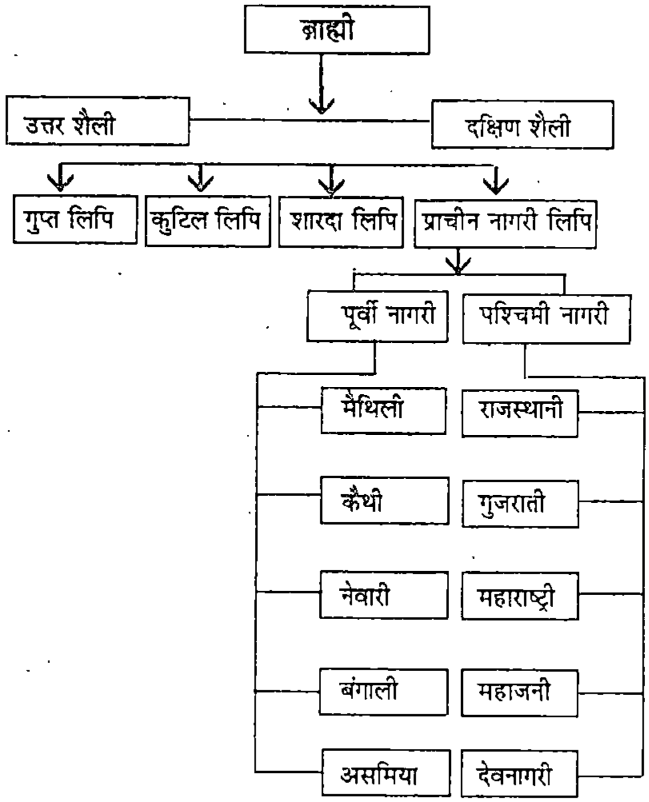

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ जिसका प्रचलन एवं प्रयोग 500 ई. से 1000 ई. के बीच हुआ। देश में उस समय अपभ्रंश के शौरसेनी, मगधी महाराष्ट्री आदि अनेक रूप प्रचलित थे। इन्हीं से विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं की धारा निकली है। अपभ्रंश पालि-प्राकृत से और पालि-प्राकृत वैदिक संस्कृत से विकसित हुई है।

आर्य परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया और असमिया प्रमुख है। संस्कृत से विकसित होने के कारण इन भाषाओं में न केवल संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, बल्कि व्याकरण के रूप भी इनमें लगभग समान है। यही कारण है कि भारतीय आर्य परिवार की इन भाषाओं को परस्पर समझने या सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती।

4035 HA/13—4A

मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली दो प्रमुख भाषायें अरबी और फारसी थीं जिन्होंने हिंदी शब्द भण्डार को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी प्रकार आजकल हिंदी के शब्द-भण्डार तथा वाक्य रचना को गहराई से प्रभावित करने वाली दूसरी भाषा है अंग्रेजी जिसने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

5.0 हिंदी भाषा का विकास :

जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है जिसका विकास मुख्यत: 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी से मिलता है लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली हिंदी में पहेलियां और मुकरियां रची। मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यत: बोलचाल की भाषा के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती रही। इसका कारण यह था कि उस युग में ब्रज-भाषा और अवधी काव्य की भाषा थी। ब्रजभाषा को सूरदास ने, अवधी को तुलसीदास ने और मैथिली को विद्यापति ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। राजदरबार में फारसी राजकाज की भाषा थी। अत: खड़ी बोली इन क्षेत्रों में उपेक्षित सी रही। लेकिन समस्त उत्तर भारत में जनसम्पर्क की यही एकमात्र भाषा थी।

हिंदी गद्य को निखारने तथा इसे परिष्कृत करने में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिलीशरण गुप्त आदि विद्वानों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन समुदायों को सम्बोधित करने के लिए गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस आदि असंख्य नेताओं ने इसी हिंदी का प्रयोग किया। हिंदी भाषा के विविध रूपों में आजकल खड़ी बोली ही सबसे अधिक प्रचलित है जिसका विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है।

6.0 हिंदी भाषा का रूप :

- **राजभाषा** : 14 सितम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली राज्यों की राजभाषा हिंदी ही है। इन सभी प्रदेशों में हिंदी की अनेक बोलियां बोली जाती है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों और अण्डमान एवं निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश ने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप मान्यता दी है।

- **सम्पर्क भाषा** : सम्पर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में इसके अध्ययन की व्यवस्था है। यह साहित्य के साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा-माध्यम तथा तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकने में सर्वाधिक सक्षम भाषा हिंदी है।

- **अंतर्राष्ट्रीय भाषा** : राष्ट्रीय ही नहीं, हिंदी आज अपना अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी स्थापित कर चुकी है। विश्व के अनेक देशों जैसे फिजी, मारीशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम, गुयाना, कनाडा, इंग्लैण्ड, नेपाल आदि में हिंदी बोली जाती है।

- **प्रयोजनमूलक भाषा** : कार्यालयों, बैंकों, विभिन्न प्रबंधन संस्थानों, विधि, लोकसंचार, कंप्यूटर, इंजीनियरी आदि कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में प्रयुक्त विशिष्ट प्रयोजन की प्रयोजनमूलक हिंदी है। इस हिंदी का प्रयोग उस कार्यक्षेत्र से संबंधित व्यक्ति करते हैं। इसकी अपनी शब्दावली होती है। यह अलंकारहीन होती है। ऐसी हिंदी प्राय: तकनीकी होती है तथा औपचारिक शैली में लिखी जाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा को संचार-माध्यम, कंप्यूटर, सर्वेक्षण-कार्य और कार्यालयीन-कार्य में वर्गीकृत किया जा सकता है।

7.0 हिंदी की प्रमुख बोलियां :

विशाल भू-भाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां अलग-अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त होती हैं। पश्चिम में हिंदी की हरियाणवी, खड़ी-बोली, ब्रज-भाषा, बुंदेली और राजस्थानी प्रमुख हैं जबकि पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली प्रमुख हैं। उत्तर में गढ़वाली एवं कुमाऊंनी और दक्षिण में दक्खनी हिंदी उल्लेखनीय हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में इन सभी बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। व्यापक रूप से हिंदी के पांच रूप माने जाते हैं :

4035 HA/13—4B

क्रम सं.	हिंदी का रूप	बोली	बोली क्षेत्र
1.	पश्चिमी हिंदी	बुंदेली	छतरपुर (मध्य प्रदेश)
		कन्नौजी	कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
		ब्रजभाषा	मथुरा, आगरा (उत्तर प्रदेश)
		खड़ी बोली	दिल्ली व मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर (उ.प्र.)
		हरियाणवी	रोहतक (हरियाणा)
2.	पूर्वी हिंदी	अवधी	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
		बघेली	रीवा (मध्य प्रदेश)
		छत्तीसगढ़ी	रायपुर (छत्तीसगढ़)
3.	बिहारी हिंदी	मगही	गया (बिहार)
		मैथिली	दरभंगा (बिहार)
		भोजपुरी	बलिया (उत्तर प्रदेश)
4.	पहाड़ी हिंदी	मंडियाली	कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)
		गढ़वाली	टिहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
		कुमांऊनी	अल्मोड़ा, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
5.	राजस्थानी हिंदी	जयपुरी	जयपुर (राजस्थान)
		निमाड़ी	खॅण्डवा (मध्य प्रदेश)
		मालवी	उज्जैन (मध्य प्रदेश)
		मारवाड़ी	जोधपुर, बीकानेर (राजस्थान)
		भीली	राजस्थान, म.प्र. और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र

हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में हिंदी की सभी बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इन बोलियों में से कुछ में उच्च कोटि का साहित्य रचा गया है । मैथिली, में मैथिल कोकिल विद्यापति की अमर काव्यकृति 'पदावली' रची गई, अवधी में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ काव्यग्रंथ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने तथा पद्मावत की रचना मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की । कृष्ण-काव्य का विशाल साहित्य मुख्यत: ब्रजभाषा में ही है । ब्रजभाषा में सूरदास, नंददास, रसखान, रहीम , केशव बिहारी, मतिराम, भूषण, पद्माकर जैसे श्रेष्ठ कवि हुए । सूरदास की सूरसागर ब्रजभाषा की अमर काव्यकृति है । राजस्थानी हिंदी में मीराबाई ने श्रेष्ठ काव्य की रचना की । खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे । साकेत, प्रियप्रवास और कामायनी खड़ी बोली के प्रसिद्ध काव्य हैं । हिंदी में 'अतुकांत महाकाव्य' लिखने का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को है ।

8.0 निष्कर्ष :

हिंदी एक सरल, व्यवहारिक एवं जीवंत भाषा है । इस भाषा में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है, अत: हिंदी वैज्ञानिक भाषा है । इसके पास विपुल शब्द भण्डार है । संस्कृत के साथ-साथ इसने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि अन्य भाषाओं के हजारों शब्दों को ग्रहण किया है ।

आज हिंदी देश के कोने-कोने में बोली जाती है । अहिंदी भाषी भी टूटी-फूटी बोल और समझ सकता है । हिंदी हिन्दुस्तान के एक विशाल भू-भाग की भाषा है । यह देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ यह अनेक राज्यों की राजभाषा भी है । यह आज समस्त भारत के सम्पर्क भाषा बन गई है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विकास हो रहा है । सार्वजनिक स्थानों में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है ।

जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी बोलने वालों का दूसरा स्थान है । विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में आज हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होता है । भारत सरकार ने विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की है । छ: विश्व हिंदी सम्मेलनों से शक्ति प्राप्त कर हिंदी आज विश्व-भाषा और संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने की ओर अग्रसर है ।

राष्ट्रीय एकता-हिंदी का योगदान

-संदीप नेमा*

प्रत्येक मनुष्य को परस्पर व्यवहार के लिए भाषाई माध्यम की आवश्यकता होती है। भाषा न सिर्फ विचार या अभिव्यक्ति को संप्रेषित करने का माध्यम है अपितु संबंधित भाषाई वर्ग के इतिहास संस्कृति, जीवन शैली एवं उसके साहित्य का प्रतिबिम्बन भी है। किसी राष्ट्र की भाषा उस राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, समाज, तकनीकी एवं विकास की परिचायक है। किसी देश की मुख्य भाषा उस देश की संपर्क भाषा बनकर नागरिकों एवं नीतियों के लिए सेतुबंध का कार्य करती है। अत: भाषा किसी देश की राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विभिन्नता वाले देश में अलग-अलग भाषाओं के बीच राष्ट्रीय एकता में हिंदी के योगदान की तुलना उसी प्रकार है जैसे राष्ट्र की स्वतंत्रता में गाँधी का योगदान।

किसी भी संग्राम में सेनानियों को जोड़े रखने प्रोत्साहित करने एवं ऊर्जावान बनाये रखने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण कारक होती है। परतंत्र भारत में स्वाधीनता सेनानियों के बीच स्वतंत्रता की अलख जगाए रखने हेतु हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है। राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने ही राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की पहचान की और उसे स्वतंत्रता संग्राम का सशक्त माध्यम बनाया। इसी कारण हिंदी भारतीय स्वाधीनता संग्राम की केन्द्रीय भाषा बन सकी। स्वाधीनता संग्राम में शामिल प्रत्येक प्रांत, संप्रदाय या धर्म के सेनानियों ने एक स्वर से हिंदी को संग्राम की संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हिंदी में आजादी के तराने गाकर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था। अनेकों भाषाएँ के क्षेत्रीय महत्व को स्वीकार करते हुए गाँधी जी ने कहा था "जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता है।" तात्पर्य यह है कि आजादी के पूर्व भी जब भारत अंग्रेजों की दासता से मुक्ति के लिए छटपटा रहा था और स्वतंत्रता के लिए एकीकृत संग्राम की आवश्यकता थी, विभिन्न भाषाई लोग अपनी-अपनी पहचान भूलकर हिंदी के माध्यम से ही एकता के सूत्र में बंध सके थे और सभी ने समवेत स्वर से आह्वान किया था, 'हिंदी हैं हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा'।

देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं के समक्ष राजभाषा की विकट समस्या थी। ऐसी स्थिति में भी महात्मा गाँधी के क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व के साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयासों के कारण ही 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो सका। तब से लेकर आज तक देश में यह भ्रान्ति है कि हिंदीतर राज्यों विशेषकर दक्षिण राज्यों द्वारा हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रीय एकता की कड़ी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जबकि स्वतंत्रता संग्राम के समय गाँधीजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री देवदास गाँधी एवं तत्पश्चात् उत्तर भारत के संतों और तीर्थयात्रियों के साथ दक्षिण भारत में हिंदी का प्रवेश हुआ है। इनमें 'श्री रामानुजाचार्य' जी का विशेष स्थान है। इसी तरह हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति शाखा के पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य गोदावरी नदी के किनारे स्थित खंभपाडु के तैलंग ब्राह्मण थे और उनकी मातृभाषा तेलगु थी। बीजापुर के शासकों ने भी दक्खिनी हिंदी को ही अपनी राजभाषा बनाया। आंध्रप्रदेश में हिंदी की सभी विधाओं में रचनाएँ बहुतायत में हुई। जिनमें से श्री जंधयाल शिवन्नशास्त्री ने हिंदी व्याकरण और तेलगु-हिंदी कोश तैयार करके हिंदी प्रमियों का मार्ग सरल किया। तमिलभाषियों ने भी अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त संस्कृत और हिंदी में अगाध पांडित्य प्राप्त कर अपनी आलोचनात्मक क्षमता का परिचय दिया है। जिनमें से प्राचीन साहित्यकारों के साथ ही डॉ. मलिक मोहम्मद जैसे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के भंडार में वृद्धि की है। कर्नाटक में भी हिंदी का विशेष स्थान रहा है। केरल में हिंदी को समृद्ध करने में वहाँ के उन निवासियों को विशेष योगदान है जो अपने जीवन निर्वाह के कारण उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर बस गये और केरल के शहर या गाँव लौटने पर राष्ट्रीय एकता की कढ़ी के रूप

* 'मनसुख', म. नं. 69, नवीन नगर (एशबाग), भोपाल-462010

में हिंदी का दिल से प्रचार-प्रसार किया है। इससे प्रतीत होता है कि इन सभी प्रदेशों के साहित्यकारों और निवासियों ने हिंदी के द्वारा उत्तर-दक्षिण की जनता के बीच एकता स्थापित करने में निरंतर अपना योगदान दिया है और यही कारण है कि हिंदी ने आज दक्षिण भारत को अन्य उत्तर भारतीय प्रदेशों की तरह आम भारतीयों के लिए सहज बना दिया है। उपर्युक्त तथ्य आजादी के समय से ही भारत के सभी राज्यों को हिंदी के द्वारा एकसूत्र में बाँधे रखने में महात्मा गाँधी की दूरदर्शिता को प्रकट करते हैं।

हिंदी आज विश्व की प्रमुख भाषा के रूप में सिर्फ इसलिए प्रतिष्ठित नहीं हो सकी है कि वह इस उपमहाद्वीप में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मात्र है। बल्कि वह इस देश के सभी धर्म-सम्प्रदाय के लोगों और उनकी संस्कृतियों में रची-बसी हुई। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी आर्थिक उदारीकरण और मुक्त विश्व व्यापार प्रणाली के माध्यम से लाभ अर्जित करने एवं अपने व्यापार भारत में स्थापित करने के लिए हिंदी पर ही निर्भर होना पड़ रहा है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो दैनिक जीवन में आमभाषा के रूप में पहचानी जाती है इसीलिए विदेशी व्यापारिक संस्थाओं ने भारत में अंग्रेजी का मोह त्यागकर हिंदी को ही अपने व्यापार के माध्यम की भाषा के रूप में प्रयोग किया है। जिसके अनगिनत उदाहरणों में से 'कुछ मीठा हो जाये' 'लिखते लिखते लव हो जाये' आदि उल्लेखनीय है, जिनमें हिंदी के शब्द देवनागरी के बजाय अंग्रेजी लिपि में ही प्रयोग किये जा रहे है। सिर्फ विदेशी व्यापारी वर्ग ही नहीं भारतीय फिल्म एवं मीडिया संस्थान भी हिंदी शीर्षकों में यही प्रयोग दोहरा रहे है। विदेशी समाचार एजेंसियों के ज्यादातर मीडिया संस्करण, पत्र-पत्रिकाएँ हिंदी में ही प्रकाशित हो रहे हैं क्योंकि हिंदी ही प्रत्येक हिंदुस्तानी के हृदय में बसती है ओर वे भले ही धनार्जन करने के उद्देश्य से ही सही यहाँ के आम नागरिक के दिलों को जीतना चाहते हैं। उक्त तथ्य इस देश की एकता में हिंदी के योगदान के स्पष्ट परिचायक हैं। अभिप्राय यह है कि हिंदी भाषा भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का सहज माध्यम है एवं हम देश के किसी भी कोने में जायें हिंदी ही राष्ट्रीय एकता के मंत्र को उद्घाटित करती है।

आज का युग पर्यटन प्रधान है। भारत में भ्रमण अथवा पर्यटन के समय देशी अथवा विदेशी पर्यटकों के द्वारा अपनी भाषा के अलावा यदि किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्रमुखता से हो रहा है तो वह भी हिंदी ही है। कश्मीर से प्रस्थान करके एक यात्री यदि कन्याकुमारी तक पहुँचता है तो हिंदी ही एकमात्र ऐसी संपर्क भाषा है जो बिना रंग, नस्ल, धर्म भेद के सभी के द्वारा समान रूप से आत्मसात की गई है। माना प्रत्येक क्षेत्रवार उस क्षेत्र की विशिष्ट भाषा उस स्थान विशेष के लोगों द्वारा प्रमुखता से बोली जाती है किन्तु भिन्न भाषाई या अनिवासी से संपर्क हेतु हिंदी ही प्रमुख माध्यम के रूप में चुनी जाती है और संपर्क के साथ ही हिंदी विचार, संस्कृति या सभ्यता के आदान-प्रदान का माध्यम भी बनती है। जिससे अनेकता होने पर भी एकता का भाव स्वत: ही फूट पड़ता है। वर्तमान परिदृष्य में लंदन में ओलंपिक अपने चरम पर है किंतु यदि वहाँ दो भिन्न प्रांत धर्म आदि के मानने वाले भारतवासी आपस में मिलते हैं तो पारस्परिक स्नेह की अभिव्यक्ति हिंदी में ही होती है और देशवासियों की एकता का माध्यम बनती है। वस्तुतः हिंदी ही इस देश का स्वाभिमान भी है।

शैक्षणिक गतिविधियों में प्राथमिकी से लेकर परास्नातक तक भाषा मुख्य आधार की भूमिका का निर्वाहन करती हैं। आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस देश के विद्यार्थियों द्वारा आज भी हिंदी भाषा ही चयनित की जाने वाली प्रमुख भाषा है क्योंकि सभी धर्म के विद्यार्थी अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण के समय हिंदी में ही सहज महसूस करते हैं। शिक्षक भी अध्यापन के समय अंग्रेजी की तुलना में हिंदी भाषा में उद्धरण या दृष्टान्त प्रस्तुत करने में निपुण होते हैं जो हिंदी की अनिवार्यता एवं राष्ट्रीय एकता में योगदान का अनुपम उदाहरण हैं। आम धारणा यह है कि कंप्यूटिंग का मुख्य आधार अंग्रेजी है, पर यह धारण मिथ्या है क्योंकि कंप्यूटिंग की भाषा अंकों (सिर्फ 0 एवं 1) की भाषा है और आई.टी. का इस्तेमाल हिंदी के अनुरूप धीरे-धीरे ढ़ल रहा है। इसी के मद्देनजर बड़ी कंपनियाँ भारत की ओर तेजी से रूख कर रही हैं और इन्टरनेट पर हिंदी के पोर्टल अब व्यवसायिक रूप से आत्मनिर्भर हो गये हैं। कई नामी आई.टी. कंपनियाँ याहू, गूगल, एम.एस.एन. एवं मोबाइल साफ्टवेयर हिंदी में आ गये हैं। आई.बी.एम., सन माइक्रोसिस्टम, ओरेकल हिंदी को अपना रहे हैं। इन्टरनेट एक्सप्लोरर, नैस्केप, मोजिला, ओपेरा आदि ब्राउजर हिंदी को समर्थन देते

4035 HA/13—5A

हैं । विकीपीडिया जैसी ज्ञानोपर्जक वेबसाइटों को हिंदी में ब्राउज कर सकते हैं । sahityshilpi. com, abhivyakti.hindi. org, hindikunj.com, pustak.org आपके हिंदी रस के अनुकूल साहित्य उपलब्ध करवा रही हैं । अंग्रेजी लिपि में लिखी गई हिंदी मोबाइल मेसेजिंग की भाषा बन चुकी है । यूनीकोड जैसे एनकोडिंग सिस्टम ने हिंदी को भी अंग्रेजी के समान पायदान पर ला खड़ा कर दिया है । यह सब इसलिए संभव हो सका कि संख्या बल ने ही सही भारत में हिंदी को और अधिक सक्षम बनाकर राष्ट्रीय एकता की अक्षुण कडी बना दिया है ।

भारत में राज्यवार शासन व्यवस्था है, जहाँ प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य की प्रमुख भाषा में वैधानिक कार्यवाहियाँ या शासकीय कार्यकलाप संपादित करती है । किंतु राज्यगत शासन व्यवस्था के ऊपर केन्द्रीयकृत शासन होता है । वास्तव में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय ही देश में समान नागरिक संहिताओं के अनुपालन हेतु केन्द्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं । इसी उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए संसद ने 14 सितम्बर 1949 को राजकाज की भाषा हेतु हिंदी को ही संवैधानिक रूप से स्वीकार किया है । राज्यवार कार्यालयों में भाषाई भिन्नता एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में भिन्न भाषाई अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यरत रहने के उपरांत भी हिंदी ही कार्यप्रणाली/पत्राचार का प्रमुख अंग है । उदाहरणार्थ देश में कोई भी रेलवे स्टेशन उसके प्लेटफार्म या पोस्ट ऑफिस का नाम हिंदी में जरूर लिखा होगा । केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के किसी भी प्रांत या भाषा के होने के बावजूद सभी कर्मचारी राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु संवैधानिक उत्तरदायित्व से आबद्ध हैं । वस्तुत: राज्यवार एवं केन्द्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच आपसी विभिन्नता होने पर भी हिंदी ही उन्हें आपस में बाँधे रखती है और अप्रत्यक्ष रूप से राजभाषाई सहोदर के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करती है । जो राजकाज में राष्ट्रीय एकता का परिचायक है ।

अत: उपर्युक्त सभी तथ्यों के मंथन उपरांत यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि हिंदी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की मजबूत कडी है । हिंदी ही इस देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और स्वाभीमान जागृत कर सकती है । समस्त देश को एकसूत्र में बाँधे रखने में जिस भाषा का अतुलनीय योदान है वह हिंदी ही है । हिंदी ही समस्त भारतीयों के दिल में भारत-भारती के रूप में विराजमान रहती है । वास्तव में हिंदी उस माला की तरह है जिसमें भिन्न खुशबुओं, रंगों के पुष्प होने पर भी वे एक सूत से आपस में बँधे रहते हैं, भारत की विभिन्न भाषाओं को भी माला के उसी सूत की भाँति हिंदी ने ही परस्पर बाँधे रखा है और यह माला भारत माँ के गले में शोभायमान होकर विश्व में यह संदेश प्रसारित कर रही है कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो इस देश की एकता और अखण्डता को और अधिक दृढ़ता प्रदान कर रही है । वस्तुत: राष्ट्रीय एकता में हिंदी के योगदान को सीमित शब्दों में अभिव्यक्त करना सूरज को दीप दिखाने के समान है । स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी आंदोलन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था ''राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है'' आज के प्रसंग में कह सकते है - ''हिंदी के बिना भारत गूंगा है ।''

कार्यसाधक हिंदी कैसे सीखें ?

किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का लिखना (लिपि), पढ़ना और वार्तालाप जरूरी है । हिंदी की लिपि देवनागरी है जो कि सरल और वैज्ञानिक लिपि है, इसकी वर्णमाला में इतने स्वर और व्यंजन हैं जिनको मुंह से निकाली सभी ध्वनियों को लिखा जा सकता है ऐसी क्षमता शायद ही किसी अन्य लिपि में हो । इसके अलावा देवनागरी लिपि बहुत ही आसान है जिसे मामूली अभ्यास से कुछ दिनों में ही सीखा जा सकता है ।

4035 HA/13—5B

साहित्यिकी

नवजागरण की कविता और दिनकर

–डॉ. एन. पी. कुट्टन पिल्लै*

उन्नीसवीं शती के उतरार्द्ध तथा बीसवीं शती के प्रारंभिक दशकों को बहुधा भारतीय नवजागरण का युग माना जाता है। जिसे नवजागरण कहा जाता है, उसमें राष्ट्रपादिता, सामाजिक उन्नयन एवं सांस्कृतिक नवोत्थान का समन्वित स्वरूप देखा जा सकता है । भारत में अंग्रेजी शासन, शिक्षा-दीक्षा का पश्चिमीकरण और नयी आर्थिक नीति के फलस्वरूप सामाजिक ढांचे में पर्याप्त परिर्वतन हुआ । विदेश से आये एक व्यापारी संघ के हाथ में भारत देश का संपूर्ण अधिकार जा पहुँचा, यह बात भारतीय जनता को झकझोर करनेवाली थी । फलत: देश की राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास हुआ तो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम में परिणत हुआ । अंग्रेज-सरकार ने निष्ठुरतापूर्वक उसे कुचल डाला । भारत देश अपना अधिकार स्थापित करने तथा धर्मान्तरण के लिए कटिबद्ध दुर्मोही अंग्रेज-साम्राज्यवाद ने भारतीय संस्कृति तथा भारतीय भाषाओं को तहस-नहस करने में कुछ उठा नहीं रखा ।

सन 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय मुक्तियज्ञ का पतवार अपने हाथ में थाम लिया तो आगे चलकर महात्मा गाँधी ने अंग्रेज-साम्राज्यवाद से जूझते भारतीय स्वतंत्रता-सेनानियों का नेतृत्व स्वयं उठा लिया और मुक्तियज्ञ को अंतिम सफल परिणति तक पहुँचा दिया ।

देश का आधुनिकीकरण नवजागरण का लक्ष्य था । पुरानी सामाजिक रूढ़ि-रीतियों का उच्चाटन करके समता एवं सद्भावना पर अधिष्टित एक नव्य समाज का गठन तथा विगत संस्कृति की पुन: प्रतिष्ठा उसका ध्येय था । इस ध्येय से प्रभावित सुधारवादी एवं सांस्कृतिक संस्थाओं तथा श्रीरामकृष्ण, विवेकानंद, रामतीर्थ, अरविन्द जैसे चिन्तकों, विचारकों ने जाति-वर्णरहित मानव-समाज की स्थापना एवं मानवतावाद की प्रतिष्ठता का संदेश प्रचारित किया । सुधारवादी संस्थाओं तथा सांस्कृतिक नेताओं के स्वपनों को राजनैतिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने का कार्य तिलक तथा गाँधी ने किया ।

भारतीय-पाश्चात्य सांस्कृतिक विचारधाराओं के सामंजस्य पर खड़े रवीन्द्रनाथ टैगोर, अरविन्द, सरोजिनी नायडु बंकिम चन्द्र चटर्जी, सुब्रहामण्य भारती जैसे साहित्यकार नवजागरण के अग्रदूत थे । इन सब की यह मान्यता रही कि भारत को एक गरिमामयी संस्कृति प्राप्त है, जो अब क्षीण एवं मंद पड़ गयी है तो उसे नया परिवेश पहचाना है । जब कभी धर्मच्युति होती है, तब भगवान परित्राणाध अवतार लेते हैं, यह गीता-वाक्य भारतीय नवजागरण का मूलमंत्र बना भाषा एवं साहित्य पर नवजागरण का प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप साहित्य में आम जनता की कटोर यातनाओं, सामाजिक वैषम्य, स्वतंत्रता-संग्राम, स्वाधीनता का मूल्य, साहस एवं वीरता, सर्वात्मत्याग, क्रान्ति तथा गाँधीजी के सन्देश को वाणी मिली ।

भारतीय नवजागरण को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने की दिशा में हिंदी कवियों का योगदान अविस्मरणीय है । डॉ. विजयेन्द्र स्नातक के शब्दों में "उत्तर भारत में नवी सभ्यता का प्रभाव पड़ा और इस प्रदेश की संस्कृति में नवचेनता की, राजनीति में स्वतंत्रता की और स्वशासन की, अर्धनीति में समृद्धि और स्वावलंबन की, साहित्य एवं कला में नवजागरण एवं नवोत्थान की, परंपरा और रीति-नीति में प्रगति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई" यहाँ शिक्षा, संस्कृति, धर्म एवं अतीत गौरव को महत्व मिला । भारतेंदु कालीन कविताएँ

* 190, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कालोनी, गांधी नगर, हैदराबाद - 500080

राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएँ तथा द्विवेदी युगीन कविताएँ समाजोद्धार सांस्कृतिक नवोत्थान, क्रांति, बलिदान आदि को महत्व देकर लिखी गयी ।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र युगान्तकारी व्यक्तित्व लिये काव्य क्षेत्र में उतर पड़े थे । उनकी राष्ट्रीयता अत्यन्त व्यापक रही विदेशी शासन के प्रति असंतोष, भारतीय एकता का संदेश, जन-जागरण का आह्वान, भारतीय दुरवस्था पर आक्रोश आदि इनकी कविता में दर्शित होते हैं । भारतीय जनजीवन की अधोगति के प्रति व्यापक चिन्ता उनकी कविता में प्रकट हुई है । उन्होंने वेदना-भरी वाणी में घोषित किया "हां-हां, भारत दुर्दशा देखि नहीं जाइ" श्रीधर पाठक, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन', प्रताप नारायण मिश्र, अंविकादत व्यास जैसे भारतेंदु-मंडल के अन्य कवियों की रचनाओं में भी भारतीय जनता की पतनोन्मुख स्थिति पर घोर दुख प्रकट करने के साथ-साथ, इसके लिए कारणभूत विदेशी सत्ता के प्रति रोष भी प्रकट हुआ है । इन कवियों ने पराधीन भारत की दुर्दशा का वर्णन करके जन-जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया ।

बदरीनारायण 'प्रेमधन' की कविता में राष्ट्रीय भावना सजग है । नवजागरण की ओर संकेत करते हुए वे लिखते हैं-

अरूणोदय एकता-दिवाकर, प्राची दिशा-दिखाती,
देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फैलाती ।

श्रीधर पाठक इस काल के एक सशक्त कवि थे । भारत की प्राकृतिक सुषमा, देश की महिमा और अतीत गौरव का वर्णन करते हुए उन्होंने जनता के मन में देशानुराग की भावना उद्दीप्त करने का प्रयास किया । इतना होते हुए भी देशभक्ति के साथ राजभक्ति मिली कविताएँ भी इस काल में लिखी गयी जिस कारण इस काल की कविता जन-मानस में अपेक्षित प्रभाव डाल नहीं पायी ।

द्विवेदी कालीन कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, रूपनारायण पांडेय, नाथुराम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', रायदेवीप्रसाद, बदरीनारायण भट्ट प्रभूति कवियों ने राष्ट्रीयता एवं नवजागरण की शंखध्वनि बजाकर स्वतंत्रता-प्रेमी भारतीयों को समराँगन की ओर बढ़ने तथा देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा प्रदान की । हरिऔध के चोखे चौपदे, चुभते चौपदे में ढोंगी, पतित कामुक, परमुखापेक्षी, कायर व्यक्तियों की निंदा की गयी है, तो वहाँ धर्मोद्धारक सांस्कृतिक जागरण के मसीहा तथा जनहितकारी व्यक्ति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गयी है । उनके चौपदे जन-मानस में क्रान्ति एवं विद्रोह जगाने में सफल सिद्ध हुए ।

गुप्तजी की कवि-दृष्टि भारतीय इतिहास के अतीत एवं वर्तमान पर गयी तथा उन्होंने वर्तमान की अधोगाति एवं अतीत की महत्ता की तुलना करके भारतीय जनता को सचेत किया तथा सामाजिक विद्रूप, अस्पृश्यता, हरिजनोद्धार सब पर केन्द्रित स्वर उनके काव्य में मुखरित हो उठे । इस दृष्टि से भारत-भारती, गुरूकुल, किसान आदि उनके काव्य पर्याप्त महत्व रखते है । जहाँ वे प्राचीन वैभव एवं समृद्धि के गायक थे, वहाँ भविष्यद्रष्टा भी थे । उनके काव्य में सांस्कृतिक परिवेश से मंदित राष्ट्रीयता का दर्शन होता है । इतना होते हुए भी डा. द्वारिकाप्रसाद सक्सेना जी से स्वर मिलाते हुए हमें कहना पड़ेगा कि गाँधीजी के अहिंसा सिद्धान्त पर विशेष आस्था रखनेवाले गुप्तजी के इन चित्रणों में आग उगलने या क्रान्ति मचाने की क्षमता नही है ।

राम नारायण पांडे, बदरीनारायण भट्ट जैसे क्रान्तिकारी एवं विद्रोही कवियों में नवजागरण की चेतना उद्भूत करने की क्षमता दर्शनीय है । इन कवियों ने विदेशी शासक वर्ग की दमन-नीति तथा जनता में परस्पर खाई खोद कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कूटनीति का पर्दाफाश करते हुए हिन्दू-मुस्लमान को परिस्थिति से अवगत हो एकता को जीनवलक्ष्य बनाकर देश के लिए प्राणोन्सर्ग करने का स्वर बुलंद किया है । भट्ट जी वृद्धों को रणचंडी का रूप अपनाने का आह्वान देते हुए कहते हैं-

ले लो खड़्ग, पटक दो म्यान
बूढ़ो सुदृढ़ हो विजय करो
या रणक्षेत्र में दे दो प्राण ।

कविवर माखनलाल चतुर्वेदी योद्धा-कवि हैं, अपने क्रांतिकारी स्वरूप का परिचय देते हुए वे नवयुवकों को देश के लिए मर मिटने का संदेश देते है । राष्ट्र देवता की आराधना में वे विशेष आत्मतोष पाते हैं । वे भक्त, प्रकृति-प्रेमी एवं क्रान्तिकारी तीनों रूपों में हमारे सामने आते हैं । उनके

'हिमकिरीटिनी' तथा 'हिमतरंगिनी' काव्य-संग्रह जहाँ क्रान्ति का राग आलापते हैं, वहां राष्ट्रीय भावना जगा कर नवयुवकों में देश के हित बलिदान की भावना भी उद्बुद्ध करते हैं। हिमकिरीटिनी में से आशा व्यक्त करते हैं –

बलि होने की परवाह नहीं, माता के हाथ स्वराज्य रहे।
में जीता, जीता-जीता हूँ, मैं हूँ कष्टों का राज्य रहे।

'पुष्प की अभिलाषा' तथा 'कैदी और कोकिला' उनकी दो अमर रचनाएं हैं जिनमें कवि का राष्ट्रीयता बोध तथा त्यागमयी मनोवृति का परिचय मिलता है।

इसी काल के कवि रामनेरश त्रिपाठी भी प्रेम एवं राष्ट्रीयता के लिए पर्याप्त प्रसिद्ध रहे। 'मानसी' में संकलित कविताएं देश सेवा का पुनीत आदर्श प्रस्तुत करती हैं तो पथिक, स्वप्न तथा मिलन खंडकाव्यों में तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के चित्रण के साथ मातृभूमि के प्रति प्रेम का गुणगान तथा सकर्म मृत्यु को जीवन की अभिलाषा बनाने का संदेश निहित है।

हमारे राष्ट्रीय नवजागरण के वैतालिक कवियों में सोहनलाल द्विवेदी का विशिष्ट स्थान रहा। वे प्राचीन त्याग एवं तपस्या का गौरव-गान गाते रहे। एक लबें समय वे भारतीय नवयुवकों में उत्सर्ग की महिमा का प्रचार करते रहे। पराधीनता की बेड़ी काटने हेतु प्राणोसर्ग का रास्ता अपनाने का संदेश देते हुए वे कहते हैं –

आँसू बिखराते बीतेगी जलती जीवन घड़ियाँ।
बिना चढ़ाये शीश, नहीं टूटेगी माँ की कड़ियाँ।

छायावाद युग में भी बड़ी मात्रा में नवजागरण की कविताएँ लिखी गयी। सुभद्राकुमारी चौहान एवं बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की रचनाएँ इस संदर्भ में विशेष द्रष्टव्य है। सुभद्राकुमारी चौहान की रचनाओं में देश प्रेम के साथ-साथ सेवा की पुनीत इच्छा भी प्रकट हुई है। भारतीय युवकों को देश के विगत गौरव से अवगत कराने के उद्देश्य से प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों की महिमा की वाणी दी गयी है। देश-प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत जलियाँ-वाला बाग, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसन्त, विजयादशमी जैसी कविताएँ नवजागरण की शंखध्वनि बजाने में समर्थ हुई हैं। कवयित्री प्राचीन इतिहास के पन्ने टटोलती है और समझाती है कि हमें आग में भस्वीभूत लंकापुरी, भीषण युद्ध से रक्तरंजित कुरूक्षेत्र, हल्दी घाटी के शिलाखंड एवं प्रचंड सिंहगढ़ से नयी शिक्षा एवं प्रेरणा प्राप्त करनी होगी –

कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंका तुझ में क्यों लगी आग,
ए कुरुक्षेत्र ! अब जाग-जाग, बतला अपने अनुभव अनंत,
हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचण्ड
राणा, ताना कर घमंड, दे आज जगा स्मृतियाँ ज्वलन्त।

नवीन जी ने भारत के अतीत गौरव का उद्घोष, वर्तमान कारुणिक दशा पर असन्तोष एवं भविष्य के प्रति मंगल आशा प्रकट की है। उनकी कविताओं में अभिव्यक्त अनुभूति का संबंध सीधे उनके जीवन से है क्योंकि वे भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के सशक्त एवं निर्भीक सैनिक रहे। डॉ. नगेन्द्र ने ठीक ही कहा है कि उनका उत्साह और उनकी उत्क्रान्ति सहज अनुभूत और जीवन्त थी। उन्होंने आततायियो के विरूद्ध भारतीय जनशक्ति को उद्बोधित करते हुए तथा सोयी पड़ी जन-चेतना को जगाने के उद्देश्य से लिखा है–

ओ भिखमंगे, अरे पतित, ओ मजलूम, अरे चिर दोहित,
तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा-सम्मोहित।
प्राणों को तड़पाने वाली हुँकारों से जल-थल भर दे,
अनाचार के अंबारों में अपना ज्वलित पलीता धर दे।

छायावादी कवि प्रसाद आवेश एवं आक्रोश के कवि नहीं, समचितता एवं प्रातिभ ज्ञान से मंडित व्यक्तित्व से पासित कवि है। भारत की नसर्गिक सुषमा एवं अतीत के सांस्कृतिक वैभव का अक्षय भंडार दिखाकर देश की स्वाधीनता के लिए सर्वस्व त्याग तथा महिमा-मंडित सांस्कृतिक वैभव के प्रति सजग रहने की प्रेरणा वहाँ मिलती है। 'चंद्रगुप्त' नाटक में सेना का संचालन करती अलका के उद्बोधन-गीत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की झलक मिलती है –

हिमाद्रि तुंग शृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा, सभुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती-
अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ रोच लो
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो।

राष्ट्र के नवनिर्माण के संबंध में पतंजी ने बहुत पहले ही आग्रह किया था–

4035 HA/13—6A

रूप रम्य निर्माण करो हे, रम्य वस्तु परिधान
रम्य बनाओ गृह जन-पथ को रम्य नगर जनस्थान ।

महाकवि निराला को राष्ट्रीयता पौराणिक आख्यानों, सांस्कृतिक गुण-गानों तथा ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रकरण में प्रकट होती है । भारती वंदना, मातृवंदना, दिल्ली खंडहर के प्रति, यमुना के प्रति छत्रपति शिवाजी का पत्र, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति-पूजा जैसी रचनाओं में कवि की समर्थ एवं अटूट राष्ट्रीयता एवं देशप्रेम को वाणी मिली है उन्होंने भारत माता के गरिमामय साकार रूप की कल्पना करके उसके प्रति स्तवक अर्पित किया है तो दूसरी ओर अंग्रेज-शासन सत्ता की पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ कर दम घुटते नवयुवकों को उत्तेजना का संदेश देते हुए 'जागो फिर एक बार' कविता लिखी जिसमें भारतीय अद्वैतवाद का स्मरण करते हुए आत्मा की अमरता का उद्घोष तथा कायरता और कायरता को तिलांजलि देने का संदेश दिया है–

योग्य जन जीता है
पश्चिम की उक्ति नहीं
गीता है, गीता है
स्मरण करो बार-बार
जागो फिर एक बार ।

हिंदी के समक्ष एवं यशस्वी कवियों द्वारा परिपुष्ट नवजागरण की कविता की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि के रूप में रामधारीसिंह दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है । उनकी नवजागरण की कविताएँ ओज एवं तेज से परिपूर्ण है और आग उगलती हैं । आलोकधन्वा शीर्षक अपनी कविता में वे अपने क्रान्तिकारी स्वरूप का परिचय देते हुए लिखते हैं –

ज्योतिर्धर कवि में ज्वलित सौर-मण्डल का,
मेरा शिखण्ड अरुणाभ, किरीट अनल का ।

और अपनी कविता में निक्षिप्त नवजागरण की ओर संकेत करते हुए उनका कथन है–

मैं विभा-पुत्र, जागरण गान है मेरा,
जग को अक्षय आलोकदान है मेरा

अत: स्वाभाविक है कि उनकी रचनाओं में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह एवं क्रान्ति के स्वर अत्यन्त प्रखर हैं । उनकी कविता में प्रकट ये विद्रोह एवं क्रान्ति के स्वर तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम हैं । अंग्रेज शासन की दमन-नीति तथा भारतीय स्वतंत्रता-सेनानियों के बलिदान ने कवि के हृदय को झकझोर डाला है कि उनकी विद्रोही भावना कविता के रूप में प्रकट हुई है । कवि की आत्मस्वीकृति है–

उदयाचल पर आलोक - शरासन ताने
आया मैं उज्जवल गीत विभा के गाने
ज्योतिर्धनु की शिंजिनी बजा गाता हूँ
टंकार - लहर अंबर में फैलाता हूँ ।

देशभक्ति एवं देशसेवा का कार्य सुगम नहीं है, वह कंटकाकीर्ण है । देश के लिए आशिक होने वाले को भाल पर अनल-किरीट पहनना होगा । सुधा-बीज बोने हेतु पहले कालकूट विष पी लेना होगा । अत: देश-प्रेमियों को कवि की चेतावनी है–

लेना अनल-किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले
कालकूट पहले पी लेना, सुधा-बीज बोने वाले ।

रेणुका (1935), हुँकार (1938), रसवन्ती (1939), द्वन्द्वगीत (1940), सामधेनी (1946), इतिहास के आंसू (1952), दिल्ली (1954), नील कुसुम (1955), परशुराम की प्रतीक्षा (1962) आदि काव्य कृतियों में कवि की राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना अत्यन्त बलवती है । 'रेणुका' में राष्ट्रीयता प्रेरित कई कविताएँ हैं । अतीत गौरव के प्रति श्रद्धा भाव और वर्तमान विभीषिकाओं के प्रति घोर विरोध की भावना कई कविताओं में प्रकट हुई है । वर्तमान हीन-दीन दशाओं से पीड़ित कवि जग में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित करना चाहता है–

क्रान्ति धात्रि कविते, जागे, उठ अंबर में आग लगा दे
पतन, पाप, पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे ।

कवि का राष्ट्र प्रेम इतना प्रबल है कि वह यह कभी नहीं देख सकता कि उसके राष्ट्र का मस्तक संसार के आगे झुका रहे । अत: राष्ट्र के स्वाभिमान के निमित समस्त वेदनाएँ सहकर, विघ्न-बाधाओं का सामना करते हुए वह कराल विष उगलने के लिए कटिबद्ध है । विदेशी शासन के प्रति विद्रोह के स्वर में वह कहता है–

4035 HA/13—6B

फूँकता हूँ लो तोड़-मरोड़, अरी निष्ठुरे! वीन के तार,
उठा चाँदी का उज्जवल शंख, फूँकता हूँ भैरव हुँकार,
नहीं जीते-जी सकता देख, विश्व में झुका तुम्हारा भाल;
वेदना-मधु का भी कर पान, आज उगलूँगा गरल कराल।

स्वदेश विकट परिस्थितियों में है, वह कई प्रकार की दु:स्थितियों का शिकार है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के चरणों तले कुचला जाकर वह तड़प रहा है। इस पुण्यभूमि पर कराल संकट आ पड़ा है। यहाँ नित्य द्रौपदियों के बाल खुलते जा रहे हैं; कितनी मणियाँ लुटी गयी। देश की इस विपरीत दशा से आँखें मूँद कर ध्यान-निरत नगाधिराज हिमालय को कवि सावधान करता है कि तपस्या का समय नहीं, जागरण का समय है: मौन त्याग कर सिंहनाद करने की बेला है–

तू मौन त्याग कर सिंहनाद,
रे तपी! आज तप का न काल।
नव-युग-शंखध्वनि जगा रही,
तू जाग, जाग, मेरे विशाल!

कवि को यही चिन्ता खलती है कि कैसे गान से सुप्त प्राणों को जगा दे। वह ऐसी शृंगी फूंकने को तैयार है जिससे सुप्त भुवन के प्राण जाग उठें। वह दुर्बल प्राणों की नस-नस में चिनगारी फूँकना चाहता है। 'रेणुका' की 'तांडव कवित में साम्राज्यवादी सभ्यता एवं ब्रिटिश शासन के प्रति विध्वंसक दृष्टि के साथ क्रान्ति का आह्वान है, तो 'हुँकार' की गई कविताओं में देश को स्वतंत्र एवं स्वाधीन बनाने का प्रबल संकल्प है। वहाँ पराधीनता के प्रति विद्रोह तथा विदेशी शासन से मुक्ति पाने की पुकार सुनी जा सकती है–

ले अंगड़ाई उठ, हिले धरा
कर निज विराट स्वर में निनाद
तू शैल-राट हुंकार भरे
फट जाए कुहा, भगे प्रमाद

'विपथगा' कविता में क्रान्ति का स्पष्ट चित्रण है। क्रान्ति रूप में विपथगा उपस्थित हो कहती है कि सम्राटों के शोषण के फलस्वरूप दुर्बल प्रजा भूखों मरने लगती है और उनके अत्याचार-अन्याय के सामने उसे मौन रहना पड़ता है, तब निस्तेजों का तेज, युगों के मूक-मौन की बानी बनकर मैं जन्म लेती हूँ और पूरे देश में अपने कराल नर्तन-गर्जन द्वारा भूकंप मचाती हूँ। मुझ विपथ-गामिनी को न ज्ञान, किस रोज किधर से आऊंगी,

मिट्टी में किस दिन जग क्रुद्ध अंबर में आग लगाऊँगी,
आँखे अपनी कर बंद देश में जब भूकंप मचाऊँगी,
किसका टूटंगा शृंग, न जाने, किसका महल गिराऊँगी
निर्बन्ध, क्रूर, निर्मोह सदा, मेरा कराल नर्तन-गर्जन
झन झन झन झन झन झन झनन झनन!

दिनकर सामाजिक चेतना के कवि हैं। उनकी यह सामाजिक चेतना साम्यवाद की नकल नहीं, भारतीय राष्ट्रीयता से प्रोद्भासित है। शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषकों के प्रति विद्रोह की भावना उनकी सामाजिक चेतना का परिणाम है। सामाजिक विषमता का विकराल रूप निम्न पंक्तियों में प्रतिबिंबित है–

श्वानों को मिलते दूध-वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं,
माँ की हड्डी से चिपक, ठिठुर जाड़ों की रात बिताते
हैं,युवती के लज्जा-वसन बेच जब ब्याज चुकाये जाते
हैं,मालिक तब तेल-फुलेलों पर पानी-सा द्रव्य बहाते हैं।

सामाजिक विषमता अपनी चरम सीमा पर है। पूँजीपति लोग सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं के लिए पानी की तरह रुपये-पैसे बहाते रहते हैं तो निर्धन शिशुओं की इतनी बुरी हालत है कि वे नंगे-भूखे हैं। उनकी हालत श्वानों से गयी-गुजरी है। श्वानों को सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, जबकि निर्धन बालक भोजन के अभाव में अकुलाते हैं, माँ की हड्डी मात्र छाती से चिपक कर ठिठुरते हुए रात बिताते हैं। किसान-मजदूर ब्याज के बोझ से पीड़ित हैं, युवती के लज्जा-वसन तक बेच कर ब्याज चुकाने की नौबत आती है। कवि दिल्ली को कोसता है–

आहें उठी दीन कृषकों की
मजदूरों की तड़प पुकारें
अरी गरीबों के लोहूपर
खड़ी हुई तेरी दीवारें।

स्पष्ट है, कवि वर्तमान सामाजिक विषमता के प्रति सजग है। वह वर्तमान शोचनीय हालत की प्रतिक्रिया में कह उतना है--

समय ढूंह की ओर सिसकते मेरे गीत विकल धाये
आज खोजने उन्हें बुलाने वर्तमान के पल आये।

कवि प्रगति चेतना से प्रभावित है। वह देशव्यापी दीनता-दरिद्रता से आँख मूँद नहीं सकता। वही कवि

रोषाकुल हो दिल्ली को कुलटा का उपमान देता है, जो ब्रिटिश सत्ताधारी परदेशियों को गलबाँही देते प्रसन्न रहती है–

अपने ही पति की समाधि पर कुलटे! तू छवि में इतराती
परदेशी-संग गलबाँही दे मन में है फूली न समाती ।

दिनकर जनवादी कवि हैं- कहीं शोषित मानवता के प्रति महानुभूति है तो दूसरी ओर अजेय मानवता की हुंकार भी है । कवि का संदेश है कि धुन के मताले को नींद नहीं और ज़ागरूक व्यक्ति की विजय निश्चित है ।

सदियों से ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी
मिट्टी सोने का ताज पहन झुठलाता है ।
दो राह समर्थ के रथ का घर्घर नाद सुना,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ।

दिनकर का दृष्टिकोण मानवतावादी है । 'रश्मिरथी' में कर्ण के चरित द्वारा मानवीय गुणों की परख का संदेश दिया गया है । उनकी स्पष्ट मान्यता है कि जाति-पद सब व्यर्थ हैं, मानव निजी गुणों से श्रेष्ठ बनता है । आज का युग दलितों, पीड़ितों के उद्धार का है । मानव द्वारा खड़ी की गयी जातिवाद की भित्ति ढह जाने को है । उसके स्थान पर विश्वजनीन मानवता की प्रतिष्ठा होगी । 'रश्मिरथी' के कर्ण के मुँह से कवि अपना आदर्श प्रस्तुत करता है-

मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे
पूछेगा जग किन्तु पिता का नाम न बोल सकेंगे
जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा
मन में लिये उमंग जिन्हें चिर काल कलपना होगा ।

यही मानवतावादी कवि 'परशुराम की प्रतीक्षा' में दिल्ली में मदमस्त बैठे अहंवादी को चेतावनी के स्वर में समझता है कि तू मदमस्त बैठा है, जबकि पूरा देश भूखों मर रहा है, हलाहल पी रहा है–

सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है,
दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है ।

भारत पर चीनी आक्रमण एक ऐतिहासिक रोमांचक घटना थी, जिससे संपूर्ण भारत को हिला दिया 'हिंदी चीनी भाई-भाई' की आड़ से चीन ने भारत को धोखा दिया । इससे रोषाकुल कवि का उद्घोष है– ''चीनी है, दुश्मन है, सब के लिए काल है ।'' 'परशुराम की प्रतीक्षा' में अत्यंत ओजस्वी कविताएँ हैं, क्रान्ति मचाने का आह्वान है और बताया है कि वर्तमान परिस्थिति में परशुराम की प्रतीक्षा है, जिनके एक हाथ में परशु और दूसरे हाथ में कमण्डल है । यही कवि 'नीम के पत्ते' में स्वतंत्र भारत के मानव की परमुखापेक्षी मनोवृति पर कटाक्ष करते हुए समझाता है कि मनुष्य अपना भाग्य निर्माता है, उसे अपने बल-भरोसे पर रहना होगा–

नेताओं का मोह मूढ, केवल तुझको ठगने वाला है,
लगा जोर अपने भविष्य का बन तू आप प्रणेता ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् की कविताओं में कवि को भारत की जटिल समस्याओं पर विचिन्तन करते हुए हम देखते हैं । मानव की संकुचित भावनाओं को विस्तार देने का वह आकांक्षी है । 'रेणुका' में ही कवि नवमानवता का स्वप्नदृष्ट रहा–

हे प्राचीन! नवीन मनुज को सुविलोचन दो
मन मन मिलेंगे जहाँ देवता, वह विशाल मन दो ।

सारांश यह कि दिनकर नवज़ागरण के कवि हैं । उनका काव्य भारतीय राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक गरिमा के चित्रों से भरा पड़ा है । कभी वे भारत के अतीत गौरव का चित्र उतारते हैं तो वर्तमान काल के शोषण एवं अनीति पर रोष प्रकट करते है । कहीं देश की दारुण दयनीय दिशा को बदलने के लिए ध्वंसात्मक क्रान्ति का आह्वान करते हैं । वे क्रान्तिकारी के रूप में प्रकट होते हैं, कभी हिंसा का समर्थन करते से जान पड़ते हैं । उनके क्रान्ति के स्वर प्रबल एवं प्रभावकारी हैं । वे किसी वाद विशेष से प्रभावित नहीं, पर भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक हैं । उनकी संपूर्ण कविताओं में उन्मेष, उत्साह, पौरुष एवं उतेजना के स्वर विद्यमान हैं । उनके कवि-व्यक्ति का मूल्यांकन करते हुए कविवर सुमित्रानंदन पंत ने ठीक ही कहा है– ''दिनकर सामाजिक चेतन का कवि रहा है । उसकी ओजस्वी हुँकार में प्रभावोत्पादकता का गहराई से अधिक उसके उन्मुक्त व्यक्तित्व की ही छाप मिलती है । यह सब होने पर भी वह शक्ति का कवि है-दिनकर एत्तर छायावादियों में प्रथम श्रेणी के कवि हैं ।''

रीतिकालीन नगर-वर्णन

–श्वेता पपरेजा*

हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल (संवत 1700 से 1900) का महत्वपूर्ण स्थान है । इस काल में शृंगारिक रचनाओं और दरबारी काव्य का प्रणयन हुआ । इस काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ । विलासी प्रवृति के राजा यहाँ विद्यमान थे, जिनमें प्रदर्शन-प्रियता की भावना थी । समाज में ऊंच-नीच का भेदभाव था । यहाँ समाज ग्रामीण और नगर दो प्रकार के वर्गों में बंटा हुआ था । नगर के लोग सभ्य जीवन व्यतीत करते थे । जहां नगर समाज में चतुर-चालाक लोग रहते थे, वहीं ग्रामीण समाज में अपेक्षाकृत सीधे, सरल लोग रहा करते थे, जिनका मुख्य कार्य खेती करना हुआ करता था । नगरों में अनेक मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते थे जैसे:- पतंग उड़ाना, चौसर खेलना आदि । स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग करती थीं और आभूषण धारण करती थीं, विभिन्न प्रकार के व्रत, उत्सवों आदि का प्रचलन था । इस काल के शासक नारी-रसिकता के साथ-साथ अपने कला-प्रेमी व्यक्तित्व के लिए भी प्रसिद्ध थे । भव्य महलों, इमारतों आदि से उस समय की विकसित स्थापत्य-कला का ज्ञान होता है । रीतिकाल में धनी और दरिद्र दोनों प्रकार के वर्ग रहते थे ।

अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रित होते थे और उनकी प्रशंसा में काव्य-रचना किया करते थे । अत: यहाँ चाटुकारिता का साम्राज्य था । कवि अपने आश्रयदाताओं का प्रशस्ति-पाठ करते हुए उनके नगर का, उनके राजवैभव और विलासिता का वर्णन किया करते थे । साथ ही कुछ कवि नगर-जीवन का उल्लेख भी करते थे । आचार्य केशवदास ने अपनी कृति रामचंद्रिका में अयोध्या नगरी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है । रामचंद्रिका के आरंभ में विश्वामित्र जी अयोध्या आते हैं । विश्वामित्र जी को अयोध्या नगरी जैसे प्रतीत हुई, कवि केशवदास उसका वर्णन करते हैं । कवि ने नगर की शोभा, वैभव का वर्णन किया है । साथ ही नगर के बाग, नदियों, पर्वत, जलाशय का भी सुंदर वर्णन

रीतिकाल के प्राय: सभी कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे । इसलिए अपने आश्रयदाताओं से जीविका प्राप्त करने के लिए उनके वैभव और प्रताप का गुणानुवाद करना इन कवियों के लिए आवश्यक था । रीतिकालीन कवियों ने वैभव विलास में मग्न आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है । जिस प्रकार इन कवियों ने अपने आश्रयदाता का चित्रण किया है, उसी प्रकार उनके नगर का, उनके राजवैभव का भी वर्णन किया है । रीतिकाल में कवियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में नगरों का तथा नगर समाज का वर्णन किया गया है । नगर समाज से अलग-थलग न होकर समाज के ही अंश होते हैं इसलिए समाज का वर्णन भी समग्र रूप से किया गया है । नगर को कस्बे, गाँव, पुर आदि से बड़ी इकाई माना जाता है ।

नगर में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगे होते हैं । नगरों में विभिन्न प्रकार की कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन भी होता है । राजाओं की राजधानी को भी नगर माना जाता है, जहां विशाल भवन, अट्टालिकाएँ आदि होती हैं । नगर में सरोवर और झीलें हुआ करती हैं, विभिन्न राजमार्ग होते हैं ।

भारत में प्राचीन काल से ही नगरों का अस्तित्व देखने को मिलता है । प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर विख्यात हैं । उसके पश्चात् रामायण काल के नगरों की जानकारी प्राप्त होती है । रामायणकालीन संस्कृति में अयोध्या, लंका, किष्किंधा आदि अत्यंत सुंदर नगर मिलते हैं । महाभारत काल के नगरों में प्राय: दुर्ग बने होते थे । बुद्धकालीन और जैनकालीन नगरों में बड़ी-बड़ी शालाएँ होती थी । मौर्यकालीन नगर भी कलात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित थे । गुप्त साम्राज्य में स्थापत्य कला विकसित हुई । राजमार्ग, ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएँ, महल, उपवन आदि की रचना होने लगी । इस प्रकार भारत में नगरों का स्वरूप बदलता रहा है ।

* 366-बी, पाकेट-2, फेज-1, मयूर विहार, दिल्ली- 110091

4035 HA/13—7A

किया है । राजाओं के महलों, राज सभा, द्वार की शोभा को भी विस्तारपूर्वक बताया है । कवि ने नगर में प्रचलित चारों वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र और वैश्यों के विषय में भी चर्चा की है । नगर के ऊंचे घरों, पताकाओं, सजावट से नगर की शोभा अत्यंत सुंदर जान पड़ती है । अयोध्यावासी विद्वान तथा योग्य है । इस नगर में कोई धन का लालची नहीं है । यहां किसी की दुर्गति नहीं है । चहुं ओर सुख ही सुख है । नगर की गलियां स्वच्छ और सुंदर हैं । कवि ने वन-वर्णन के अंतर्गत दंडक वन की शोभा का भी वर्णन किया है । पंपासर का वर्णन किया गया है । अयोध्या वर्णन के अतिरिक्त रामचंद्रिका में जनक नगरी का भी वर्णन है । जनक नगर के बाग, तालाब आदि की शोभा देखने योग्य है । यहाँ की नागरियाँ नूपुरों और मोतियों की मालाओं से सुशोभित होती हैं । जनक दरबार, रावण के शयनगृह, राम के शयनागार के वर्णन से हमें तत्कालीन राजाओं के दरबारों और शयनागारों का बोध होता है । नगर में चौगान का खेल प्रचलित था । संगीत, नृत्य आदि भी प्रचलन में थे । खान-पान के अंतर्गत 56 प्रकार के भोजन का वर्णन है । राजाओं, रानियों के आभूषणों से हमें तद्युग में प्रचलित आभूषणों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है ।

बिहारी ने नगर-निवासियों की विशिष्ट प्रवृत्ति, चतुरता, रहन-सहन, विलासिता आदि का चित्रण सतसई में किया है । तत्कालीन समाज में रहने वाले नगर और ग्राम्य दोनों प्रकार के लोगों की गतिविधियों का वर्णन कवि ने किया है । नगर-वर्णन के अंतर्गत बिहारी ने नगर और ग्राम के अंतर को भी स्पष्ट किया है । नागरी नायिका के सौन्दर्य का वर्णन किया है तथा साथ ही गाँव की गँवारी का चित्रण भी किया है । तत्कालीन नगर में प्रचलित रीति-रिवाजों, आभूषण, वेशभूषा के वर्णन के साथ-साथ उपवनों, सरोवरों का भी आकर्षक वर्णन किया है कवि के अनुसार कलाओं के अधिष्टता नगरों में ही होते हैं। गाँव में कला की पहचान करने वाला कोई नहीं होता। कवि ने नगर निवासियों के घरों में लगे दर्पणों के विषय में चर्चा की है उन्होंने तत्कालीन नागर-जीवन के विविध चित्रों को अपनी रचना में उभारा है। उस युग के दानियों, कंजूसों पर व्यंग्य किया है । नगर निवासियों की विलासिता, नगर के राजमार्गों की चर्चा की गयी है । उत्सव, खेलकूद, नृत्य, व्रत, त्योहार आदि को भी स्पष्ट किया गया है ।

कवि मतिराम ने ललित ललाम ग्रंथ के अंतर्गत अपने आश्रयदाता राव भावसिंह के नगर के ऐश्वर्य, शान-शौकत का वर्णन किया है । कवि के अनुसार बूंदी नगर निवासी अत्यंत सदाचारी और सात्विक वृत्ति के हैं । यह नगर अपनी सुख-समद्धि के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध था । यहाँ सब प्रकार की सुख-सुविधाएं थीं । नगर धन-धान्य से भरपूर था । कवि ने बूंदी नगर के भवनों, राजमहलों, अट्टालिकाओं का भी वर्णन किया है । महलों की शोभा दर्शनीय है । सुंदर और स्वच्छ मार्ग हैं । कवि ने राजमार्गों के ऐश्वर्य और शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि बूंदी नगर का राजपथ प्रशस्त था । दोनों ओर बाज़ार थे । हीरे जवाहरात आदि बहुमूल्य पदार्थों का क्रय-विक्रय होता था । इसके अतिरिक्त कवि मतिराम ने नगर के पशु-पक्षियों का भी वर्णन किया है । नगर के उद्यान वृक्ष, पुष्प, फल आदि से सुशोभित हैं । भौंरों की गुंजार और पक्षियों के मधुर कलरव मन को मोहने वाले हैं । नगर के जलाशय, बावड़ी, कुएं, तालाब आदि नगरवासियों की जल-आपूर्ति के साधन हैं । कवि बूंदी नगर वासियों के विषय में बताते हैं कि वे लोग सदाचारी और सज्जन होने के साथ-साथ चतुर तथा विवेकसम्पन्न भी थे । उनकी रूचि ललितकलाओं, धर्म, दर्शन आदि में भी थी । महलों में संगीत समारोह, उत्सव तथा क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता था । मतिराम ने अपने आश्रयदाता की राजधानी बूंदी को स्वर्ग से भी अधिक समृद्ध, सुंदर और सुखदायक बताया है ।

कवि भूषण के काव्य में तत्कालीन मानवीय जीवन, सभ्यता और संस्कृति के अत्यंत सजीव चित्र मिलते हैं। इन्होंने भी अन्य रीतिकालीन कवियों के समान अपने आश्रयदाता के राजवैभव की अभिव्यक्ति की है । कविवर भूषण ने शिवाजी के नगर रायगढ़ की शोभा का वर्णन किया है । उन्होंने रायगढ़ के किले की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर वर्णन किया है । इससे हमें शिवाजी के राजवैभव और विलासिता का पता चलता है । साथ ही कवि ने अपने आश्रयदाता के बागों का भी वर्णन किया है । इससे हमें नगर के बागों की सुंदरता का ज्ञान होता है । तत्कालीन समय में प्रचलित अस्त्र-शस्त्रों, युद्ध उपकरणों की भी सूची कवि ने प्रस्तुत की है । शासक के किले, ऊंचे परकोटे, गहरी खाइयाँ, कुएं, बावड़ियाँ, बाग-बगीचे, महल, राजपथ के विषय में भी कवि ने चर्चा की है । संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्रों का वर्णन किया गया है ।

4035 HA/13—7B

शिवराज भूषण में महाकवि भूषण ने रायगढ़ का खूबसूरत चित्र प्रस्तुत किया है । रायगढ़ की पहाड़ी के चारों तरफ झरने झरते हैं । सुंदर तालाब, सभागृह आदि का वर्णन है । रात को रायगढ़ के महलों में दीपमलिकाएँ जलती हैं । कवि ने उद्यानों, पक्षियों आदि का भी वर्णन किया है । चौपड़, कबड्डी, कलाबाजी, शिकार तत्कालीन शासकों के मनोरंजन के साधन थे । भूषण ने नगर तथा वहाँ के जीवन की खूबसूरत अभिव्यक्ति की है । तत्कालीन नगर की सरचना, व्यापार, लोक विश्वास, प्रसाधन, रहन-सहन, खान-पान, विलासिता आदि का चित्र हमें भूषण-काव्य में प्राप्त होता है ।

कवि वृंद ने भी अन्य रीतिकालीन कवियों के समान अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है । राजा रूपसिंह के प्रताप का वर्णन करते हुए वृंद कहते हैं कि इन्होंने उच्च कोटि के सात्विक भावों से युक्त रूपनगर नाम का नगर ही बसा दिया था । कवि ने रूपनगर का सुंदर वर्णन किया है । वहाँ के राजभवन, सरोवर, उद्यानों की चर्चा की है । कवि ने राजा रूपसिंह के धन-वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन किया है । इससे हमें नगर के विलासी जीवन और सुख समृद्धि का पता चलता है । कविवर वृंद के काव्य में समाज के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है । ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था । नगर और ग्राम्य दोनों प्रकार की संस्कृति के लोग समाज में रहते थे । जहां नागर लोग चतुर-चालाक होते थे वहीं ग्रामीण सीधे और सरल होते थे । नगरों में सुख-सुविधाएं तथा विकास के साधन उपलब्ध होते थे जबकि ग्रामीण पिछड़े हुए होते थे । नगर लोगों को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी । कवि ने नगर के बाग-बगीचों, बाज़ारों, राजमहलों, उद्यानों आदि का भी वर्णन किया है । साथ ही ग्रमीण लोगों के व्यवसाय तथा गतिविधियों की भी चर्चा की है । कवि ने धनी और निर्धन लोगों की सामाजिक स्थिति की भी चर्चा की है । तत्कालीन समाज की परिवार व्यवस्था, प्रथाओं, विवाह पद्धति का भी वर्णन कवि वृंद ने अपने काव्य में किया है । वृंद-काव्य के अध्ययन से हमें उस युग में प्रचलित वस्त्रों, आभूषणों, सौन्दर्य प्रसाधनों, मनोरंजन के साधनों, उत्सवों का भी बोध होता है ।

कवि देव ने रसविलास के अंतर्गत नागरी नायिकाओं तथा नागर समाज की चर्चा की है, जिससे हमें प्रकारांतर से उनके द्वारा किए गए नगर-वर्णन का ज्ञान होता है । देव ने तत्कालीन नगर तथा नगर-निवासियों की गतिविधियों के विषय में चर्चा की है । उस समय नगरों में दलाल होते थे, जौहरी होते थे, ग्वालिनें होती थीं, लुटेरे होते थे । ब्राह्मणों, गुरुजनों का आदर-सत्कार किया जाता था । उन्हें समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था । स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी । कवि ने तत्कालीन प्रचलित वेशभूषा का वर्णन किया है । सौन्दर्य-प्रसाधनों, आभूषणों का वर्णन किया गया है । देव ने नागरी नारियों के गुणों पर भी चर्चा की है । गणिका को समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था । तद्युगीन समाज में स्त्रियाँ भी कार्य करती थीं । जौहरिनी, छीपनी, पटविन, सुनारिन, गंधिन, तेलिन तमोरिन, कंदुनि, बनिनी, कुम्हारिन, दरजिन, चूहरी आदि जातियों से हमें उस समय के नगर में प्रचलित व्यवसायों का पता चलता है । कवि ने चारों वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रों की चर्चा करने के साथ-साथ नगर में रहने वाले नाई, धोबी, माली के विषय में भी बात की है । साथ ही कवि ने वन-प्रदेश में बसे छोटे से कस्बे की भी चर्चा की है, जिसे गाँव कहते हैं तथा वहाँ वास करने वाली ग्रामीण स्त्रियों को गँवारी कहा जाता है । इनमें ग्वालिनी, कहारिन और नूनेरिन की चर्चा की गयी है । इससे स्त्रियों द्वारा किया जाने वाले कार्यों का ज्ञान होता है । साथ ही उस युग में प्रचलित खान-पान के बारे में पता चलता है । देव ने भवनों का भी वर्णन किया है जिससे हमें नगर के महलों का ज्ञान होता है ।

सोमनाथ ने महाराजा बदनसिंह के विशाल भवन, बगीचे, महल आदि का वर्णन किया है । कवि ने दीर्घनगर का सुंदर वर्णन किया है । वहाँ के भवन, खेत-खलियान, बाग तथा तालाब का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । दीर्घनगर के गढ़, बंगलों, पताकाओं आदि का वर्णन किया गया है । साथ ही दरवाजों, चौराहों, बाज़ारों, दुकानों और विविध जाति के लोगों की चर्चा भी की गयी है । बाग, फल, फूल, राजाओं के हाथी, घोड़ों का भी सुंदर वर्णन किया है । कवि सोमनाथ महाराजा प्रताप सिंह के दरबार का भी वर्णन किया है । घोड़ों का वर्णन, गजों का वर्णन किया गया है । कवि ने आश्रयदाताओं द्वारा मनाए जाने वाले पर्वों की चर्चा की है ।

कवि पद्माकर ने भी राजाओं के वैभव और विलासिता का वर्णन किया है । युद्ध वर्णन, सेना वर्णन किया गया है । तत्कालीन नगर में प्रचलित वस्त्रों, आभूषणों, प्रसाधनों,

खान-पान, मनोरंजन के साधनों का वर्णन कवि पद्माकर के काव्य में मिलता है । फलों की खूब चर्चा की गयी है । तत्कालीन महलों का वर्णन किया गया है । विभिन्न पर्वों, उत्सवों का वर्णन किया गया है । तत्कालीन नगर में गनगौर की प्रथा प्रचलित थी । पद्माकर ने गननौर के मेले की चर्चा की है । कवि ने अपने काव्य में वर्णाश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया है । वैवाहिक रीति रिवाजों तथा प्रथाओं का उल्लेख भी मिलता है । राजमहल के वैभव, संकेत स्थल, प्रकृति का चित्रण कवि ने अत्यंत सूक्ष्मता से किया है ।

रीतिकाल में विभिन्न कवियों द्वारा किए गए नगरों के वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि जहां कुछ कवि अपने आश्रयदाताओं के भव्य नगरों का वर्णन किया करते थे वहीं कुछ कवि ऐसे भी थे जो अपने काव्य में ग्रामीण और नागर संस्कृति की चर्चा करते थे । कवि केशवदास, मतिराम, भूषण तथा सोमनाथ ने भव्य नगरों, ऊंचे भवनों के विषय में बात की है तथा बिहारी; वृंद, देव तथा पद्माकर ने नागर-संस्कृति पर अधिक चर्चा की है । रीतियुग के अधिकतर नवाब विलासी थे तथा शृंगारिक कविता उनकी विलास सामग्री का एक भाग बन गयी थी । अत: यह स्वाभाविक ही था कि इनके आश्रय में रहने वाले कवि भी इस प्रकार की रचनाओं द्वारा उन्हें प्रसन्न करते । ये कवि उनकी वैभव संबंधी प्रशस्तियां लिखकर उन्हें प्रसन्न करते थे । राजाओं के खूबसूरत महलों उपवनों सरोवरों आदि का वर्णन करने के अतिरिक्त नगर की अन्य गतिविधियों पर भी प्रकाश डालते थे । इस प्रकार के वर्णन में रीतिकालीन कवि सफल सिद्ध हुए हैं इसमें कोई संदेह नहीं । ■

हम इतना तो कर सकते हैं

- हिंदी में हस्ताक्षर करें ।
- हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दें ।
- हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करें ।
- हिंदी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर हिंदी में पते लिखें ।
- परिपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, करार, निविदा प्रपत्र, सूचना को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करें ।
- मुलाकाती कार्ड, रबड स्टाम्प, नाम पट्ट, डीओ लैटर हैड दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में बनवाएं और उसका प्रयोग करें ।
- विभाग के सभी कंप्यूटरों पर बहुभाषी शब्द–संसाधक यूनिकोड लोड करें ।
- फाइल कवर, स्टेशनरी आदि पर कम्पनी का नाम दोनों द्विभाषी में ही दें ।
- हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दें ।
- उपस्थिति विवरण, जन्मदिन, बधाई पत्र फार्म भरना इत्यादि काम हिंदी में करें ।
- हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लें ।
- हिंदी पुस्तकालय की पुस्तकों, समाचार पत्र व पत्रिकाओं का लाभ उठाएं ।
- हिंदी कार्ड की सहायता से छोटी-छोटी टिप्पणियां लिखने का प्रयास करें ।
- फाइलों के ऊपर विषय हिंदी-अंग्रेजी में लिखें ।
- अपने साथियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दें ।

युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती

–टी आर आर्य*

लोग कहते हैं अक्सर जमाना बदलता है,
मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं ॥

आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे महान एवं साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बल बूते पर ही समाज एवं देश को बदल डाला । जन्म से गुजराती थे उनकी मातृभाषा भी गुजराती थी । संस्कृत एवं वेद शास्त्रों के महान विद्वान थे । तप और बह्मचर्य की साक्षात मूर्ति थे साथ ही साथ महान योगी भी ।

जिस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा देश की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक व्यवस्था एक दम छिन्न-भिन्न हो चुकी थी । जाति प्रथा अपना विकराल रूप धारण किए हुए थी । सम्पूर्ण राष्ट्र बहुत सी छोटी-छोटी रियासतों में बंटा हुआ था । धर्म के नाम पर अनेक आडम्बर फैले हुए थे । बहुत सारे मत मतांतर फैले हुए थे । छुआ-छूत, अशिक्षा तथा बाल विवाह आदि कुप्रथाएं समाज, राष्ट्र तथा संस्कृति पर कुठाराघात कर रही थी । ऐसी विकट समय में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ ।

बाल्यकाल में सन्यास ग्रहण कर उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से वैदिक संस्कृत, योगाभ्यास आदि का काशी में प्राज्ञ चक्षु विरजानंद दंडी के चरण कमलों में बैठ कर वेदाध्यन एवं वैदिक संस्कृत तथा अनेक आर्ष ग्रंथों के अध्ययन के साथ-साथ योगाभ्यास भी किया । शिक्षा समाप्त होने पर गुरु के आदेशानुसार वे धर्म एवं संस्कृति के प्रचार के लिए देश के कोने-कोने में गए तथा उन्होंने तत्कालीन पंडितों, गुरुओं तथा इस्लाम मतावंबियों एवं पादरियों से क्रमबद्ध रूप में शास्त्रार्थ किया तथा अपनी प्रखर बुद्धि से सत्य सटीक तर्क प्रस्तुत कर उन्हें परास्त कर दिया । उनका नारा था "वेदों की ओर लौटो" Back to the vedas. परिणामस्वरूप अन्य मतों के समर्थक भी वैदिक धर्मावलंबी हो गए ।

महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति अर्थात हिन्दू संस्कृति को बचाने के लिए वेदों का वैज्ञानिक भाष्य अत्यंत सरल हिंदी अर्थात सरल आर्य भाषा में किया अन्य आचार्यों द्वारा भ्रांतियुक्त किए गए वेदों के भाष्यों के समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया और वेदों को अपौरूषय प्रतिपादित किया तथा उन्होंने यजुर्वेद के मंत्र का उल्लेख कर केवल ब्राह्मणों को वेद पठन-पाठन करने के कथन का खंडन किया और ईश्वर के उपदेश को इस प्रकार प्रस्तुत किया -----

यथेमाम् वाचम् कल्याणी मा वदानि जनेभ्य ।

ब्रहम राजन्याभ्याम् शूद्राय चारणाय चश्वाय ॥

अर्थात ईश्वर उपदेश देता है कि मैंने मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी वेदवाणी का उपदेश दिया अर्थात ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र के लिए है ।

महर्षि दयानंद अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई शिक्षा पद्धति को देखकर बहुत दुखी हुए । उनका मानना था कि जब तक इस देश में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के स्थान पर भारतीय परम्परा के अनुरूप प्राचीन शिक्षा पद्धति अर्थात गुरुकुल पद्धति को स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने समाज को सही दिशा नहीं दे पाऐंगे तथा न ही राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे । इसीलिए उन्होंने जगह-जगह पर गुरुकुल खुलवाए तथा लुप्त हुई प्राचीन शिक्षा पद्धति को फिर से प्रतिष्ठापित किया ।

महर्षि दयानंद के अवतरण के पूर्व धर्मान्ध गुरूओं द्वारा यह उक्ति प्रसिद्ध थी "स्त्री शूद्र को पढ़ाना नहीं चाहिए । उन्होंने अपने उपदेशों में जन-मानस को यह बताया कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश बादलों की वर्षा आदि पर

* सहायक महाप्रबंधक (हिंदी) भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय, (पूर्व) 10ए, मिडिलटन रो, कोलकता -700071

4035 HA/13—8A

सभी मानव मात्र का समान अधिकार है उसी प्रकार विद्या पढ़ने और पढ़ाने का भी सभी को समान अधिकार है चाहे वे पुरूष हो या स्त्री । इसी अवधारणा के अनुरूप उन्होंने कन्या गुरुकुलों की स्थापना कराई । आज इसी के परिणामस्वरूप पढ़-लिखकर अनेकों विदूषी महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हैं तथा धार्मिक कृत्यों में पुरोहित एवं वेद पाठ करती है ।

तत्कालीन समाज में स्त्रियों का कोई भी स्थान नहीं था उन्हें भोग की वस्तु समझा जाता था तथा अबला आदि कहकर उन्हें अपमानित किया जाता । वे पुरूष प्रधान समाज में अपनी बात स्वतंत्रता से नहीं रख सकती थी । उन्होंने वैदिक मान्यताओं के अनुरूप स्त्री जाति को सम्मानीय पद पर आसीन कराया । उनका कहना था :-

यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तंत्र देवता ।

यत्रै तास्ते न पूजयन्ते सर्वास्तत्रा अफला क्रिया ।। मनुस्मृति ।।

अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है जहां उन्हें पूजा नहीं जाता वहां पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है ।

महर्षि के सार्थक अभियान के फलस्वरूप आज स्त्रियां भोग की वस्तु न रहकर समाज और राष्ट्र के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभा रही है तथा राजनीति एवं सरकारी तथा गैर सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं ।

समाज में जाति प्रथा बहुत विकराल रूप धारण किए हुए थी । समाज पर जन्मजात ब्राह्मणों का आधिपत्य था । ब्राह्मण अपने सद्कर्मों से हट चुके थे तथा विद्याध्ययन, अध्यापन आदि छोड़ कर निजी स्वार्थ में लिप्त होकर समाज को सही दिशा न देकर समाज का शोषण करने में लगे हुए थे ''ब्रहम वाक्यम् जनार्दन'' अर्थात ब्राह्मणों का कथन ईश्वर का कथन होता है'' जिस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने पर पाप लगता है ।

इस सब कपोल कल्पित मान्यताओं एवं उक्तियों का महर्षि ने तर्क सम्मत रूप में खंडन किया । उनका कहना था ---

शूद्रो ब्राहमणतामेति ब्राहमणश्चैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवंतु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ।। मनुमृति ।।

अर्थात जो मनुष्य विद्या अध्ययन व वेदों एवं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा वह भले ही ब्राह्मण के कुल में जन्म ले परन्तु वह ब्राह्मण न होकर शूद्र है और जो शूद्र कुल में पैदा होकर विद्याअध्ययन तथा वेदों आदि का अध्ययन कर विद्वान होगा वही वास्तव में ब्राह्मण है । उनका यह भी मानना था की जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कारों से ब्राह्मण होते है ''जन्मना जायते शूद्रों, संस्कारात् द्विज उच्यते'' ।

महर्षि दयानंद वेदों के अनुकूल वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते । उनका मानना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज रूपी शरीर के अभिन्न अंग हैं । किसी भी एक अंग/वर्ण के अभाव में शरीर अधूरा रह जाता है इसी प्रकार समाज के चारों वर्ण अपना अलग-अलग महत्व रखते हैं ।

इस बात को प्रमाणित करने के लिए यजुर्वेद के इस मंत्र का उन्होंने उल्लेख किया, --

ब्राहमणोस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यक्रतः ।

उरू तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम् शूद्रोजायत : ।।

इस प्रकार उन्होंने जाति प्रथा का खंडन कर वर्णव्यवस्था का प्रचार किया और समाज एवं राष्ट्र को बचाने हेतु पारस्परिक वैमनस्य एवं मतभेद एवं घृणा का उन्मूलन किया ।

बाल-विवाह तथा सती-प्रथा समाज में एक खतरनाक नासूर बन चुकी थी जिसका उन्मूलन करना असंभव प्रतीत हो रहा था । महर्षि दयानंद ने अपने सुप्रयासों तथा तार्किक बल के माध्यम से बाल-विवाह तथा सती-प्रथा का उन्मूलन किया तथा विधवा विवाह को प्रबल समर्थन दिया इसी के परिणामस्वरूप आज समाज में विधवा विवाह निसंकोच हो रहे है ।

महर्षि दयानंद सरस्वती, सच्चे राष्ट्र प्रेमी थे वे भारत की परतंत्रता से बहुत दुखी थे तथा उन्होंने अपने प्रवचनों एवं लेखों के माध्यम से तत्कालीन समय में अंग्रेजों के विरूद्ध अनेक योजनाएं बनाई उनका कहना था ''विदेशी राजा कितना ही अच्छा क्यों न हो परन्तु वह स्वदेशी खराब राजा से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता ।

महर्षि दयानन्द देश को आजाद कराने में अत्यन्त व्याकुल थे इसका स्पष्ट उदाहरण इस घटना से परिलक्षित होता है --

4035 HA/13—8B

एक बार महर्षि दयानंद धर्म प्रचार के दौरान सभा में प्रवचन कर रहे थे उसी समय अंग्रेज वायसराय ने आकर स्वामी जी से पूछा "आपको हमारे शासन में धर्म प्रचार करने में कोई बाधा तो नहीं आ रही ? इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया "नहीं" । तब वायसराय ने स्वामी जी से प्रार्थना की "आप ईश्वर से कृपया यह प्रार्थना किया करें कि भारत में अंग्रेजी राज्य सदा-सदा के लिए बना रहे" । इतना सुनते ही स्वामी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होने तपाक से उच्च स्वर में उत्तर दिया "मैं ईश्वर से यही प्रर्थना करूंगा कि भारत में अंग्रेजों का राज्य अभी समाप्त हो जाए और सभी अंग्रेज तत्काल यहां से चले जाएं" यह उदाहरण स्वामी की निर्भीकता तथा स्वतंत्रता के प्रति अगाध प्रेम को परिलक्षित करता है । स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना कर सरदार भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, वीर सावरकर, सरदार उधम सिंह आदि अनेकों स्वतंत्रता सेनानी तैयार किए जिन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की बलि दी थी इस बात का इतिहास गवाह है कि आर्य समाजों में स्वतंत्रता संग्राम के समय में बम तथा अन्य युद्ध करने की सामग्री तैयार की जाती थी इससे अंग्रेज बहुत भयभीत थे ।

महर्षि दयानंद अखंड राष्ट्र के समर्थक थे । उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए गुजराती भाषा-भाषी होते हुए भी बंगाली विद्वान स्व. केशव चन्द्र सेन से प्रेरित होकर हिंदी सीखी तथा अपने सभी ग्रन्थ हिंदी में ही प्रकाशित किए उनका मानना था कि "हिंदी ही सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है ।

परिणामस्वरूप आज आर्य समाज एवं उनके द्वारा स्थापित स्कूलों/कालेजों में हिंदी माध्यम से शिक्षा-दीक्षा दी जाती है तथा आर्य समाज के सभी कार्य हिंदी में ही होते हैं ।

ब्रिटिश काल में बहुत पहले जबकि हंटर साहब की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग बैठा था तो स्वामी जी ने उनके सामने हिंदी का पक्ष स्थापित करने के पक्ष में साक्षी देने के लिए उच्च पदारूढ़ और संभ्रात मनुष्यों को प्रोत्साहित किया था । इन सब बातों की आलोचना करने से स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि इस सन्यासी के हृदय में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने हेतु हिंदी को राष्ट्रभाषा प्रतिष्ठपित कराने की कितनी प्रबल इच्छा थी ।

महर्षि के हिंदी प्रेम को "हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. सम्पूर्णानंद ने इन शब्दों में दर्शाया है"---

"यह स्मरण रखने की बात है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आन्दोलन का श्री गणेश हिंदी क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं किया गया । यह आन्दोलन विशाल दृष्टि रखने वाले उन चारों व्यक्तियों द्वारा हुआ था जो स्वयं अहिंदी भाषी थे । आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे । उन्हीं का अनुसरण किया बंकिम चन्द्र चटर्जी, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने । ये शुद्ध और सहज राष्ट्र भावना ही थी, जिसने उनको राष्ट्रीयकरण के सर्वाधिक सुलभ उपकरण के रूप में हिंदी को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया" ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती सत्य कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे उनकी यह सत्यप्रियता स्वार्थी और झूठे लोगों को रास नहीं आती थी इसलिए उन्हें ईंट-पत्थर मारे गऐ और उनका विभिन्न प्रकार से अपमान किया गया । परन्तु अपने आत्मबल और सहिष्णुता से राष्ट्र एवं समाज तथा मानवता के कल्याण हेतु वे हंसते-हंसते सब कुछ सहते गए और अपने सत्य के पथ से तनिक भी विचलित नहीं हुए ।

इस प्रकार महर्षि दयानंद ने अनेकों कष्ट उठाकर भूखे-प्यासे रहकर तथा सर्दी-गर्मी सहकर प्रतिकूल वातावरण में रहते राष्ट्र एवं मानव उत्थान का कार्य किया जिसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा ।

राजभाषा से है शान हमारी ।
हिंदी में है जान हमारी ।

विश्व में मदारिन नहीं; हिंदी है पहले स्थान पर (शोध पत्र 2012)

डॉ.–जयन्ती प्रसाद नौटियाल*

पृष्टभूमि:

1981 में आरंभ हुई मेरी भाषा शोध का परिणाम सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका राजभाषा भारती में 1997 में प्रकाशित हुआ था इस शोध को भारत के भाषाविदों, बुद्धिजीवियों व हिंदी प्रेमियों ने खूब सराहा तथा सुझाव दिया कि विश्व के प्रमुख देशों के दूतावासों से जानकारी प्राप्त करके इस शोध को विश्वस्तर पर हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए। इन सुझावों को अमल में लाते हुए मैंने विश्व के समस्त दूतावासों से सम्पर्क करके अपनी शोध में प्रामाणिक सामग्री जुटाई व सन् 2005 में यह शोध रिपोर्ट विश्व के कोने - कोने में इन्टरनेट के माध्यम से व वेब पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित हुई। जिसमें हिंदी जानने वालों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ। विश्व के कुछ विद्वानों ने इस शोध पर कुछ स्पष्टीकरण माँगा व कुछ ने हिंदी व उर्दू को एक भाषा मानने पर असहमति जताई लेकिन मैंने भाषा- विज्ञान के सिद्धांतों व व्याकरण संरचना के सिद्धांतों द्वारा उन्हें इस मत पर सहमत कराया कि हिंदी व उर्दू एक ही भाषा है। उर्दू को हिंदी की एक शैली कहा जा सकता है और उपभाषा के रूप में इसे हिन्दुस्तानी नाम दिया जा सकता है इन बिंदुओं को समेकित करते हुए सन् 2007 में इस शोध को पुन: अद्यतन किया गया। इस नए गणना विधान से भी विश्व में हिंदी पहले स्थान पर ही रही।

इस शोध की पुन: समीक्षा की गई व विश्व के विद्वानों से प्राप्त इनपुट की मदद से इसमें नवीनतम जनसंख्या के आधार पर आँकड़ों की जाँच व प्रति जाँच से नवीनतम शोध रिपोर्ट 2009 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में विश्व में भौगोलिक खण्ड के आधार पर आँकड़े दिए गए। इस बार भी हिंदी का स्थान प्रथम ही रहा व चीनी भाषा दूसरे नंबर पर रही। अब तक शोध के परिणाम को सार रूप में निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है।

(आँकड़े मिलियन में)

शोध रिपोर्ट का वर्ष	विश्व में हिंदी जानने वाले	विश्व में चीनी जानने वाले	अंतर
शोध रिपोर्ट 1997	800	730	+70
शोध रिपोर्ट 2005	1022	900	+122
शोध रिपोर्ट 2007	1023	920	+103
शोध रिपोर्ट 2009	1100	967	+133
शोध रिपोर्ट 2012	1200	1050	+150

स्रोत: डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल द्वारा किया गया शोध अध्ययन सन् 2012

शोध रिपोर्ट 2009 के बाद भी यह भाषा शोध अध्ययन जारी रहा। इसकी नवीनतम रिपोर्ट 2012 में तैयार हो चुकी है। इस रिपोर्ट का सार आगे दिया जा रहा है।

2012 की शोध रिपोर्ट के परिणाम

यह शोध रिपोर्ट भी इस सत्य को उजागर करती है कि विश्व भर में हिंदी जानने वाले सबसे अधिक हैं चीनी भाषा अर्थात् मदारिन जानने वालों की संख्या हिंदी से काफी पीछे है। आज की जनसंख्या के हिसाब से विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या 1200 मिलियन है तथा विश्व में मदारिन जानने वाले 1050 मिलियन हैं। यह स्पष्ट है कि हिंदी

*सहायक महाप्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर-575001

जानने वालों की संख्या में निरंतर तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है जबकि चीनी भाषा (मदारिन) की गति धीमी है । इसके निम्नलिखित कारण हैं :

1. चीन में मदारिन की अपेक्षा अंग्रेजी का मोह बढ़ रहा है । हिंदी आसान भाषा होने के कारण भारत में व विश्व में बड़ी तेजी से हिंदी सीखने की होड़ सी लगी है ।

2. चीन की जनसंख्या को पहले मदारिन के जानकर दर्शाते हुए सम्पूर्ण आबादी की गणना पहले ही हो चुकी है । अत: इसमें बढ़ोत्तरी सिर्फ जनसंख्या वृद्धि होने पर ही हो रही है जबकि भारत की जनसंख्या में केवल खड़ी बोली जानने वालों को ही हिंदी भाषा के अन्तर्गत गिना जाता था । मेरे इस शोध से स्थिति में बदलाव आया है ।

3. भारत की उप बोलियों अन्य भाषाओं के स्थान पर नई पीढ़ी केवल हिंदी को पारिवारिक व सामाजिक व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुकी है अत: नई पीढ़ी हिंदी की जानकर हो गई है ।

4. हिंदी फिल्मों/गानों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यह पसंदीदा भाषा है । विज्ञापन जगत की तो यह आधार भाषा बन गई है । विज्ञापन अंग्रेजी में होने पर भी "टैग लाइन" हिंदी में होना, हिंदी के प्रति जनता के बढ़ते प्रेम को दर्शाता है ।

5. भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है । दक्षेस देश (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) कभी भी एक मुद्रा (अर्थात् रुपया) और एक भाषा यानि हिंदी को अपना सकते हैं । वैसे भी दक्षेस देशों में हिंदी का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है ।

6. भारत सरकार द्वारा हिंदी प्रचार के लिए किए जा रहे प्रयासों से तथा अनेक गैर सरकारी हिंदी सेवी संगठनों के निस्वार्थ व समर्पित प्रयासों से हिंदीतर क्षेत्रों में भी हिंदी को सीखने की प्रवृत्ति, निरंतर बढ़ी है । आज भारत का कोई शहर या कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ हिंदी को जानने वाले न हों । यह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि हिंदी की स्वीकार्यता भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी बढ़ी है ।

हिंदी-उर्दू विवाद की समाप्ति:

भारत में आजादी से पूर्व हिन्दू तथा मुस्लिमों में धार्मिक वैमनस्य पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने उर्दू को अलग भाषा बता कर हिंदी और उर्दू को अलग-अलग करने की नाकाम कोशिश की । सत्य यह है कि उर्दू का जन्म भारत में हुआ । इसे पहले "हिन्दवी" या "देहलवी" कहा जाता था । मुगल सेना के शिविरों (कैंपों) में भी यह भाषा व्यवहृत होती थी । जो, हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि उर्दू भारत में जन्मी भाषा है । मुगल शासकों की बेगमें अरबी, फारसी के शब्दों को हिंदी वाक्य रचना में, ब्रज भाषा की कोमलता लिए हुए बोलती थी । इन तीन सुकोमल तत्वों से उर्दू भाषा बनी है । इसलिए उर्दू में इतनी नज़ाकत और नफासत है । उर्दू को पहले "बेगमानी जुबान" भी कहा जाता था अर्थात् बेगमों की भाषा । यह भाषा लाल किले से बाहर आई तो मुगल सिपाहियों, दरबारियों व दुकानदारों तक जा पहुँची । यही है उर्दू भाषा का इतिहास । उर्दू में सारा व्याकरण और वाक्य संरचना हिंदी की है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से उर्दू और हिंदी एक भाषा की दो शैलियाँ है । व्याकरण की दृष्टि से दोनों एक ही हैं ।

दोनों भाषाओं में अंतर कैसे ?

वस्तुत: अंग्रेजी के भाषा द्वेष संबंधी षडयंत्र में फंस कर शुद्धितावादी मुल्लाओं ने उर्दू में अरबी और फारसी के कठिन से कठिन शब्द जोड़ने शुरू कर दिए व इसे लिखने के लिए नस्तालिक लिपि अपना ली । दूसरी ओर शुद्ध हिंदी के पक्षधर पंडितों ने हिंदी में संस्कृत के कठिन से कठिनतम शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे यथा संभव बोझिल व जटिल बना दिया । इसके परिणाम स्वरूप दोनों शैलियों में दूरियाँ बढ़ती चली गई और दोनों ही जन सामान्य में दो भाषाओं के रूप में देखी जाने लगी ।

सामान्य बोलचाल की हिन्दुस्तानी भाषा ही हिंदी है । अत: हिंदी व उर्दू के रूप में अलग-अलग देखना बहुत बड़ी भूल है । लिपि अलग होने से भाषा नहीं बदलती । देवनागरी लिपि में 8 भाषाएँ लिखी जाती हैं परन्तु उन्हें हिंदी नहीं कहा कहा जाता । इसी प्रकार फारसी लिपि होने से उर्दू अलग भाषा

4035 HA/13—9A

नहीं हो सकती । उत्तर भारत में उर्दू देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है ।

हिंदी तीसरे या चौथे नंबर पर क्यों ?

विश्व में भाषा संबंधी वेब साइटों में व विश्व में भाषा संबंधी आँकड़े रखने वाली संस्थाओं ने हिंदी के नाम पर सिर्फ खड़ी बोली के आँकड़े इकट्टे किए हैं । हिंदी की बोलियाँ जो हिंदी भाषा का अभिन्न अंग हैं व बृहत्तर स्वरूप में वे हिंदी ही हैं उनके आँकड़े अलग-अलग दर्शाए जाते है । इन सब उपभाषाओं/बोलियों जैसे राजस्थानी, अवधी, ब्रज, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी आदि को हिंदी भाषा में नहीं जोड़ा गया । इस प्रकार हिंदी जानने वालों की संख्या मात्र 500 मिलियन तक दिखाई जाती है जबकि विश्व में हिंदी जानने वाले 1200 मिलियन हैं व चीनी जानने वालों की संख्या विश्व में 1050 मिलियन है । विश्व की भाषाओं में हिंदी का पहला स्थान है व मंदारिन का दूसरा स्थान है । विश्व के विद्वानों से मैं पुनः अपील करता हूँ कि वे हिंदी जानने वालों की संख्या दिखाते समय हिंदी को पहले स्थान पर दिखाएँ व चीनी (मदारिन) भाषा को दूसरे स्थान पर ।

आश्चर्यजनक किंतु सत्य !!!!!!

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की कुल जनसंख्या सात अरब है (7028891239) इनमें से हिंदी जानने वाले 1207393250 हैं । अर्थात् हर छठवाँ व्यक्ति हिंदी जानता है !!

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी :

संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं में विश्व की सर्वाधिक जानी जाने वाली भाषा का अधिकृत भाषा न होना भारत का अपमान है । विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की भाषा को स्थान न देकर संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की 1/6 आबादी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है । भारत के व सभी स्वाभिमानी व राष्ट्रप्रेमी नागरिकों से तथा विश्व के हिंदी प्रेमियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनाने में सहयोग दें ।

भाषा शोध-कथ्य और तथ्यः

इस भाषा शोध अध्ययन में मैंने जो कुछ कहा है वह केवल कपोल कल्पना नहीं बल्कि तथ्यों और आंकड़ों का गहन अध्ययन और विश्लेषण करके कहा है । इसके प्रमाण स्वरूप भारत में तथा विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या अनुबंध-1 एवं अनुबंध-2 में दी जा रही है । वर्तमान शोध में व इससे पूर्व शोध में राष्ट्रवार हिंदी जानने वालों की संख्या में कहीं-कहीं काफी अंतर है । इसके कई जनसांख्यकीय कारण हैं । कुछ मामलों में संबंधित राष्ट्र के आंकड़ों व विश्व स्तर पर भाषा संबंधी आंकड़े रखने वाली संस्थाओं के आंकड़ों में पाई गई विसंगतियों, तथा विश्व के विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के कारण यह अंतर आया है । अनुबंध-1 में भारत में हिंदी जानने वालों की संख्या दी गई है तथा अनुबंध-2 विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या दर्शाता है ।

अनुबंध-1

भारत में हिंदी जानने वालों की संख्या

राजभाषा अधिनियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार 'क' क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य/संघ शसित क्षेत्र	कुल जनसंख्या	हिंदी जानने वाले	हिंदी जानने वालों का %
1.	अंडमान एवं निकोबार	3,79,944	3,79,944	100
2.	बिहार	10,38,04,637	10,38,04,637	100
3.	छत्तीसगढ़	2,55,40,196	2,55,04,196	100
4.	दिल्ली	1,67,53,235	1,67,53,235	100
5.	हरियाणा	2,53,53,081	2,53,53,081	100
6.	हिमाचल प्रदेश	68,56,509	68,56,509	100
7.	झारखंड	3,11,69,272	3,11,69,272	100
8.	मध्य प्रदेश	7,25,97,565	7,25,97,565	100
9.	राजस्थान	6,86,21,012	6,86,21,012	100
10.	उत्तराखंड	1,01,16,752	1,01,16,752	100
11.	उत्तर प्रदेश	19,95,81,477	19,95,81,477	100
	कुल	**56,07,73,680**	**56,07,73,680**	**100%**

4035 HA/13—9B

संशोधित राजभाषा अधिनियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार 'ख' क्षेत्र

12.	चंडीगढ़	10,54,686	9,49,218	90
13.	दादर एवं नगर हवेली	3,42,853	3,80,568	90
14.	दमन एवं दीव	2,42,911	2,18,620	90
15.	गुजरात	6,03,83,628	5,43,45,265	90
16.	महाराष्ट्र	11,23,72,972	10,11,35,675	90
17.	पंजाब	2,77,04,236	2,49,33,812	90
	कुल	**20,21,01,286**	**18,18,91,158**	**90%**

संशोधित राजभाषा अधिनियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार 'ग' क्षेत्र

18.	आन्ध्र प्रदेश	8,46,65,533	4,23,32,766	50
19.	अरूणाचल प्रदेश	13,82,611	4,83,914	35
20.	असम	3,11,69,272	1,24,6,709	40
21.	गोवा	14,57,723	10,93,293	75
22.	जम्मू एवं कश्मीर	1,25,48,926	1,12,94,033	90
23.	कर्नाटक	6,11,30,704	3,05,65,352	50
24.	केरल	3,33,87,677	1,50,24,454	45
25.	लक्षद्वीप	64,429	19,329	30
26.	मणिपुर	27,21,756	12,24,790	45
27.	मेघालय	29,64,007	8,89,202	30
28.	मिजोरम	10,91,014	3,27,304	30
29.	नागालैंड	19,80,602	39,612	20
30.	उड़ीसा	4,19,47,358	2,30,71,046	55
31.	पांडिचेरी	12,44,464	2,48,892	20
32.	सिक्किम	6,07,688	3,64,612	60
33.	तमिलनाडु	7,12,38,958	1,44,27,791	20
34.	त्रिपुरा	36,71,032	11,01,309	30
35.	पश्चिम बंगाल	9,13,47,736	5,02,41,254	55
	कुल	**44,55,21,490**	**20,52,16,662**	**46.06%**

सारांश

	कुल जनसंख्या	हिंदी जानने वाले	प्रतिशत
क-क्षेत्र	56,07,73,680	56,07,73,680	100.00
ख-क्षेत्र	20,21,01,286	18,18,91,158	90.00
ग-क्षेत्र	44,55,21,490	20,52,16,662	46.06
कुल -संपूर्ण भारत	1,20,83,96,456	94,78,81,500	78.44
भारत को छोड़कर अन्य देश	5,82,04,94,783	25,95,11,750	04.45
सम्पूर्ण विश्व	7,02,88,91,239	1,20,73,93,250	17.17

स्रोत डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल द्वारा किया गया शोध अध्ययन सन् 2012

विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या

अनुबंध-2

क्रम सं	देश	हिंदी जानने वाले
(1)	(2)	(3)
1	भारत	947800000
2	पाकिस्तान	160000000
3	बांग्लादेश	56500000
4	नेपाल	18000000
5.	म्यांमार	3000000
6	मलेशिया	2700000
7	यूनाईटेड किंगडम	2500000
8	अमेरिका	2200000
9	दक्षिण अफ्रीका	1500000
10	सऊदी अरब	1500000
11	संयुक्त अरब अमीरात	1400000
12	कनाडा	1200000
13	बंगलादेशी शरणार्थी (भारत में)	1000000
14	मॉरिशस	880000
15	भूटान	800000
16	फीजी	500000
17	त्रिनिडाड और	480000
18	कुवैत	470000
19	ओमान	465000
20	गुयाना	420000
21	सिंगापुर	310000
22	कतार	300000
23	सूरीनाम	260000
24	नीदरलैंड	260000
25	बहरीन	260000
26	थाईलैंड	170000
27	केनिया	150000
28	ऑस्ट्रेलिया	121000
29	यमन	110000
30	फिलीपीन	109000
31	जर्मनी	100000
32	इटली	100000
33	इंडोनेशिया	100000
34	तिब्बत शरणार्थी (भारत में)	100000
35	रीयूनियन (फ्रांस)	100000
36	नाइजीरिया	98000
37	श्रीलंका	96000
38	न्यूजीलैंड	92000
39	मैक्सिको	90000
40	तंज़ानिया	90000
41	जमैका	80000
42	इस्राइल	75000
43	फ्रांस	70000

(1)	(2)	(3)
44	पुर्तगाल	62000
45	हांगकांग	48000
46	अफगानिस्तान	47000
47	स्पेन	40000
48	मोज़ांबीक	40000
49	रूस	37000
50	लीबिया	30000
51	मैडागास्कर	29000
52	युगांडा	28000
53	बोट्सवाना	26000
54	चीन	25000
55	पोलैंड	24000
56	अर्जेंटीना	23500
57	ज़ाम्बिया	22000
58	जापान	20000
59	स्वीट्ज़रलैंड	19000
60	स्वीडन	18000
61	नॉर्वे	17000
62	कोरिया	16000
63	ऑस्ट्रिया	14000
64	सेशेल्स	12500
65	लेबनान	12000
66	बेल्जियम	12000
67	ब्रुनेई	11000
68	मालदीव	10000
69	ग्रीस	10000
70	यूक्रेन	9000
71	फिनलैंड	8500
72	इक्वाडोर	7500
73	ग्वाटेमाला	7200
74	घाना	6500

(1)	(2)	(3)
75	निकारागुआ	6000
76	विएतनाम	6000
77	वैनेजुएला	5900
78	सूडान	5800
79	सेंट लूसिया	5700
80	प्युरटो रिको	5700
81	जॉर्डन	5500
82	पनामा	5000
83	इजिप्ट	5000
84	साइप्रस	5000
85	दक्षिण कोरिया	3000
86	डेन्मार्क	3000
87	ब्राजील	2500
88	ताइवान	2500
89	सीरिया	2400
90	आयरलैंड	2300
91	ज़िंबाब्वे	2000
92	चेक गणतंत्र	2000
93	कज़ाकिस्तान	1700
94	सीरा लियोन	1500
95	इथिओपिया	1400
96	वर्जिनिया	1400
97	उज़बेकिस्तान	1400
98	ईरान	1300
99	चिली	1300
100	कोंगो	1250
101	शेष 105 देशों में	100000
कुल		**1207393250**
विश्व की कुल जन संख्या		**7028891239**
हिंदी जानने वालों का %		**17.17**

स्रोत: डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल द्वारा दिया गया शोध अध्ययन सन् 2012

ग्लोबल वार्मिंग-मानव जीवन के लिए एक चुनौती

-योगेन्द्र प्रसाद*

नराकास,जमशेदपुर के तत्वावधान में बैंक ऑफ बड़ोदा जमशेदपुर द्वारा आयोजित 'निबंध प्रतियोगिता' में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत रचना
—संपादक

ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य विश्व के औसत तापमान में हो रही वृद्धि के परिणामस्वरूप जलवायु चक्र में हो रहे अप्रत्याशित परिवर्तनों व सम्बन्धित हानियों से है । औद्योगिक विकास,जनसंख्या वृद्धि, वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी, जंगलों व वनक्षेत्र में कमी आदि कारणों से वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है । इन कारणों से पर्यावरण में कार्बनडाई ऑक्साइड, मीथेन, कार्बनमोनो ऑक्साइड, आदि गैसों की मात्रा बढ़ जाती है । इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसे कहा जाता है । ये गैसें पृथ्वी पर आ रहें सौर तापमान को अवशोषित कर लेती है तथा पर्यावरण के तापमान में बढोत्तरी हो जाती है । पेड़ पौधे इन गैसों की मात्रा कम करते है, लेकिन वनों की कमी के कारण ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा कम नहीं हो रही है ।

ग्रीन हाऊस गैसों की वजह से वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि के कारण विश्व के समक्ष तात्कालिक व दूरगाभी दोनों प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई है । तात्कालिक चुनौती यह है कि तापमान बढ़ने के कारण ध्रवों पर जो बर्फ जमी है वह पिघल जायेगी तथा समुद्रों का जलस्तर बढ़ जायेगा, परिणामस्वरूप समुद्रतटीय अथवा समुद्रों के मध्य स्थित द्वीप व छोटे देश जलमग्न हो जायेगें । इसलिए समुद्र से घिरे देशों तथा निचले क्षेत्रों में स्थित तटीय जनसंख्या की चिंता अधिक बढ़ गई हैं । वैश्विक तापमान बढ़ने से जलवायु चक्र में होने वाले परिवर्तनों से दीर्घगामी खतरे उत्पन्न हो गये हैं । जलवायु के अप्रत्याशित व्यवहार से बाढ़, सुखा, अनियमित जलवृष्टि और समुद्री तूफान आदि का खतरा उत्पन्न हो गया है । वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप जलवायु चक्र में होने वाला उक्त परिवर्तन मानव जाति व उसके पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है । वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र की संस्था इण्टरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज (I.P.C.C.) द्वारा किया जाता है । भारत से आर. के.पचौरी इसी संस्था से जुड़े हुए है । इस संस्था ने 2007 में अपनी चौथी व अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इस संस्था के अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन के संकट से बचने के लिए वैश्विक तापमान सन् 1850 के स्तर से 2^0 सेंटिग्रेट से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए ।

आज मानव जाति अति भौतिकतावादी तथा व्यक्तिगत स्वार्थों की इतनी निकृष्ट पराकाष्ठा तक पहुंच गया है कि वह स्वयं अपनी जाति तथा अन्य प्राणियों का शोषण करने के बाद प्रकृति का भी शोषण करने पर आमादा है । प्रकृति के अनुचित दोहन तथा शोषण के चलते पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं विकराल होती जा रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिग जैसी विसंगतियां जन्म ले रही है । कई विशेषज्ञों की राय है कि अगर प्रदूषण की मौजूदा दर इसी प्रकार बढती रही तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी समय से पूर्व ही जीवन विहीन हो जायेगी । बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से आने वाले कुछ दशकों में ध्रुवों की बर्फ पिघलने से कई समुद्रतटीय शहर जल समाधि ले चुके होंगे, मौसम तथा जलवायु का चक्र टूट जायेगा जिससे खाद्यान्न उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा । हिमालयी क्षेत्र की बर्फ पिघलने से सिंचाई पेयजल तथा जलविद्युत उत्पादन की समस्या विकराल

*फार्म रेडियो रिपोर्टर, आकाशवाणी, जमशेदपुर-13

4035 HA/13—10B

रूप धारण कर लेगी, अनेक जीव तथा वनस्पतियां विलुप्त हो जायेगी । प्रदूषण, तापमान वृद्धि, अम्लीय वर्षा तथा अनियमित मौसम चक्र के कारण जहां परंपरागत रोगों का प्रकोप बढ़ जायेगा, वहीं कई अन्य नये रोग उत्पन्न हो जायेंगे । इसके अलावा विश्व में भयंकर ऊर्जा संकट पैदा हो जायेगा । एक साल में विभिन्न जलवायु तथा मौसमों का लुत्फ उठाने वाले दक्षिण, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका पर इसके प्रारंभिक दुष्परिणाम सर्वप्रथम देखने को मिलेंगे । प्राकृतिक संशाधनों तथा जैववविधता से समृद्ध इन क्षेत्रों पर ही जलवायु परिवर्तन का अधिक असर होगा ।

भारत के लिए जलवायु परिवर्तन का मुद्दा मुख्यत: चार कारणों से महत्वपूर्ण है । पहला, यहां की अर्थव्यवस्था पूर्णत: कृषि पर निर्भर है । तेजी से बदलते मौसम के मिजाज और पिघलते ग्लेशियरों ने किसानों की समस्याओं को बढ़ा दिया है । दूसरा, भारत का काफी बड़ा क्षेत्र समुद्र तट से लगा है इसलिए मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है । तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग का स्वास्थ्य सुरक्षा से भी अमिट सम्बन्ध है- लू, तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से लोगों को जानमाल की हानि तो होती ही है, ओजोन परत में छेद के बढ़ते जाने से अल्ट्रा वायलट किरणों की मात्रा बढ़ने से मोतियाबिंद, इन्फेक्शन, सांस की बीमारियां, पेचिस, हैजा, मलेरिया, डेगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया और कुपोषण से भी प्रतिवर्ष हजारों लोग असमय काल कवलित हो जाते है । चौथा, सूचनाक्रांति के दौर में ई कचरा भी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है । ई कचरा यानी मोबाईल, आइपैड, कम्प्यूटर और दूसरे तमाम इलेक्ट्रोनिक गैजेंट के तेजी से कबाड में परिवर्तित होने से उत्पन्न होता है । इस कचरे में सीसा, कैडमियम, पारा, निकल, लीथीयम प्लास्टिक और एलूमिनियम, आदि धातुएं शामिल होती है जो पर्यावरण के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है । इससे निपटने के लिए रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी में सुधार तथा कठोर नियमों और कानून की सख्त जरूरत है ।

आज ग्लोबल वार्मिंग 21वीं सदी की प्रमुख समस्याओं में से एक है । यद्यपि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या के समाधान हेतु लगातार प्रयास जारी है । पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्योटो प्रोटोकाल- 1997, वाली कार्यवाही योजना-2007, कोपेन हेगन सम्मेलन-2009, एवं कानकुन सम्मेलन-2010 जैसे अन्तर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुए है । हालांकि अभी तक कुछ ठोस परिणाम हासिल नहीं हो सका है ।

नि:संदेह दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही धरती खतरे में है और इसी कारण यह मानव सभ्यता के लिए गम्भीर खतरा है । ग्लोबल वार्मिंग का मानवजीवन के अस्तित्व पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती । केवल सरकार के स्तर पर समस्या का समाधान संभव नहीं है बल्कि इसे एक जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत है । इसमें बच्चों से लेकर वयस्कों तक और स्कूल, कॉलेज, रेजीडेंट, वेलफेयर सोसाइटियों तथा गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो और लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए जो अपने स्तर पर जल, जंगल, जमीन तथा दूसरे प्राकृतिक स्त्रोंतो के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दें । गांवों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । स्कूल, कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम में स्वतंत्र रूप से पर्यावरण विषय को पढ़ाया जाए एवं कैरियर के रूप में व्यवसायिक स्तर पर इसके उच्च अध्ययन की व्यवस्था हो ।

हमें इस बात को सदैव ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का एक छोटा प्रयास भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने में कारगर सिद्ध हो सकता है । जनसंख्या नियंत्रण के साथ अपनी जीवनशैली में बदलाव लाकर हम ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है । चूकिं कार्बन उत्सर्जन रोकने में प्राकृतिक संशाधनों का संरक्षण होना जरूरी है इसलिए नदी व जलसंरक्षण के साथ ही वृक्षारोपण व हरियाली बढ़ाने, चारागाह सुधार, परंपरागत जलस्रोत्रों के उचित रख रखाव, अच्छे जलग्रहण क्षेत्रों के लिए नए तालाबों के निर्माण में भी हमें ध्यान देना होगा । स्थानीय समुदाय का अधिकाधिक सहयोग लेना होगा और पंचायतों की भूमिका सुनिश्चित करनी होगी । प्रत्येक व्यक्ति को बिजली, पानी के संरक्षण पर व्यक्तिगत पहल करनी होगी । ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुआयामी है, कोई भी इसकी आंच से बच नहीं सकता है । वक्त की मांग है कि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलनों के आयोजन के साथ-साथ अब इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर सुलझाने हेतु गंभीरता से विचार करें ।

वित्तीय समावेशन में भाषा की भूमिका

–डॉ. सुनील कुमार*

वित्तीय समावेशन शब्द अब हमारे लिए नया नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 जून, 2006 को गठित समिति की 2008 में प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया था कि करोड़ों लोगों को अभी तक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की सुविधा नहीं मिल पाई है । इस जनसंख्या को वित्तीय प्रणाली के दायरे में लाने हेतु प्रयास करना ही बैंकों का ध्येय है ।

तो क्या सिर्फ नो-फ्रिल खाते खोलने से वित्तीय समावेश हो जायेगा ? नहीं बिल्कुल नहीं । यह तो सिर्फ उस प्रक्रिया का एक भाग है । आइये, पहले हम यह समझ लें कि वित्तीय समावेशन का तात्पर्य क्या है? जैसे हमारे शरीर में कोई कष्ट हो तो डाक्टर सूई लगाकर दवा हमारे शरीर में प्रविष्ट कराता है और हम चंगे हो जाते हैं, उसी प्रकार साधनहीन की जीवनचर्या में पूंजी को प्रविष्ट कराकर उसकी आर्थिक स्थिति को समाज के उच्चतर वर्गों के समकक्ष लाया जा सकता है ।

अब सवाल यह उठता है कि पूंजी क्या है? पूंजी पाँच प्रकार की हो सकती है :-

1. भौतिक पूंजी– सड़क, पुल, नहर, बांध, इमारतें, बिजली आदि ।

2. प्राकृतिक पूंजी –वायु, जल, वन, झरने, पर्यावरण, नदी -नाले आदि ।

3. मानवीय पूंजी –पोषण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि ।

4. सामाजिक पूंजी – संगठन, त्यौहार, समान अवसर, मनोरंजन, कानून व्यवस्था, जीवन शैली का विकास आदि।

5. वित्तीय पूंजी –धन-दौलत, मुद्रा, उधार, लेन-देन आदि ।

इन पूंजियों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। चूंकि हम मूल रूप से वित्तीय प्रणाली के संचालन से जुड़े हुए हैं, अतः हमारा वित्तीय दायित्व अधिक है । धन में वह शक्ति है कि वह किसी भी समाज का कायापलट कर सकता है। अतः कमजोर व निम्न आय वर्ग के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने लायक बनाने का प्रयास करना वित्तीय समावेशन है ।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 60% परिवार ऐसे हैं, जो बैंक से नहीं जुड़े हैं । यदि हम कुल आबादी अर्थात् लोगों की संख्या को आधार बनाएँ, तो ऐसे लोगों का प्रतिशत 85 से अधिक हो जाएगा । 40% परिवार ऐसे हैं, जिनको न तो बैंक के बारे में जानकारी है और न ही वे ऋण का अर्थ समझते हैं । यदि वे कभी बीमार पड़ते हैं तो इलाज के अभाव में मर जाते हैं । उनकी इस दशा में बेहतरी लाने के लिए हमें निम्नांकित कार्य करने हैं :-

1. 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 31 मार्च, 2013 के पूर्व बैंकिंग व्यवस्था की पहुँच को सुनिश्चित करना ।

2. शाखा रहित गांवों में माइक्रो बैंक स्थापित करना मोबाइल बैंक (मोबाइल वैन) की अधिक से अधिक शाखाएं खोलना ।

3. अंगूठा निशान वाले बॉयोमेट्रिक कार्ड जारी करना ।

4. अधिक से अधिक नो-फ्रिल खाते खोलना । यूको जीविका खातों को बढ़ावा देना, जिनमें रु. 500 का गैर जमानती ऋण (ओवरड्राफ्ट) दिया जाता है ।

5. यूको उत्थान सेवा को आगे बढ़ाना, जिसके अंतर्गत गांवों को गोद लेकर उनका उत्थान किया जाता है ।

* प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, यूको बैंक, अहमदाबाद

6. निर्धारित जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) खोलना तथा ग्रामीणों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना ।

7. गरीबों को मामूली प्रीमियम वाली विशेष बीमा पॉलीसी लेने के लिए प्रेरित करना ।

वित्तीय समावेशन की जिम्मेदारी सभी की है और हम भी इसमें शामिल हैं । प़रंतु वित्तीय समावेशन का कार्य पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है ? इसका सीधा संबंध भाषा से जुड़ा हुआ हैं । भाषा का मतलब सिर्फ राजभाषा से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं से भी है । हमारा भारतवर्ष विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, यहां कई प्रकार की भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, परंतु हम अंग्रेजी का मोह छोड़ नहीं पा रहे है । अंग्रेजी, जो हम स्वयं पूरी तरह नहीं समझते, उसे बेचारे अनपढ़ गरीब क्या समझेंगे ? और फिर इस काम में अंग्रेजी की जरूरत भी क्या है ? हमें उन गरीबों को यही तो समझाना है कि वे बैंकिंग से जुड़े और अपनी गरीबी दूर करें ।

हम स्व-सहायता समूह के लोगों को अंग्रेजी में क्या समझा सकते हैं ? किसान क्लब में अंग्रजी झाड़ने से क्या हल निकल आएगा ? किसान क्रेडिट कार्ड धारक को हम अंग्रजी में खेती के गुर कैसे सिखा सकते हैं ? हमें ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना है, उन्हें समझाना है कि बैंक खाता होने से उनको सरकार से मिलने वाली मजदूरी अथवा मनरेगा की राशि बिना किसी कटौती अथवा कमीशन के सीधे उनके खाते में जमा हो जाएगी । यह समझाने के लिये हमें क्षेत्रीय भाषा को अपनाना ही होगा । हमें यदि उन्हें समझना या कुछ समझाना है तो हमें उनके स्तर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए हमारे स्तर तक आ पाना फिलहाल संभव नहीं है । देश की उन्नति के लिये निज भाषा की उन्नति आवश्यक है , यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है :-

'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल,

बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल।

अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन,

पै जिन भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।

हमारी राजभाषा तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा प्रमाणित हो चुकी है, फिर भी हम अंग्रेजीयत का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं ? बांग्लादेश के मोहम्मद युसूफ ने 1976 में जब अपनी जेब से 1000 टका खर्च कर जोबरा गांव की 40 महिलाओं का जीवन बदला था, तब किसको मालूम था कि उनका यह कार्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जायेगा और उन्हें नोबल पुरस्कार मिल जायेगा । यह सम्भव इसीलिए हो सका, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा का दामन नहीं छोड़ा था ।

हमारी भाषा वह पवित्र गंगा है, जिसमें किसी भी भाषा की नदी आकर मिल जाए, तो वह भी पवित्र गंगा का अंग बन जाती है । हमारी भाषा हमारी संस्कृति की निझंरिणी है, अर्थात यह मूल-भाषा संस्कृत का नव-अवतार है । यह हमारे जीवन की वैतरणी है । इसके द्वारा ही हम अपना जीवन सुधार सकते हैं । हमारी भाषा में हमारी माटी की गंध है, अर्थात् इसमें अपनापन का बोध है । हमारी भाषा में वैज्ञानिकता का आनंद है, अर्थात् इसमें उच्चारण दोष नहीं है, या ये कहें कि इसमें जो कहा जाता है वही लिखा भी जाता है । हमारी भाषा को देश की राजभाषा भी घोषित किया गया है । जब हमारी भाषा में इतनी खुबियां हैं तो इसको अपनाने में संकोच क्यों? उपर्युक्त बातें हिंदी भाषा के लिए तो सही हैं ही, थोड़े हेर फेर के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी लागू होती हैं । हम भारतीय जो भी भाषा बोलते-समझते हैं, अपनी संस्कृति रूपी फूलों के हार से बँधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं । अंग्रेजी तो वह चिकना सांप है जिसे मुंह की तरफ से पकड़ो तो काट लेता है और पूंछ की तरफ से पकड़ो तो छूट कर निकल जाता है ।

वित्तीय समावेशन के लिए हमें मुख्य रूप से ग्रामीणों तथा अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को जोड़ना है, जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझते । अत: सारे फॉर्म, दस्तावेज, प्रचार सामग्री, बैनर, पोस्टर, पम्फलेट, आदि हिंदी में ही छपने चाहिएं । जहाँ लोग हिंदी नहीं समझते, ऐसे अन्य भारतीय भाषा क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग अपरिहार्य है । हमें उन्हें यही तो समझाना है कि वे बैंकों से क्यों जुड़े, बैंकों से उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं । एक बार वे बैंकों को अपने सुख-दुख का साथी समझ लें, तो आगे उनकी तथा हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी, क्योंकि वे हमारी तुलना में ज्यादा अच्छे तरीके से अन्य ग्रामीणों को समझा सकते हैं । वे हमारे लिए संपर्क के माध्यम की भूमिका निभा सकते हैं । वित्तीय साक्षरता के लिए स्थानीय भाषाओं के

4035 HA/13—11A

नुक्कड़ नाटकों का सहारा लेना बहुत कारगर साबित हो सकता है । महलों तक तो हमारी पहुंच पहले से ही है, अब झोपड़ियों तक राह बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की पगडंडियां ही हमारी मददगार बन सकती हैं । यदि हमें प्रत्येक कुटी तथा झोपड़ी का अंधकार मिटाना है, उनमें रोशनी के दीए जलाने हैं, तो उन दीयों में हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं का ही तेल डालना होगा ।

इन्हीं बातों को देखते हुए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रथम स्तर पर बैंक के अधिकारियों के अलावा ग्रामीण भाषा को जानने वाला एक मुख्य प्रशिक्षक तथा क्षेत्रीय भाषाएं जानने वाले कुछ अन्य प्रशिक्षक होते हैं । द्वितीय स्तर पर केवल शिक्षित ग्रामीण को ही प्रशिक्षक रखा जाता है, जिससे प्रशिक्षण का स्तर और बेहतर हो सके । इनके प्रशिक्षण से बेरोजगारी अथवा कम रोजगार से ग्रस्त ग्रामीणों में स्वरोजगार का रूझान बढ़ता है, वे कोई न कोई काम शुरू करते हैं और उसके लिए बैंक से जुड़ते हैं ।

आम तौर पर गरीब ग्रामीणों की भाषा को बैंक अधिकारी नहीं समझते, न ही वे अधिकारी स्थानीय भाषा को सीखने में कोई रुचि लेते हैं । यदि अन्य प्रदेशों के बैंक अधिकारियों की पदस्थापना किसी ग्रामीण शाखा में दो या तीन वर्षों के लिए होती है, तो वे उस अवधि को किसी तरह काट कर वापस चले जाना चाहते हैं । वे यदि स्थानीय भाषा को सीख भी जाते हैं तो वापस जाने पर वह भाषा उनके किसी काम की नहीं होती । इसी मानसिकता के कारण वे भाषायी स्तर पर ग्रामीण ग्राहकों से नहीं जुड़ पाते । परिणामस्वरूप ग्रामीण ग्राहक भी उनसे भावनात्मक स्तर पर नहीं जुड़ पाते । वित्तीय समावेशन के इस मौजूदा दौर में यदि क्षेत्रीय भाषा जानने वाले अधिकारियों की पदस्थापना उनके अपने ही क्षेत्र में की जाए, तो भाषाई समानता के कारण गाँवों के गरीब ग्राहकों में विश्वास का संचार होगा तथा बैंक के साथ उनके आपसी रिश्तों में भी प्रगाढ़ता आएगी । इसके निश्चित ही अच्छे परिणाम आएंगे और वित्तीय समावेशन का लक्ष्य शीघ्र पूरा होगा । भाषा की नरमी में वो गर्मी है, जो बाधाओं की बर्फ को पिघला सकती है ।

(यूको टावर, अंक 26/1 से साभार)

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(5) में अन्य बातों के साथ ही यह प्रावधान है कि जब तक वे सभी राज्य अपने विधान मंडलों में अंग्रेजी भाषा की समाप्ति संबंधी संकल्प पारित नहीं कर देते जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है और इन संकल्पों पर विचार के बाद संसद द्वारा अंग्रेजी समाप्त करने संबंधी संकल्प पारित नहीं किया जाता, तब तक हिंदी के साथ अंगेजी भी प्रयोग होती रहेगी ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के तहत 30 सदस्यीय संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई । इस समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों की राय जानने के बाद राष्ट्रपति जी आदेश जारी किए जाते हैं । अब तक इस समिति ने अपनी रिफारिश के सात खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दिए हैं ।

अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि केंद्रीय अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी पाठ प्राधिकृत माना जाएगा । संसद में विधेयक और संशोधन आदि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रस्तुत करने होंगे । धारा 6 के अनुरूप यदि किसी राज्य द्वारा अपने अधिनियमों आदि के लिए हिंदी को छोड़कर कोई अन्य भाषा निर्धारित की है तो उन्हें उस अधिनियम का हिंदी और अंग्रेजी पाठ भी अपने राजपत्र में प्रकाशित करना होगा । यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है ।

मूर्तिकला एवं नृत्यकला का समास

–डॉ. एन. एस. राजगोपालन*

यदं यत् स्थान वाचिक सम्यक् कर्म विधानि संज्ञम्
शक्तो मुक्तो पियत् कर्त संज्ञन्त तत् स्मृतम् ।
यथा कला यथा शकं श्रृंग सनयार्मास (ऋग्वेद)

अर्थात् शब्दों के माध्यम से पूर्णत : जो समझा जा सके वह विज्ञान है, जो गूँगे से व्यक्त होता है वह कला है । मानव अपनी सभ्यता के विकास में कला के रूप में अपने ऐंद्रिक, बौद्धिक, मानसिक भावों को अभिव्यक्त करता आ रहा है । विज्ञान की तुलना में कला अत्यधिक प्राचीन है । जिस प्रकार वाङ्मय विविध साहित्य विधाओं में, जैसे काव्य-गद्य विधाओं में प्रवाहित हो चले हैं उसी प्रकार मनोभाव भी कला की विभिन्न शैलियों में असंख्य विधाओं में बह चला है । टाल्स्टाय कहते हैं कला वह क्रिया है जिसके द्वारा एक मानव एक भाव का अनुभव कर उद्देश्यों तक पहुँच जाता है । कला, कला मात्र तक सीमित नहीं है अपितु मानव की सत्ता उसी पर निर्भर है, क्योंकि मनुष्य एक भावना प्रधान प्राणी है । मनोभावों की साधना कला में परिणत होती है । सौंदर्य शास्त्र की उपज भी कला की परिणति है । कला जीवन की सौहार्दता की परिचायिका है । "मानव समष्टि" की भाव समग्रता एवं चेतना का दर्पण ही कला है । कला का माध्यम कभी ऐंद्रिक कभी वाचिक कभी कालिक है । बाह्य अभिव्यक्ति मूर्तिकला, या वास्तुकला से अधिक प्रदर्शित है । ऐंद्रिय लालित्य ही मूर्तिकला की आधारशिला है । नाटय शास्त्र में भरतमुनि ने कहा न "तज्जज्ञानं न तच्छिलपं न सा विद्या न सा कला" - वेदों में विशेषकर विभिन्न वास्तु कृतियों का उल्लेख मिलता है जो मूर्तिकला का आधार बनता है । बुलाई, बढईगिरी, सोनारी, चमड़े की कसाई, संगीत, चिकित्सा, वास्तु, नृत्य, काव्य आदि का उल्लेख भी वेदों में मिलता है । मोहनजोदडो की वास्तु या मूर्तिकला वेदकालीन या तत्पश्चात कालीन कला कृतियों का ज्वलंत उदाहरण है । पाश्चात्य माइकेल आंजेलो का कहना है The True work of Art is a shadow of Divine perfection. कला का निम्नलिखित वर्गीकरण हो सकता है ।

1. बुनाई 2. बढ़ई 3. लौहारी 4. मृदुभाण्ड 5. सोनारी 6. चर्मकारी 7. माला बनाना 8. केश संस्कार 9. भैष्ज्य 10. संगीत 11. वास्तुकला 12. कढाई 13. नृत्य कला 14. काव्य 15. नाट्य

वास्तुकला या स्थापत्य कला, संगीत, काव्य मूर्तिकला, चित्रकला आदि ललितकलाओं के अंतर्गत आती है । इसमें मूर्तिकला की प्राचीनता निर्विवाद है । वास्तु कला एक बाह्य कला है । इसका आधार भौतिक ज्यादा है । पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि भौतिक मूल धातुओं से यह कला विकसित की गयी है । स्थूल साधन आधिक प्रयोग में हैं । यह कला प्रतीककात्मक कला भी है । दिव्यता को भौतिक साधनों में उतारना कला की निष्पत्ति है । गृह वास्तु, नगर वास्तु, मंदिर वास्तु, ग्राम वास्तु, ग्राम वास्तु इसके अनेक प्रभेद हो चले हैं । आज "वास्तु" के सिद्धांतों पर ही प्लाट घर आदि बनते हैं । आगमों में भी इसका वर्णन मिलता है । विभिन्न धर्मो ने अपने अपने वास्तु विकसित किए हैं ।

मूर्तिकला वास्तुकला से पृथक है क्योंकि मूर्तियों में चिदात्मा का सुष्ठु प्रतिपादन होता है । इसके भी आधार मिट्टी, पत्थर आदि ही होते हैं । कलाकार अपनी कला मेधा की सहायता से इन पदार्थों में चैतन्य लाता है शिल्प कला इसी की शाखा है । ममतामई माँ, विरहातुर स्त्री, मासूम बच्चे आदि की मूर्तियाँ स्वयं बोलती हैं, कलाकार शब्दों के बिना ही भावों को व्यक्त कर देता है । इस कला का विभिन्न विवेचन आनन्द कुमार स्वामी के "The Dance of Shiva" and "Transformation of Nature into Art" में किया गया है । इस ग्रन्थ में विभिन्न मूर्तियों के शिल्पों पर अध्ययन किया गया है ।

भारत में धर्म के आधार पर मूर्तिकला के तीन वर्गीकरण हो सकते हैं । (1) पौराणिक मूर्तिकला (देवी देवताओं की मूर्तियों) (2) बौद्ध मूर्तिकला (तांत्रिक) (3) जैन मूर्तिकला (पौराणिक एवं तांत्रिक) । इसके अलावा इस्लाम एवं ईसाइयों के धर्म पर आधारित वास्तुकला । भारत के संदर्भ में मूर्तिकला प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक में विभाजित की जा सकती है ।

* राजभाषा अधीक्षक लोको वर्क्स, दक्षिण रेलवे, पेरंबूर

वैदिक कला प्राकृतिक देवताओं पर आश्रित है। उसमें मूर्ति के रूप शब्दों में वर्णित हैं। शब्दों को मूर्त रूप देने पर मूर्तिकला विकसित हुई। ऋषियों ने अन्तर्मन से देवी देवताओं का साक्षत्कार किया। कालांतर में उनकी मूर्तियां पुराणों में निवृत हुए। नर, प्राणी से मिश्रित रूपों में उनकी कल्पना की गयी। रुद्र के वर्णन में वेद कहता है "स्थिरैमिशंगै पुरूरूप उग्रो वभ्रुः शुक्रोनिः विपिशे हिरणै" अर्थात सुदृढ भुजाओं, बहुरूपी उग्र वभ्र एवं स्वर्णिम तेजोमय आभावाला। इसी प्रकार "त्रीणिपदाः वियक्रमें विष्णु" कहकर विष्णु के त्रिविक्रम रूप भी वर्णित है। इसकी मूर्तियाँ गंगा तीरों पर आज भी विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित हैं। इसी प्रकार वैदिक देवता विष्णु, मरुत, वायु मित्रावरुण, अग्नि मातरिश्वा ब्रहमा आदि की मूर्तियाँ सृजित हुई। शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की मूर्तिया बनीं। कलात्मक वैविध्य ने इन्हीं मूर्तियों के सहस्त्रों रूपों को प्रदर्शित किया।

समस्त भारत में राजा महाराजाओं के अपने धर्माचरण के अनुसार इष्ट देवताओं की मूर्तियाँ बनीं और कला पोषण खूब हुआ। आज भी जयपुर और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बन रही मूर्तियाँ इनके प्रति मानवीय रूचि दर्शाती हैं।

ऐतिहासिक काल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से मूर्तिकला अपूर्व विकास प्राप्त करने लगी। बौद्ध धर्म के नंदकाल, मौर्यकाल, शुंग काल में मूर्तिकाल चरमोत्कर्ष पर थी। कांची स्तूप, मणि भद्र यक्ष, यक्ष प्रतिमा, मनाओं देवी यक्षी, यक्ष मूर्ति मथुरा, आदि प्रमुख हैं। कुषण काल के सिक्के इस काल की मूर्तिकला के प्रमाण हैं। दक्षिण में आल्वार-नायन्मार संतों पर आश्रित महाराजाओं ने मूर्तिकला का खूब पोषण किया। चिदंबरम की नटराज की मूर्ति समस्त विश्व में अग्रगण्य है। मूर्तियों के भाव प्रेषण में नृत्यों के साथ परिकल्पना भारत की विशिष्ट देन है।

उत्तर भारत की मूर्तियाँ प्रायः प्रस्तरों से बनी रहती हैं। कहीं-कहीं लकड़ी से बनी रहती हैं। दक्षिण में देवस्थानों, गर्भ गृहों की मूर्तियाँ प्रस्तरों से बनी होती हैं। उत्सव मूर्तियाँ प्राय- पाँच लौह के मिश्रण से बनती हैं। शोभा यात्राओं में इन्हीं मूर्तियों को सुसज्जित कर वीथियों में जनहितार्थ ले लिया जाता है। दक्षिण में पल्लव काल, उत्तर में गुप्त काल में हिंदु धर्म की मूर्तिकला को अपूर्व विकास प्राप्त हुआ।

नृत्य कला

भावावेशित मनुष्य सदा अपने अंगों द्वारा उन्हें प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है। समस्त प्राणियों में यह प्रदर्शन होता है। चूंकि मनुष्य बौद्धिक एवं हार्दिक प्राणी है उसकी अभिव्यक्ति रस भरी रहती है। आनन्द के समय हंसना, दुख के समय रोना उनकी प्रकृति की देन है। इसी देन के चलते वह विभिन्न प्रकारों में अपने मनोभाव प्रकट करता है। कालांतर में उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति के लक्षण भी बताए गए जो भरत मुनि के नाटयशास्त्र के रूप में परिणत हुए। यह ही प्राधिकृत लक्षण ग्रन्थ है। प्राचीनता की दृष्टि से भी इसके लिये प्रथम स्थान मिलता है। नृत्य का लक्ष्य "रस निष्पति है"। "विभावानुभावसञ्चारीसंयोगत् रस निष्पति" कहा गया है। नृत्य के द्वारा भोक्ता को ऐसे "रस" अनुभव हो, जो उक्त नर्तक द्वारा अभिनीत किया जा रहा हो। इसे 'साधारणीकरणम्' या आत्मासत् कहा जा सकता है। विभिन्न नृत्यों के घराने कालांतर में विकसित हुए। केरल के कथकली, उडीसा के ओडिसी, कथक आदि।

तमिलनाडु स्थित चिदंबरम की नटराजमूर्ति का आनन्द ताण्डव नृत्य कला एवं मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट सम्मिश्रण है। इसी प्रकार विष्णु की अनेक मूर्तियाँ जैसे कालिंग नर्तन, गणेश के ताण्डव नृत्य, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती का नृत्य, कार्तिकेय की मूर्तियाँ देश भर में मिलती हैं। कोणार्क की देवी मूर्तियाँ नृत्य-मूर्ति कला के मिश्रण के ज्वलंत उदाहरण हैं।

कला के विविध आयामों में मूर्तिकला एवं नृत्यकला एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित कहें तो अत्युक्ति नहीं। दोनों ललित कलाएँ हैं। प्रेमी युगल की भांति मिली हुई हैं। आजकल कला के नाम पर अत्याचार हो रहा है जो वास्तव में "रसाभास" निष्पन्न करता है। मूर्तिकला एवं नृत्यकला का स्थान फिल्मी दुनियाँ ने ले लिया है। कुछ दशकों पूर्व तक वैदिक अनुष्ठान, अग्निहोत्र आदि गृहों में हुआ करते थे। ठीक विपरीत अभिचार अनुष्ठान तंत्र मंत्र जादू भी प्रचलित थे। लोग अभिचार अनुष्ठानों का नाम तक नहीं लेते थें। लेकिन वैदिक अनुष्ठानों के स्थान पर ये अभिचार अनुष्ठान प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उसी प्रकार ललित कला का स्थान सिनेमा ने पूर्णतः हड़प लिया है। सिनेमा में जो कुछ भी कला के नाम पर दिखाया जाता है वह सब रसाभास है। रस नहीं विरस है। दुर्भाग्य की बात है अब की पीढ़ी या आनेवाली पीढ़ी इसी गंदगी को कला संज्ञा देने लगी है, जो कला पर कलंक है। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण ही इन सब कुरीतियों का कारण है। आज पर्यावरण मात्र प्रदूषित नहीं, समस्त कला क्षेत्र प्रदूषित है। इस प्रदूषण से कला, जो भी हो, का रक्षण होना चाहिए। इस छोटे लेख में रामसेतु में गिलहरी कार्य यदि मुझसे संभव हुआ तो मैं अपने को धन्य समझूंगा।

(दक्षिण ध्वनि अंक अक्तूबर -मार्च, 2013 से साभार)

दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के उपाय

–अशोक कुमार चौहान*

सन् 1973 के तेल हादसे के बाद ऊर्जा संरक्षण 70 से 80 के दशक के बीच एक मुख्य कार्य हो गया है।

उत्पादन की कमी एवं उत्पादन खर्च बढ़ने के कारण ऊर्जा खपत को कम करने हेतु नई प्रणालियाँ प्रभावशील हुई हैं। शुरुआत में ऊर्जा संरक्षण प्रचालन एवं रखरखाव पर ही निर्भर था, यह जरूरी हो गया है कि कारखाना एवं मकानों का प्रचालन एवं रखरखाव कार्य ऊर्जा के संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जाए । कारखाना एवं मकानों के निर्माण में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि रखरखाव एवं प्रचालन हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति ही कार्य करें, पिछलें वर्षों की बजाय आजकल ऊर्जा संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है ।

उपयोग हेतु लगाई गई लागत को कम करने हेतु बहुत से उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध हैं। आजकल भवनों के आकर्षण, सुविधाओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखकर ऊर्जा संरक्षण में प्राथमिक सुधार किए जा रहे हैं। ऊर्जा की कीमतों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संरक्षण हेतु ऊर्जा प्रबंधन के आयोजन की कीमतें कोई भी मायने नहीं रखती हैं।

परिचय

संचालन एवं रखरखाव के द्वारा ऊर्जा बचाना एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है । संचालन एवं रखरखाव द्वारा भवनों में ऊर्जा बचत की संभावना करीब 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है इसमें कई महत्वपूर्ण सिफरिशों को शमिल किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपाय, जिनकी इस लेख में चर्चा की जा रही है, वह भौगोलिक स्थिति मौसम व रहन–सहन के कारण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं ।

ऊर्जा संरक्षण के मुख्य बिन्दु

मकान

1. घर के लिए हिट पम्प (ऊर्जा दक्ष सिस्टम) खरीद सकते हैं । गर्मी में ठंडक हेतु वातानुकुलन का उपयोग कर सकते हैं ।
2. गैराज से सटे ऊपरी दरवाजे को बंद रखें जो कि ठंडी हवा को प्रवेश नहीं करने देगा..... दरवाजे एवं हीटिंग बेसमेंट को हमेशा बंद रखें ।
3. गर्म वायु से रेजीसटर एवं रेडीयेटर वाल्व जो कि उपयोग में नहीं आ रहे हैं एवं कमरों के हीट पम्प के साथ बन्द रखें । समूह में लगे उपयोग में न आ रहे, छत की केबल व बेस बोर्ड के थर्मोस्टेट को कम करें ।
4. यह निश्चित करें कि आपके घर में फर्नीचर एवं पर्दों द्वारा वायु रुकावट तो नहीं हो रही है।
5. सर्दी में पर्दों को दक्षिण दिशा की ओर खुलने वाली खिड़कियों की ओर खोलें जिससे कि सूर्य की गर्मी का फायदा लिया जा सके ।
6. गर्मी के मौसम में रसोई एवं स्नानागार के उत्सर्जन पंखों को आवश्यकता के अनुसार ही चलाएं पंखे गर्म हवा को घर के बाहर कर देंगे ।
7. हीटिंग सिस्टम के थर्मोस्टेट को न्यूनतम पर रखें, 68 डिग्री फेरनहाइट /20 डिग्री सेलसिएस के ऊपर 3% की दर से हीटिंग के लिए ऊर्जा की खपत होती है, 68 डिग्री फेरनहाइट/20डिग्री सेलसियस के नीचे 3% की दर से बचत की जा सकती है।
8. ज्यादा लोगों के समूह में थर्मोस्टेट 1–2 डिग्री कम कर देवें ।
9. फरनेस फिल्टर को एक माह में एक बार चेक करें, यदि आवश्यकता हो तो बदल दें ।
10. निर्माता के निर्देशानुसार, फोर्स एयर फरनेस के मोटर एवं पंखों के बियरिंग को बदल दें इसमें आपके उपकरण की जिन्दगी बढ़ जाएगी।

पानी को गरम करना

11. वाटर हीटर को ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ पर ज्यादा गरम पानी की आवश्यकता होती है। यदि गरम पानी के पाइप में छुटा रह जाए तो वह ठंडा पानी

* मुख्य अभियंता, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास

हो जायेगा। लंबे पाइपों में गर्मी का क्षरण अधिक होता है ।

12. गरम पानी की लम्बी लाईन को हमेशा इन्सुलेट करें ।

13. गरम पानी के लिए कम व्यास के पाईपों का इस्तेमाल जिससे ऊर्जा का क्षरण कम होगा एवं पानी की खपत भी कम होगी ।

14. यदि संभव हो सके तो पानी के हीटर की लाईन में एक इन्सुलेट वाटर टेंक पानी के तापमान (insulating waters tank) लगाएं, यह टेंक पानी के तापमान को पाईप में घुसने के पूर्व ही बढ़ा देगा जिससे पानी को गरम करने में कम ऊर्जा की खपत होगी ।

15. पानी के हीटर को इन्सुलेशन कीट द्वारा एवं टेंक को आर-19 द्वारा इन्सुलेट करें । बिजली के कनेक्शन, थर्मोस्टेट, हीटिंग ऐलीमेंट, गैस की सप्लाई, हवा के इनटेक एवं ड्रेन वाल्व (निकासी वाल) को इन्सुलेशन नहीं करें ।

16. फव्वारे के छिद्र को एवं गरम पानी के निष्कासन छिद्र को साफ करें । इस कम खर्चीले काम से ऊर्जा की बचत होगी एवं गरम पानी का उपयोग कम होगा ।

17. रिसाव को रोकें । एक छोटा रिसाव भी एक महीने में कई गैलन पानी बर्बाद कर सकता है।

18. परिवार के सदस्यों को टब स्नान के स्थान पर फव्वारे के स्नान करने के लिए प्रेरित करें । एक व्यक्ति टब के स्थान पर फव्वारे से करीब आधा पानी बचा सकता है।

19. दाँतों की सफाई एवं दाढ़ी बनाते समय नल के उपयोग के स्थान पर एक तश्तरी में पानी भरकर उपयोग करें ।

ठंडा करना (Cooling)

20. घर में हीट पम्प लगावें जिससे प्रशीतक को गर्मी में आराम रहेगा एवं सर्दी में कम कीमत में गर्मी प्राप्त होगी ।

21. अपने घर के ऊपर के कमरे को सूर्य की गर्मी से बचाने हेतु हवादार बनाए रखें ।

22. **अपने वर्तमान घर में हवा के प्रवाह को सही करने के लिए वेन्ट्स (ventes) को बड़ा करें या जोड़ें।**

23. यदि आवश्यकता हो तो अनुभवी व्यक्तियों की मदद से ठंडे करने वाले उपकरणों के आकार को जांचे। बड़े आकार के उपकरण को न लगावे उनसे ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है एवं आर्द्रता भी नियंत्रित नहीं होती है ।

24. वातानुकुलन उपकरण खरीदते समय ऊर्जा दक्षता गुणांक (EFR) को देखें ।

ठंडक की केपेसीटी

EFR= ऊर्जा की खपत

समान्यत: EFR यदि 13 या ज्यादा हो तो-बहुत अच्छा 11 या 12 हो तो -अच्छा

10 से कम हो तो उपकरण को न ले ।

25. कम्प्रेशर एवं सेन्ट्रल वातानुकुलन व हीट पम्प को बाहरी क्षेत्र में रखें यह निश्चित करें कि हवा का प्रवाह सही है या नहीं ।

26. घर की उत्तर दिशा में वातानुकुलन उपकरण को रखें सीधे सूर्य प्रकाश से आपका उपकरण खराब हो सकता है।

27. ठंडा करने के उपकरण के थर्मोस्टेट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट करें । ज्यादा सेटिंग पर ऊर्जा की खपत अधिक होगी ।

28. हवा के वेन्ट को बंद रखें जब आप प्रशीतक द्वारा कमरा ठण्डा कर रहे हैं।

29. अनुपयोगी कमरों में खिड़की व दरवाजे बंद रखें यदि आप सेन्ट्रल कन्डीशनिंग या हीट पम्प का उपयोग कर रहे हो तो रजिस्टर (Register) को बन्द न करें।

30. दिन के उच्चतम गर्मी वाले समय में सूर्य प्रकाश रोकने हेतु शेड व पर्दों का उपयोग करें।

31. खिड़कियों में छज्जे लगाएं ताकि सूरज की रोशनी सीधे कमरे में न पहुँच सके ।

चित्र समाचार

नराकास फरीदाबाद द्वारा आयोजित 'हिंदी कंप्यूटर कार्यशाला' में (बाएं से) श्री राजबीर सिंह, प्रमुख राजभाषा, श्री शेनेल कुमार, महाप्रबंधक तथा श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग में एन आई सी प्रतिनिधि ।

हिंदी कार्यशाला के दौरान विजयी प्रतिभागी को पुरस्कृत करते निर्णायकगण ।

जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन द्वारा आयोजित 'हिंदी कार्यशाला' की एक झलक ।

नराकास अजमेर द्वारा आयोजित 'हिंदी कार्यशाला' का एक दृश्य ।

नराकास चेन्नै द्वारा आयोजित 'संयुक्त राजभाषा सम्मेलन' में भाषण देते हुए श्री एस. एन. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक, चैन्ने ।

नराकास कोहिमा द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह बाएं से श्री आर. नरेश, अध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले.प.) नागालैंड, श्री लालथरा, मुख्य सचिव, नागालैंड सरकार, श्री निखिल कुमार, महामहिम राज्यपाल, नागालैंड, मे. जन. एस. दास, महानिरीक्षक, असम राइफल्स (उ.) कोहिमा तथा वि. के. गिरिजा वल्लभन, महालेखाकार (ले.व ह.) नागालैंड ।

बैंक नराकास मेरठ के अध्यक्ष श्री एम. पी. नागपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक 16-5-2013 में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय गाजियाबाद के उप निदेशक श्री राकेश कुमार, श्री अनुराग शर्मा सहायक महाप्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषाई शील्ड से समानित कर रहे हैं । साथ में हैं श्री वाई. एस. वर्मा, उप मुख्य अधिकारी ।

यूको बैंक, हरियाणा अंचल द्वारा आयोजित 'हिंदी कार्यशाला' का एक दृश्य ।

32. रसोई एवं स्नानागार के निष्कासन पंखे को उसी समय चलाएं जब भाप व धुआँ एवं गर्मी के कारण बदबू हो । ज्यादा समय चलाने से ठंडी हवा बाहर जावेगी ।

33. कुलिंग थर्मोस्टेट से गर्मी निष्कासित करने वाले उपकरणों जैसे बल्ब, टी. वी. को दूर रखें ।

34. वातानुकुलन उपकरण के फिल्टर को गर्मी में महीने में एक बार जरूर साफ करें या आवश्यकता पड़ने पर बदल दें ।

प्रशीतलन (Refrigeration)

35. फ्रिज का आकार अपने पारिवारिक उपयोग के अनुसार रखें। यदि ज्यादा बढ़े आकार के फ्रिज का उपयोग किया तो अधिक ऊर्जा की खपत होगी ।

36. प्रशीतक (फ्रीज) को उसकी क्षमता के अनुसार ही भरें, ऐसी जगह जहाँ हवा का प्रवाह खाद्य पदार्थों के आसपास नहीं हो ऐसा नहीं भरें ।

37. निर्वात क्वाईल जो कि आपके फ्रिज के पीछे या नीचे लगी उसे तीन महीने में साफ करें । गंदी क्वाईल से कम्प्रेशर की दक्षता व ऊर्जा खपत पर असर होता है ।

38. यह निश्चित करें कि प्रशीतक के दरवाजे ठीक से लगे हुए हो, जिससे गरम हवा उसके अन्दर न आ सके । गास्केट(Gasket) के 150 वॉट के बल्व को प्रशीतक के अन्दर लगाकर जाँचे। यदि अन्दर से उजाला दिखाई देता है तो गास्केट बदल देवें ।

39. पीले ऊर्जा गाईड (Yellow Energy Guide) के द्वारा दक्ष मॉडल (Model) ही खरीदें । ऊर्जा लेबल से वार्षिक बिजली खपत देखी जा सकती है।

40. आपके फ्रीज में ऊर्जा बचाव के उपकरण लगाएं जिससे आपके फ्रीज समय पर बंद व चालू हो सके ।

41. छुट्टियों पर जाते समय प्रशीतक उपकरणों को बन्द कर दें ।

42. फ्रिज में तरल पदार्थों को बगैर ढँके हुए न रखें इससे इसमें गंध आएगी एवं तरल पदार्थों की वाष्प से कम्प्रेशर अधिक ऊर्जा खपत करेगा ।

43. खाना बनाने की सभी सामग्री प्रशीतक से एक साथ बाहर निकाले ।

44. बार-बार दरवाजा न खोले । बार-बार दरवाजा खोलने से कम्प्रेसर की ठंडी हवा बाहर निकलने से प्रशीतक ज्यादा समय तक चलाना पड़ता है ।

45. फ्रीज व फ्रीजर को सीधे सूर्य प्रकाश एवं गरम करने वाले उपकरणों को दूर रखें जैसे वाटर हीटर, ओवन एवं डीश वाशर।

46. फ्रीज में बर्फ का जमाव 1/2 इंच से ज्यादा न होने दे, ऐसे समय फ्रीज को डिफ्रास्ट करें ।

प्रकाश व्यवस्था (Lighting)

47. अपने घर के सामान्य बल्व की जाँच करें। कम वाट के बल्ब बदलकर ऊर्जा संरक्षित बल्ब लगाएं । बल्ब के ल्यूमन (Luman) देखे, न की उसके वॉटेज को ल्यूमन बल्ब की चमक को दर्शाता है जबकि वाटेज बल्ब द्वारा लिए गए पॉवर को दर्शाता है ।

48. हमेशा अधिक जीवन वाले बल्बों का इस्तेमाल ऐसी जगह के लिए करें जहाँ बार-बार बदलना संभव न हो । ये बल्ब साधारण बल्ब की अपेक्षा कम उजाला देते हैं ।

49. हर व्यक्ति को कमरे से बाहर निकलते समय लाईट बंद करने के लिए प्रेरित करें । दीवार पर स्विचों की स्थिति इस प्रकार रखें कि हर व्यक्ति आसानी से याद रख सके ।

50. लाईटिंग उपकरण (Fixture) का उनकी दक्षता के आधार पर चयन करें । फ्लोरोसेन्ट बल्ब, साधारण बल्ब की अपेक्षा चार गुना ज्यादा रोशनी देते हैं ।

51. बड़े कमरों में जहां अधिक प्रकाश की आवश्यकता हो वहां दो या तीन फिक्सचर का अलग-अलग सर्किट से लगाना चाहिए । आवश्यक नहीं है कि हमें हर समय अधिक रोशनी की आवश्यकता पड़े ।

52. थ्री वे स्विच या डीमर कन्ट्रोल का उपयोग करके प्रकाश के स्तर को आवश्यकतानुसार कम किया जा सकता है ।

53. फोटो इलेक्ट्रिक कन्ट्रोल एवं टाईमर के लगाने से दिन में बाहरी प्रकाश व्यवस्था को बंद किया जा सकता है ।

54. प्रकाशीय फिक्चर को हमेशा साफ रखें । बल्ब पर धूल, गंदा रिफलेक्टर उजाले को कम करता है ।

55. फर्श, टेबल एवं वाल लेम्प को कमरे के कोने में लगाएं न कि सीधी दीवार पर । कोने पर लगे बल्ब का उजाला दो दीवारों से टकराकर अधिक उजाला देता है ।

56. कमरों की दीवार का रंग, छत, फर्श व फर्नीचर का रंग हल्का रखें, गहरा रंग प्रकाश को सोखता है जिससे ज्यादा वॉट का बल्ब लगाना पड़ता है ।

खाना पकाना (Cooking)

57. बर्तन एवं कढाही की निचली सतह चपटी होनी चाहिए । दक्षतापूर्ण खाना पकाने हेतु कढाही की सतह पर सीधी आँच लगनी चाहिए, टेढ़ी-मेढ़ी सतह में हवा की जगह होती है जिससे ऊर्जा का क्षरण होता है ।

58. बर्तन एवं कढाही का आकार सही होना चाहिए जिससे सतही ऐलीमेंट ढँक जाये । यदि सरफेस ऐलीमेंट का कोई भी हिस्सा छुट जाएगा तो उष्मा का नुकसान होगा ।

59. कढाही की सतह को साफ एवं चमकीला रखें, चमकीली सतह से ताप की किरणें परिवर्तित होती हैं । गन्दी सतहें उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं ।

60. खाना बनाते समय बन्द बर्तनों में खाना बनाने की आदत डालें ताकि कम ऊर्जा में कार्य हो सकें ।

61. जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी गर्म करें । पानी को ढाँकने से जल्दी उबल जाता है ।

62. सब्जियों को अधिक ताप से गर्म करें । जब भाप उत्पन्न हो तो ताप कम कर दें एवं खाने को सीम पर बनने दें ।

63. स्लो कुकर में एक ही खाद्य पदार्थ डालें । ऐसे पदार्थ को कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी ।

64. प्रेशर कुकर का अधिक उपयोग करें । यह पारम्परिक विधि से एक तिहाई समय में खाना पकाता है ।

65. इलेक्ट्रिक ओवन, टोस्टर व ग्रील में कम मात्रा में खाना पकाएं । छोटे उपकरण हमेशा एक तिहाई बिजली खपत में कार्य करते हैं । एक या दो कप कॉफी बनाते समय छोटे, कॉफी मेकर का उपयोग करें ।

66. जहां तक संभव हो सके कनवेक्शनल ओवन के स्थान पर माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करें । माइक्रोवेव ओवन एक चौथाई से कम समय में खाना बना सकता है ।

67. एक ही समय में पूरा खाना बना लें । यद्यपि अलग-अलग खाने का अलग-अलग तापमान होता है । 25 डिग्री सेलसिएस के उतार चढ़ाव से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं ।

68. ओवन में बेकिंग करते समय पूर्व ताप के समय को सावधानीपूर्वक रखें । सामान्यत: 5-8 मिनट का समय सही है । बांफते, सेंकते समय पूर्व में गरम करने की आवश्यकता नहीं है ।

69. ओवन को चलाने के पूर्व ओवन की दराजों को व्यवस्थित करें जिससे ऊष्मा का नुकसान न हो ।

70. ओवन के दरवाजे को बेकिंग करते समय नहीं खोले । प्रत्येक बार दरवाजे को खोलने से बहुत सी ऊष्मा निकल जाती है ।

71. आपके इलेक्ट्रीक ओवन में स्वत: सफाई का बटन चालू रखें ताकि ऊर्जा पूर्ण रूप से खाना बनाने में लगे ।

72. कभी भी ओवन का उपयोग रसोई को गर्म करने या कपड़े सुखाने के लिए न करें । इससे ऊर्जा का नुकसान होता है एवं यह खतरनाक भी हो सकता है ।

सामान्य (General)

73. निष्कासन पंखे, आर्द्रता एवं बिजली के उपकरण के एयर फिल्टर को साफ करें या उन्हें बदल दें। बंद

फिल्टर सही प्रदर्शन नहीं करेगा एवं उपकरण को लंबी अवधि तक चलायेगा ।

74. जब कोई भी टी.वी. नहीं देख रहा हो तो टी.वी. बंद रखें ।

75. कपड़ों को ठंडी इस्त्री पहले करें बाद में आवश्यकतानुसार इस्त्री को गर्म करें ।

76. इस्त्री को कार्य खत्म होने से कुछ समय पूर्व ही बंद कर देना चाहिए और जब तक उपयोग में लाना चाहिए जब तक की उसमें उष्मा मौजूद है ।

77. दरवाजे की घंटी या टेलीफोन बजने पर इस्त्री को बंद कर दें ।

78. गन्दी प्लेटों को डिश वाशर में जब तक इकटठा करना चाहिए जब तक कि डिश वाशर पूर्ण रूप से न भर जाएं डिश वाशर उतनी ही ऊर्जा की खपत करता है ।

79. यदि आपके डिश वाशर में शक्ति बचत का स्विच हो तो इसे बाय पास कर दें । विद्युत उष्मक ऐलीमेंट सुखाने में अधिक ऊर्जा की खपत होती है ।

80. बालों को टॉवेल से सुखाएं न कि ड्रायर से, बहुत से ड्रायर एक इलेक्ट्रिक टोस्टर से ज्यादा बिजली की खपत करते हैं ।

कितनी ऊर्जा बचाई जा सकती है

आपका अगला उद्देश्य होना चाहिए कि कितनी ऊर्जा बचाई जा सकती है, जिसके कुछ निम्नानुसार हैं एवं अनुमाणित ऊर्जा खपत इस प्रकार हैं –

क्र.	ऊर्जा संरक्षण के उपाय	अनुमानित ऊर्जा बचत
1.	सर्दियों में 68 डिग्री फेरेनहाइट/20 डिग्री सेलसिएस पर हिटर सेट करें ।	5 प्रतिशत गर्म करने की ऊर्जा बचाई जा सकती है ।
2.	गर्मियों में 78 डिग्री फेरेनहाइट/25 डिग्री सेलसिएस पर वातानुकूलन को सेट करें ।	3 प्रतिशत ठंडाई करने की कीमत की बचत ।
3.	फरनेस का तापमान उसके उच्चतम दक्षता पर करें। उसका वार्षिक रखरखाव एवं समायोजन करें ।	10 प्रतिशत गर्म करने की कीमत की बचत ।
4.	वातानुकूलन उपकरणों का वार्षिक रखरखाव एवं समायोजन ।	15 प्रतिशत ठंडा करने की कीमत की बचत ।
5.	घरेलू पानी गर्म करने के उपकरणों को 140 डिग्री फारेनहाईट से 110 डिग्री फारेनहाईट/43.33 डिग्री सेलसिएम ।	6 से 12 प्रतिशत पानी गर्म करने की कीमत ।
6.	दिन के प्रकाश का अधिकतम उपयोग ।	50-60 प्रतिशत प्रकाश व्यवस्था की कीमत ।
7.	प्रकाश व्यवस्था का उचित रखरखाव ।	10 प्रतिशत प्रकाश व्यवस्था की कीमत ।
8.	अनुपयोगी लाईट बंद करना ।	17 प्रतिशत प्रकाश व्यवस्था की कीमत ।
9.	लाईटिंग कम करना ।	15-28 प्रतिशत लाईट वर्तमान भवन में, 25-50 प्रतिशत नए भवनों में ।
10.	खिड़कियों में ढंके हुए काँच का उपयोग करें ।	10-13 प्रतिशत ठंडाई एवं गर्मी की कीमत ।
11.	गर्म पानी के पाईप एवं टंकियों पर इन्सुलेशन करना ।	15 प्रतिशत पानी को गर्म करने की कीमत ।
12.	दीवार एवं छत पर उपयुक्त अवरोधक लगाना ।	20 प्रतिशत गर्म करने की कीमत या ठंडा करने की कीमत ।

खुशी के रसायन आपके मस्तिष्क में

–महेशचन्द्र सेठ*

इस प्यारी पृथ्वी पर हर जीव हर समय खुश रहना चाहता है पर अज्ञानवश वह दु:ख भोगता है। प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क में ही सदा खुश रहने की व्यवस्था की है, ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। मस्तिष्क में उत्पन्न किए गए खुशी के हार्मोन हमें खुशी का अहसास कराते हैं। हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले हार्मोन कैसे काम करते हैं तथा इन्हें प्राकृतिक व आध्यात्मिक रूप से कैसे बढ़ा सकते हैं, अब हम यह जानने वाले हैं –

(1) हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हार्मोन 'डोपामाइन' उस वक्त पैदा होता है जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इस हार्मोन की ऊर्जा से हम लक्ष्य पूरा कर पाते हैं। इससे हम अपने पसंद की वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम दिन में ढेरों छोटे-छोटे कार्य करते हैं। अगर हम दिन-भर में किए जाने वाले कामों की सूची बना लें तो मन को एक लक्ष्य मिलता है। और वह सहज ही पूर्ण भी होता है तो मस्तिष्क में उत्पन्न 'डोपामाइन' हमको खुशी व ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इससे आपको सहज स्वास्थ्य भी मिलेगा। इसलिये हर समय आपके पास एक लक्ष्य हो और पूरा करने का प्रयासहीन प्रयास हो तो आप आनंद में गोते लगाएंगे।

(2) एक अन्य हार्मोन 'सेरोटोनिन' हम में विश्वास के भाव को उत्पन्न करता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, सम्मान करता है, कद्र करता है तो हमारे अन्दर जो आत्म सम्मान का भाव आता है वह 'सेरोटोनिन' के कारण होता है क्योंकि यह उत्पन्न होते हैं व क्रियाशील होते हैं। यह सम्मान आपको यह बताता है कि आप ऐसा क्या करें कि आपको सम्मान मिले। इसके लिये आप सबका सम्मान करें तो आपके अन्दर भी खुद के प्रति सम्मान जाग्रत होगा व आप सदा अवसाद से मुक्त रह पाएंगे। खुश रह पाएंगे।

(3) दूसरों के प्रति विश्वास व सम्मान से हमारे मस्तिष्क में 'आक्सीटोसिन' हार्मोन उत्पन्न होता है जो हमें खुश रखता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है व परस्पर विश्वास से ही उसके दैनंदिन कार्य चलते हैं। ऐसे में कही हुई विश्वास टूटने की प्रक्रिया मन में 'आक्सीटोसिन' का स्तर कम करती है तथा व्यक्ति दु:खी महसूस करता है। ऐसे समय में तुरंत विश्वास बढ़ाने वाली क्रियाएँ जैसे प्रार्थना, बच्चों के खेल इत्यादि से ईश्वर पर अपने गुरू पर, लोगों पर विश्वास बढ़ाए और आक्सीटोसिन की खुशी के स्तर तक ले जाए यानि यह तब तक करें जब तक पुन: खुशी महसूस न होने लगे।

(4) हमारे मस्तिष्क द्वारा 'एंडोर्फिन' हारमोन तनाव व थकावट की पराकाष्ठा पर रिलीज किया जाता है। इसके कारण खिलाड़ियों व कसरत करने वालों को ज्यादा स्ट्रेच करने के बाद यह हार्मोन रिलीज होता है जिससे उन्हें खुशी की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब आप प्राकृतिक हँसी, हृदय की हँसी हँसते हैं तब भी यह हार्मोन रिलीज होता है। तो आज से ही प्राकृतिक, हृदय की हँसी ठहाके लगाएं और खुश बनें।

(5) पाँचवा हार्मोन जो हमें जूझने की क्षमता देकर प्रेरित करता है वह है 'कार्टिसोल'। यह हमें आने वाले खतरों से सावधान करता है। व्यक्ति के मन में सुरक्षा का भय हमेशा रहता है इसके बावजूद इस हार्मोन की उपस्थिति के कारण उसमें प्रेरणा जाग्रत रहती है। जैसे ही आपके अन्दर खुशी के रसायन कम होते हैं 'कार्टिसोल' आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब क्योंकि यह जानकारी है तो आप तुरंत ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिससे आपको क्षमताओं का अहसास हो, ''कार्टिसोल' भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

इस जानकारी से हम छोटे-छोटे प्राकृतिक उपायों के द्वारा सजग हो कर स्वयं को निरंतरता से खुश रख सकते हैं। ये उपाय या जानकारी को इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें व खुद खुश रहें व दूसरों को भी खुश रखें। शुभेच्छा।

(प्रयास अंक 9, 2013 से साभार)

*केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, 48, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेराहिल्स-भोपाल

देश की अर्थव्यवस्था में भण्डारण की संकल्पना

-महिमानन्द भट्*

भारत एक कृषि प्रधान देश है । कृषि पुरातन काल से ही देश की अर्थव्यवस्था का आधार-स्तम्भ रही है । कृषि क्षेत्र में निर्भरता के कारण हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना-पहचाना जाता है । देश की बहुसंख्यक जनसंख्या गॉवों में रहती है और उनकी निर्भरता अपने मुख्य व्यवसाय कृषि पर है । प्रारंभ से ही घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा करना सबसे बड़ी सामाजिक प्राथमिकता महसूस की गई और खाद्य उत्पादन पर जोर दिया गया । देश की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रगति के सोपान निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहने के साथ-साथ खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि-जिन्सों का समुचित उत्पादन सुनिश्चित कर विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ता गया । मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में जब देश विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहा है तब नई तकनीकी द्वारा प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और उत्पादों का समुचित विकास करना एवं आर्थिक गतिविधियों में एक नई-स्फूर्ति लाना नितांत आवश्यक है ।

जहां तक भण्डारण की संकल्पना का प्रश्न है, यह उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं मानव । सभ्यता के प्रथम चरण से ही खाद्यान्नों को भविष्य की खपत (उपभोग) तथा बीज के लिए संचय किया जाता था । इस उद्देश्य के लिए गड्ढों, टोकरों, मिट्टी के बर्तनों तथा कोठरों तक में खाद्यान्न संचित किया जाता था जो मौसम की अनुकूलता तथा अन्य कारणों से ही सुरक्षित रह सकता था । ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि प्राचीन काल में आर्य लोग अनाज को अपने कोठरों में रखते थे जिसे माप कर रखा जाता था । भविष्य की चिन्ता ने मानव में संग्रह प्रवृत्ति को जन्म दिया । अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मानव खाद्य पदार्थ एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जहां संघर्षरत रहा वहीं उसके उचित भण्डारण के लिए भी निरंतर सजग रहा । बाइबिल में एक कथा आती है कि ईसा के प्रिय शिष्य जोसेफ ने एक स्वप्न देखा था कि कहीं घोर अकाल पड़ेगा और कई वर्षों तक लोग जीवन के लिए संघर्ष करते रहेंगे । इसी बात को ध्यान में रखकर उसने खाद्य पदार्थों का संग्रह किया और कई लोगों के जीवन की रक्षा की । भारतीय धर्म ग्रन्थों में कुबेर को सभी संपदाओं का स्वामी कहा जाता है जो सारी भण्डारण व्यवस्था का प्रमुख माना जाता है ।

खाद्य पदार्थों की निरन्तर प्राप्ति के अभाव, प्रकृति की अस्थिरता एवं अकाल आदि के दु:खद अनुभव ने मानव को इस बात के लिए विवश किया कि वह खाद्यान्नों को भविष्य के लिए भण्डारित करे और उसकी बर्बादी को रोके । कृषि के साथ-साथ वाणिज्य धीरे-धीरे एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा । मौर्य काल में व्यापार से ही समुचित मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था । वाणिज्य ने, न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी अपनी विशिष्टता प्राप्त की । भारत ने अनेक पश्चिमी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए । पाश्चात्य लोग भारत से सुन्दर मलमल जैसी विलास सामग्री का आयात करने लगे । मिस्र, सीरिया तथा चीन से भारत के व्यापारिक संबंध थे । मुख्य आयातों में सोना, चांदी, कच्चा रेशम तथा दवाएं तथा प्रमुख निर्यातों में कपड़ा, मिर्च, अफीम तथा औषधियां थी । समुद्री मार्गो से व्यापार के लिए बन्दरगाह थे । मौर्य सरकार ने समुद्री जहाजों का निर्माण किया तथा उन्हें भारत और अन्य देशों के बीच वस्तुओं के परिवहन के लिए किराये पर दिया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भण्डारण सुविधाएं बन्दरगाह पर उपलब्ध थी जो अल्प-विकसित थी तथा इनका उपयोग विदेश व्यापार की वस्तुओं की रक्षा के लिए किया जाता था । ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के बर्गेस नामक स्थान पर एक परिवार था जो प्रमुख होटलों तथा भण्डारगृहों का मालिक था । समीपता के कारण व्यापारी व्यापार हेतु वहां मिलते थे जहां नमूनों द्वारा अधिकतर विक्रय कार्य किया जाता था ।

मध्यकालीन यूरोप के वाणिज्य के इतिहास का अध्ययन से यह पता चलता है कि वाणिज्य के प्रसार के लिए अन्य सुख-सुविधाओं के अतिरिक्त टेम्स नदी के किनारे वेअरहाऊसों का निमार्ण किया गया था । वेअरहाऊसों में

* वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा) निगमित कार्यालय केंद्रीय भण्डारण निगम, 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016

भण्डारित माल की सुरक्षा सामान्यतय राज्यों की जिम्मेदारी मानी जाती थी। 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में कई वेअरहाऊस बनाए गए। ऐसा कहा जाता है कि चार्ल्स डिकन ने लंदन में स्थित एक वेअरहाऊस से अपना जीवन आरंभ किया। कृषि क्रान्ति के साथ-साथ औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप पश्चिमी गोलार्द्ध में आर्थिक विकास का चमत्कारिक रूप से उत्थान हुआ। औद्योगिक क्रान्ति की कल्पना फ्राँस से शुरू हुई जिसका जन्म इंग्लैण्ड में हुआ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो समूचे संसार को खिलाने का दावा करता है, वही अनाज का उत्पादन दो शताब्दी पहले तक अपने ही उपयोग के लिए पाता था और कृषि उत्पादन का कुछ भाग ही बाजार में बेच पाता था।

आर्थिक विकास व्यापार एवं वाणिज्य के प्रसार के परिणामस्वरूप विविध श्रेणियों के भण्डारगृहों की आवश्यकता अनुभव की गई ताकि संचय व्यवस्था तथा बची हुई वस्तुओं की खपत की जा सके। इसके लिए कई प्रकार के गोदाम बनाए गए जैसे घरेलू माल गोदाम, फैक्ट्री, फार्म, मिल भण्डार, शाखा भण्डार, विशेष वस्तु गोदाम, सूती कपड़ा गोदाम, ऊन गोदाम, आलू गोदाम आदि। विदेश व्यापार हेतु आयात-निर्यात शेड़ों की आवश्यकता अनुभव हुई। बड़े बन्दरगाहों में पारगमन डिपो की स्थापना भण्डारण आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई। जब तक वस्तु की बाजार में समुचित मांग नहीं होती उस समय तक माल के रचनात्मक और गुणात्मक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उसे गोदाम में वैज्ञानिक ढंग से परिरक्षण करने की आवश्यकता होती है ताकि मात्रा तथा गुणात्मक मूल्यों का सही ढंग से रख-रखाव किया जा सके।

आज के संदर्भ में भण्डारण की संकल्पना पुरानी होने पर भी कहीं अधिक व्यापक है। इसमें वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखना, उनका परिरक्षण एवं मानकीकरण आदि कार्य आते हैं। भण्डारण से संबंधित कार्य जैसे रख-रखाव, परिवहन, विक्रय एवं वितरण आदि सेवाएं भी इसके अधीन उपलब्ध कराई जाती हैं। आजादी के बाद यह महसूस किया गया कि इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आवश्यक वस्तुओं का उचित भण्डारण किया जा सके, चूंकि भण्डारण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए बड़े-बड़े गोदामों और वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मूल्य नियंत्रण एवं आर्थिक व्यवस्था के लिए भण्डारण व्यवस्था का विशेष महत्व है। पहले किसान भण्डारण सुविधाओं के अभाव में तथा धन की कमी के कारण फसल तैयार होते ही कम मूल्य पर इसे बेच देते थे लेकिन भण्डारण व्यवस्था के अन्तर्गत अब संग्रह सुविधाओं तथा ऋण-सुविधाओं के कारण किसान फ़सल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। रख-रखाव एवं परिवहन व्यवस्था के अतिरिक्त वितरण लागत भी इससे कम आती है।

वेअरहाऊसिंग का नारा है-उपजाओ, संभाल कर रखो एवं खुशहाल बनो। वेअरहाऊसिंग के इस नारे में वेअरहाऊसिंग की पूरी संकल्पना के दर्शन होते हैं। उत्पादन एवं परिरक्षण से लेकर खुशहाली की भावना को लेकर भण्डारण व्यवस्था आज देश की प्रगति में निरन्तर योगदान दे रही है। आने वाला समय बताएगा कि इस दिशा में कहाँ तक प्रगति हो पाएगी लेकिन यह व्यवस्था समय के साथ-साथ विकसित होगी। आज की भण्डारण व्यवस्था सामान्य भण्डारण पर आधारित न होकर उससे आगे बढ़ चुकी है। ब्राडेंड वेयरहाऊसों एवं कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के माध्यम से इसमें बहुत परिवर्तन आया है। कौन सी व्यवस्था भविष्य में भण्डारण की मांग करेगा, यह समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है किन्तु भण्डारण के लिए निरन्तर अनुसंधान और चिंतन की आवश्यकता है। वैज्ञानिक भण्डारण की दिशा में आज कीटनाशक दवाओं एवं प्रधूमन कार्य की व्यवस्था कर भण्डारित माल का परिरक्षण किया जाता है। सरकार व सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं की मूल्य समर्थन एवं मूल्य नियंत्रण में सहायता देना एवं भण्डारण तकनीकों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के साथ-साथ भण्डारित माल के लिए ऋण-सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करना जैसी सुविधाएं आज विद्यमान है। इसके अतिरिक्त किसानों को भण्डारण की वैज्ञानिक तकनीकियों की जानकारी देकर उन्हें अन्न सुरक्षा की प्रेरणा दी जाती है। भण्डारण व्यवस्था के अन्तर्गत आज गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं उच्च स्तर की है। वैज्ञानिक तकनीकियों के परिणामस्वरूप भण्डारण क्षतियों को कम करने की दिशा में विशेष सफलता हासिल की गई है।

आज उत्पादन को बढ़ाना तथा भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना देश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भण्डारण के माध्यम से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखना राष्ट्रहित में बहुत उपयोगी है। भण्डारण की लाभकारी योजनाओं में तेजी लाकर भण्डारण क्रान्ति की लहर पूरे देश में फैलाकर आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। आज भण्डारण

के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। भण्डारण में जमा होने वाली वस्तुओं को अच्छी तरह तोला जाता है, नमूने लिए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है और उनका श्रेणीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जमा माल का आग, चोरी एवं सेंधमारी के लिए बीमा कराया जाता है। जमाकर्ता वेअरहाऊस में जमा की गई वस्तुओं के बदले में वेअरहाऊस रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इस वेअरहाऊस रसीद को बैंक में जमा कर ऋण लिया जाता है। भण्डारगृह में चट्टों की इस ढंग से योजना बनाई जाती उनका सहज निरीक्षण और रख-रखाव किया जा सके तथा इनका संचालन योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किया जाता है। जमाकर्ताओं के अनुरोध पर अधिकतर वेअरहाऊस पर रख-रखाव तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह कार्य प्रतियोगी दरों पर नियुक्त ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। जमाकर्ता के अनुरोध पर माल को रेल द्वारा अन्य स्टेशनों पर भी भेजा जाता है। चुनिन्दा केन्द्रों पर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के भण्डारण के लिए शीतागार तथा वातानुकूलित सेवाएं भी प्रदान की जाती है। औद्योगिक उत्पादों के भण्डारण के लिए वेअरहाऊस तथा आयातित वस्तुओं के भण्डारण के लिए न केवल बन्दरगाह वाले शहर में वरन् अन्तर्देशीय स्थानों पर भी ब्राडेड वेअरहाऊसों की स्थापना की गई है। राज्य भण्डारण निगमों, राज्य सरकारों, सहकारी समितियों तथा अन्य संगठनों के प्रबन्धकीय व तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों के प्रशिक्षण की आज व्यवस्था की गई है ताकि सभी को वेअरहाऊसिंग तकनीक की भरपूर जानकारी मिल सके।

निःसंदेह आज एक कार्यकुशल भण्डारण व्यवस्था की नितान्त आवश्यकता है। मूल्यों के स्थिरीकरण में भण्डारण उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिए वरदान है। समय की मांग है कि आर्थिक गंगा रूपी प्रवाह के समान विभिन्न स्थानों पर भण्डारण रूपी आर्थिक मन्दिर की योजना के नए युग का सूत्रपात हो। भण्डारण का प्रकाश सूर्य की किरणों की तरह स्वयं नहीं फैलता, इसके लिए भगीरथ प्रयास की आवश्यकता होती है। भण्डारण की सुविधाओं के आधुनिकीकरण से उत्पादों का बेहतर और लाभदायक ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है जिसके लिए आज गम्भीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है और यह समय की मांग भी है। ■

(भंडारण भारती अंक 47 अक्तूबर-दिसम्बर 2012 से साभार)

मेरा भारत देश महान।
हिंदी से है इसकी शान॥

प्रज्वलित रखो हिंदी का चिराग।
हे देशवासी तू अब तो जाग॥

निखर जाएगा भारत का चित्र।
हिंदी को गर बना लो मित्र॥

भारत माँ के भाल की बिंदी।
जन-जन की भाषा है हिंदी॥

आवास ऋण के लिए उपयोगी बातें

–अशोक कुमार*

आवास ऋण-स्थिर अथवा अस्थिर में से कौन सा चुने?

आवास ऋण का चयन करते समय, उपयुक्त प्रकार की ब्याज दर का चुनाव अत्याधिक चकराने वाला हो सकता है। सिर्फ एक ही प्रश्न मन में उठता है- मैं ब्याज की स्थिर दर का चयन करूं या अस्थिर ?

विगत 6 वर्षों से आवास ऋण पर ब्याज दरें घट-बढ़ रहीं हैं। इसी कारण से, एक अच्छे ऋण को पाने के किसी भी तरीके पर कोई भी उपभोक्ता आश्वस्त नहीं हो सकता। मार्च, 2000 में यह दर 14% के लगभग थी जो तेजी से गिरने लगी।

भारत में आवास ऋणों की ब्याज दर 7% तक गिर गई और जनवरी, 2007 में यह लगभग 10% (ब्याज की घटती-बढ़ती दर) की ऊंचाई तक बढ़ गई। इसे सबसे अधिक नाटकीय बढ़ोतरी माना जाता है। ब्याज की अस्थिर दर, जैसा इसका नाम सूचित करता है, बढ़ अथवा घट सकती है जो कि एक आवास ऋण करार में स्पष्ट बताई जाती है। इसके विपरीत यदि कोई उपभोक्ता ब्याज की स्थिर दर का चयन करें, उसे आज अत्याधिक ब्याज किस्त चुकानी पड़ सकती है।

उपभाक्ता को पिछली बाजार-प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए जिससे उसे यह अनुमान हो सके कि या कैसे संचालित हुई और वह निर्णय में परिवर्तन करने के लाभों और लागतों पर विचार कर सके। अच्छी जानकारी रखने वाला उपभोक्ता सही निर्णय करता है।

आवास ऋणों पर अस्थिर ब्याज दर, बैंक द्वारा बदली जा सकती है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि आवास ऋणों पर 'पारदर्शी अस्थिर' ब्याज का चयन किया जाए। इसका मूलभूत अर्थ है कि साधारण ब्याज दर से इन ब्याज दरों का प्रत्यक्ष संबंध होगा। यदि पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और इसके विपरीत भी घटित होगा।

अस्थिर ब्याज दरों के विपरीत, एक 'स्थिर' दर संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान स्थिर रहती है। बैंक किसी भी परिस्थिति में इसे बदलने में समर्थ नहीं हैं, जब तक कि आवास ऋण करार में बताई शर्ते ऐसा करने को न कहें। इसलिए, हमेशा यह सिफारिश की जाती है कि शर्तो के अर्थ को गहनता से समझें।

क्या स्थिर दर आवास ऋण वास्तव में स्थिर हैं ?

जब आप आवास ऋण प्राप्त करने का निणर्य लेते हैं, इससे अगली बात जो आपके मस्तिष्क को झकझोरती है, वह है स्थिर और अस्थिर ब्याज दर में से एक का चयन करना। और यहां आप कैच 22 स्थिति में फंस जाते हैं।

साधारणत:, जब समाचार माध्यम भारत में बैंकों द्वारा आवास ऋण ब्याज दरें बढ़ाने और उनके समीकृत मासिक किस्त (ईएमआई) के प्रभाव पर रिपोर्टे प्रदर्शित करते हैं, आपकों स्थिर आवास ऋण दर का चयन करना अच्छा लगता है। वास्तव में, आपका बैंकर भी आपकों यही परामर्श दे सकता है।

अब आदर्श रूप से जैसा होना चाहिए, हम मानते हैं कि एक बार यदि आप अपने लिए स्थिर दर योजना चुनते हैं तो उसमें बाद में होने वाली किसी भी बढ़त के बावजूद भुगतान अवधि की संपूर्ण अवधि समाप्त होने तक ब्याज की दर अपरिवर्तित रहेगी। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। यहां हम आपके लिए स्थिर ब्याज दर आवास ऋण लेन-देन की प्रकृति का रहस्योद्घाटन करते हैं ताकि इस विषय पर आप एक जानकारी युक्त निर्णय ले सकें।

सभी बैंक अपने आवास क्रय ऋण करार दस्तावेजों में स्थिर ब्याज दर पर पुनर्निर्धारण खंड सम्मिलित करते हैं ताकि यदि आपने 15 वर्षो के लिए 10.5% की दर पर ऋण लिया था, इसका यह अर्थ नहीं कि संपूर्ण अवधि तक ब्याज की वही दर लागू रहेंगी।

*राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, 3-5 तल इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नइ दिल्ली-110003।

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीईआई) ने एक खंड की शुरूआत की है जिसके अनुसार उसे दो वर्षो के बाद आवास ऋण की स्थिर दर में संशोधन करने का अधिकार है । इसी प्रकार, केनरा बैंक और कार्पोरेशन बैंक में भी ऋण संवितरण के 5 वर्षो के बाद दरों में संशोधन का समान प्रावधान है ।

निजी क्षेत्र के बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीज) भी समान नीतियों का अनुसरण कर रही हैं और दरें भी समय-समय पर संशोधित की जाती हैं ।

आवास ऋण अनुबंध दस्तावेज ध्यान से पढ़ें,

ऋण लेने से पहले ऋण से संबंधी दस्तावेजों के ध्यान से पढ़े; क्योंकि उसके अंतर्गत कुछ धाराएं ऐसी ही सकती है, जिनकी आपको उम्मीद न हो । इसके अलावा समय-समय पर, अनुबन्ध की अवधि के दौरान धन बाजार परिस्थितियों में घटित होने वाले असाधारण अथवा अनदेखे परिवर्तनों की वजह से अथवा आन्तरिक नीतियों में परिवर्तन के कारण ब्याज दर में उपयुक्त रूप से और भविष्यलक्षी प्रभाव से बैंक अपने स्व-विवेक से परिवर्तन कर सकता है । यह अनिवार्य परिमापन धारा (फोर्स मैजेयोर क्लॉज) कहलाती है जो ऋणदाता को अपने उधारकर्त्ताओं को मंजूर किए जाने वाले आवास ऋणों पर ब्याज दरों में उपयुक्त आशोधन करने के योग्य बनाती है ।

अच्छे आवास ऋण ऋणदाता का चुनाव कैसे करें ?

आवाज ऋण का क्रय पेचीदा लगता है कि यदि आप सुव्यवस्थित रूप से चलते हैं, आपके पास जल्दी ही अपने घर की चाबी होगी । आवास ऋण की ओर पहला कदम अच्छी आवास वित्त कंपनी का चयन करना है जो आपको सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन दे सके ।

अच्छे आवास ऋण के चयन के सुझाव

हमेशा सम्पति का निश्चय करने के पश्चात् ऋणदाता का चयन करें । सम्पति की पहचान करने के पश्चात् आवास ऋण हेतु क्रय किया जाता है । जहां अधिकांश बैंक आवास हेतु तैयार सम्पति पर ऋण देते हैं वहीं कुछ स्व-निर्मित की जाने वाली सम्पति अथवा निर्माणाधीन सम्पति के लिए ऋण देते हैं । इसलिए, पहले अपनी सम्पति निश्चित कीजिए और तत्पश्चात् वित्तीय विकल्पों को चयनित कीजिए ।

अपनी ऋण पात्रता के बारे में आश्वस्त हों:

ऋण पात्रता उपयुक्तता हेतु बैंक विभिन्न मानदंडों का अनुसरण करते हैं । यदि आपकी आय पर ऋण पात्रता आधारित है, आपकों विभिन्न बैंकों से बातचीत करके पता लगाना चाहिए कि कौन-सा-बैंक आपकों अधिकतम राशि उपलब्ध कराता है । अपनी ऋण पात्रता बढ़ाने के लिए आपके पास अपनी और अपने पति/पत्नी की आय सम्मिलित करने का भी एक विकल्प है ।

अपनी प्रक्रिया शुल्क छोड़ने को तैयार रहें :

किसी ऋण आवेदन को नामांकित करने के लिए बैंक कुछ प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी) लेते हैं । यह शुल्क सामान्यत: कुल ऋण राशि का 0.50% से 1.00 के आस-पास होता है । प्रक्रिया शुल्क का भुगतान आवेदन की निकासी सुनिश्चित नहीं करता ।

स्थिर अथवा अस्थिर ब्याज दर:

आवास ऋण की स्थिर दर के मामले में ब्याज दर पूरी अवधि के लिए स्थिर नहीं रहती किंतु एक निश्चित अवधि के लिए स्थिर रहती है । ऋणदाता के पास स्वेच्छा से दर को इसके अतिरिक्त बदलने का अधिकार है । इसके विपरीत, यदि आप अस्थिर ऋण दर का चयन कर रहे है, यह जांच करके निश्चित कर लें कि आपके चयनित ऋणदाता की दरें पिछले कुछ वर्षो में नीचे आई है ।

समय पर कार्यवाही से बड़ी बचत:

क्रय प्रक्रिया में कभी जल्दी न मचाएं । आपके ऋण की लागत इस बात पर अत्याधिक निर्भर करती है कि आप सौदेबाजी कैसे करते हैं । आवास ऋणदाता सर्वप्रथम आपकी आय और व्यक्तिगत रूपरेखा पर विचार करता है । ब्याज दर के अलावा जिन बिन्दुओं पर आपको अच्छे वित्तदाता का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए, वे हैं: प्रक्रिया शुल्क, कानूनी प्रभार, भुगतान-पूर्व प्रभाव, मूल्याकंन शुल्क और अन्य अप्रत्यक्ष लागतें ।

आपकी आवास ऋण पात्रता बढ़ाने के लिए सुझाव:

पिछले कुछ महीनों में आवास ऋण ब्याज दरे बहतु चिन्ताजनक मात्रा तक बढ़ गई हैं । इसने क्रमशः भारत में आवास ऋणों के लिए निश्चित रूप से ऋण पात्रता पर प्रभाव डाला है । यह ऋण उधारकर्त्ताओं को नए पात्रता मानदंड प्राप्त करने के लिए अपने विकल्पों के पुन: मूल्याकंन हेतु प्रोत्साहित करता है ।

नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं जिनके जरिये आप अपनी आवास ऋण पात्रता बढ़ा सकते हैं:-

अपनी ऋण अवधि बढ़ाएं:- अधिकतम अवधि के लिए आवास ऋण लेना आपकी ऋण पात्रता बढ़ाने का सबसे सरल ज्ञात तरीका है । इस परिदृश्य पर एक उदाहरण पर्याप्त प्रकाश डालेगा । एक व्यक्ति जिसकी मासिक आय रु. 60,000 है, वह एक आवास ऋण का क्रय करना चाहता है । रु. 35,000 का मासिक व्यय घटाने के पश्चात् वह व्यक्ति रु. 25,000 ही बचा पाता है । निस्संदेह, वह समीकृत मासिक किश्तों (ईएमआई) के जरिये ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए अपनी बचत का उपयोग करेगा । अब हम अपेक्षित ईएमआई की गणना हेतु विचार करते है । 15 वर्ष की अवधि के लिए रु. 1 लाख के आवास ऋण हेतु 12.5% की ब्याज दर से किस्तें रु. 1,232.5 स्थिर होती है इन्हीं आंकड़ों के सम्बन्ध में उसकी आवास ऋण पात्रता रु. 20.3 लाख होगी । किंतु यदि वह 20 वर्षो तक अपनी ऋण अवधि बढ़ा ले तो वही व्यक्ति अपनी आवास ऋण पात्रता लगभग 2 लाख रुपयें तक बढ़ा सकता है ।

ऋण 1 लाख रु. पर 20 वर्ष की अवधि के लिए उसी ब्याज दर अर्थात् 12.5% सहित, ईएमआई रु. 1,136 में परिवर्तित हो जाएगी । अतएव, आवास ऋण पात्रता रु. 22 लाख हो जाएगी ।

कभी अपने आवास ऋण हेतु हड़बड़ी न मचाएं :- आजकल, करीबन प्रत्येक बैंक अधिकतम 20 वर्षो की भुगतान अवधि सहित आवास ऋण पेश कर रहा है । अवधि के अलावा, केवल एक विषय जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह है ब्याज दर । इसी कारण, आपको कभी आवास ऋण के क्रय हेतु हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए । हमेशा शोध करें और बाजार का अति सावधानी पूर्वक अध्ययन करें जिससे आप अधिकतर बैंकों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से दिए जाने वाले उधार का बखुबी उपयोग कर सकें ।

तत्पश्चात् आपको आवास ऋण पर अस्थिर एवं स्थिर ब्याज दर के मध्य निर्णय करना होगा जो कि बहुत हद तक आपकी निज़ी प्राथमिकता और दोनों के विषय में जानकारी पर आधारित है । किंतु आवास ऋणों की अस्थिर दरें 11.5%-13.5% के मध्य कहीं भी हेतु उपलब्ध हैं ।

अन्य बकाया ऋणों का भुगतान: अन्य सभी लंबित बकाया ऋण जैसे कार ऋणों अथवा निजी ऋणों का भुगतान कीजिए । यह आपकी भुगतान करने की योग्यता में जुड़ता है और ऋणदाता संस्थान संस्थान आपको आवास ऋण देने के लिए बहुत रूचि लेता है ।

संयुक्त ऋण लीजिए : बैंक और आ.वि.क. ने पति और पत्नी जो मिलकर रु. 1 लाख प्रति माह कमाते हैं, दोनों के लिए एक संयुक्त ऋण विकल्प रखा है । पति अथवा पत्नी में से यदि कोई एक रु. 60,000 प्रति माह कमाता हो तो ज्यादा ऋण हेतु चयन उपलब्ध है ।

आवास ऋण पात्रता हेतु मूलभूत जानकारी : कभी-कभी आपने सुन्दर घर में एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आवास ऋणों के क्रय के बारे में सोचा होगा । विचार लुभावना प्रतीत होता है किंतु आवास ऋण पात्रता का निर्धारण करना कुछ के लिए ही शायद आसान हो अथवा शायद कोई यह कहे कि एक समझ में आने लायक तरीके से पात्रता मानदंड शायद ही प्रस्तुत किया जाता है । यह अनुच्छेद आवास ऋणों के लिए आवश्यक कारण उपलब्ध कराने के साथ ही आवास ऋणों के लिए पात्रता के

(आवाम भारती अंक 35(जनवरी-मार्च, 2011 से साकार)

मूल्यांकन से पाठकों को परिचित कराएगा । निम्न रेखांकित चार्ट आपकी जानकारी बढ़ाएगा :-

ईएमआई भुगतानों के लिए उपलब्ध सांकेतिक वेतन

मासिक वेतन खंड (रु.)	ईएमआई भुगतान (%) हेतु विचारित मासिक आय का प्रतिशत
8000-10,000	45
10,000-20,000	50
20,000-34,000	55
35,000 से ऊपर	60

अधिकतर वित्तीय संस्थाएं उधारकर्त्ता की शुद्ध मासिक आय के कुछ प्रतिशत को ईएमआई भुगतान अर्थात् आवास ऋण पुनर्भुगतान के लिए उपलब्ध होने पर विचार करेंगी । एक उदाहरण से हम इन विषयों को सरल बनाते हैं । यदि एक व्यक्ति रु. 25,000 प्रति माह शुद्ध आय अर्जित कर रहा है तो रु. 13,750 (25,000 का 55% तालिका का संदर्भ) ईएमआई भुगतानों के अंश के रूप में विचारणीय होगा । इसी तरह व्यक्ति की आय के अनुसार राशि में परिवर्तन होता रहेगा । किंतु इससे एक तथ्य स्पष्ट होता है: जितनी अधिक आय होगी, उतना अधिक प्रतिशत होगा । इसी कारण से ईएमआई भुगतान करने हेतु राशि का आय से प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है ।

आपकी ऋण पात्रता की व्याख्या

सभी आवास वित्त कंपनियां जब ईएमआई भुगतान की गणना करती हैं तो अपनी ईएमआई तालिका का संदर्भ लेती हैं । यह तालिका विभिन्न अवधियों और ब्याज दरों हेतु प्रति लाख मासिक ईएमआई सूचीबद्ध करती है । इसलिए किसी व्यक्ति के लिए आवास ऋण पात्रता के बारे में निर्णय करने समय दो प्रमुख कारक हैं ईएमआई प्रति लाख और ये भुगतान करने के लिए उपलब्ध उस व्यक्ति की आय । निसंदेह ये मसले उतने आसान नहीं है जितने प्रतीत होते हैं क्योंकि सभी आवास वित्त कंपनियां आवास ऋण पात्रता के निर्णय के लिए एक ही तरीके का उपयोग नहीं करती हैं । किंतु गणना की मूल प्रकृति सामान्य रहती है । उदाहरण के लिए, ''ईएमआई भुगतानों के लिए उपलब्ध आय'' के मूल्यांकन के लिए कुछ कंपनियां व्यक्ति की सरल आय का महत्व देती है । स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों के मामले में भी गणनाएं अलग होंगी ।

(आवास भारती अंक 35 (जनवरी-मार्च, 2011 से साभार)

■

<u>**सरकारी कामकाज**</u> की हिंदी : साहित्यिक हिंदी और सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में जमीन-आसमान का फर्क है । रोज के कामकाज में प्रयोग होने वाली हिंदी में सरल, स्पष्ट और सुबोध शब्दों का ही इस्तेमाल मान्य है कठिन शब्दों का प्रयोग करने में पत्रों की भाषा भी साहित्य जैसी बन जाती है जिसे हरेक व्यक्ति नहीं समझ पाता, इसलिए सरकारी कामकाज में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना ही उपयोगी रहता है ।

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

'ग' क्षेत्र

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय आईस हाउस, ई.डी.सी. कॉम्प्लैक्स, पाटो प्लाजा, पणजी-गोवा

केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय पणजी, गोवा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 118वीं तिमाही बैठक गुरूवार दिनांक 27-06-2013 को सभा भवन में अपराह्न 4.00 बजे माननीय श्री यू.एच. जाधव, अपर आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री जाधव ने संवैधानिक प्रावधानों का संदर्भ देते हुए राजभाषा हिंदी में शासकीय कामकाज हिंदी में करने के महत्व पर प्रकाश डाला तथा हिंदी में काम करना अधिकारियों/कर्मचारियों का महत्वपूर्ण कर्तव्य बतलाया। अनेकानेक उदाहरणों द्वारा हिंदी में काम करने के लिए उपस्थित सदस्यों को भी प्रोत्साहित किया।

प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन केन्द्रः ईटानगर

दूरदर्शन केन्द्र, ईटानगर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10-06-2013 को कार्यालय अध्यक्ष के कक्ष में अपराह्न 3.30 बजे आयोजित किया गया। श्री आर वेंकटेश, उप निदेशक (अभि.) की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति का दिनांक 20-06-2013 को निरीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि समिति से सदस्यों को शिष्टाचार के संबंधित दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाना चाहिए तथा समिति द्वारा मांगी गई सभी जानकारी सभी अनुभाग से उपलब्ध कराई जाए। माननीय सदस्यों को यातायात तथा ठहरने की उचित व्यवस्था कराई जाए।

केन्द्र में राजभाषा का कार्यान्वयन हेतु हर तिमाही में समिति की बैठक बुलाई जाएगी। सदस्य लोगों से अनुरोध है कि इस कार्य हेतु अपना सुझाव समिति के बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया की अधिक से अधिक कार्यों को हिंदी में करने का प्रयास करें एवं यह अनिवार्य रूप से सभी पर लागू होता है।

आकाशवाणी : कडपा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 20-06-2013 को आकाशवाणी, कडपा केंद्र में श्री बी.बी. रमणराव, कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने यह बताया कि महानिदेशालय के आदेशानुसार प्रस्तकालय के लिए निर्धारित कुल बजट में से 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकें खरीदने के लिए व्यय किया जाए। उन्होंने यह प्रसन्नता व्यक्त की कि इंजीनियरी अनुभाग और प्रशासन अनुभाग और कार्यक्रम अनुभाग से संबंधित सभी रजिस्टरों और फाइलों के शीर्षक द्विभाषी में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी अनुभागाध्यक्ष से यह सुझाव दिया कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के कागजात जैसे परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी किया जाए। कार्यक्रम से संबंधित सभी संविदा प्रपत्रों में भी हस्ताक्षर हिंदी में किया जाए।

खादी और ग्रामों आयोग, राज्य कार्यालय, गांधी भवन, एम. जे. रोड, नाम पल्ली, हैदराबाद-500 001

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद की वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 26-6-2013 अपराह्न 3.00 बजे सम्पन्न हुई। राज्य निदेशक श्री आर प्रभाकर राव जी ने बैठक की अध्यक्षता निभाई।

तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को निदेश दिया कि धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाली सभी कागजात द्विभाषी में ही भेजे जाने चाहिए।

हिंदी में प्राप्त पत्रों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को निदेश दिया कि इस विषय पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हिंदी में प्राप्त पत्रों पर उत्तर किसी भी हालात में हिंदी में ही भेजे जाने चाहिए जिसके लिए यदि आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की सदस्यता लेने को कहा।

'ख' क्षेत्र

मध्य रेल, पुणे मंडल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पुणे

दिनांक 24 जून 2013 का मध्य रेल, पुणे मंडल पर श्री विशाल अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 59वीं बैठक का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर श्री विशाल अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक ने सर्वप्रथम वर्ष 2012 में सरकारी कामकाज में राजभाषा का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग-प्रसार करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे की ओर से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पुणे को पुणे के 114 केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों एवं उपक्रमों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से लगातार तीसरी बार सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में सभी सदस्यों को बधाई दी तथा प्रसन्नता व्यक्त की। आपने आगे कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा नियमित रूप से अधिकारियों के लिए हिंदी डिक्टेशन कार्यशाला और कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला तथा कंप्यूटर यूनिकोड कार्यशाला चलाई जा रही है। हिंदी पुस्तकालयों में पाठक मंच की बैठकों का आयोजन, राजभाषा विभाग द्वारा टेबल ट्रेनिंग तथा सभी अधिकारियों के मागदर्शन आदि कार्यों के कारण ही यह कार्य संभव हो पाया है। आपने आगे अपेक्षा व्यक्त की कि इस तरह का कार्य हमारे मंडल पर लगातार होता रहेगा और संपूर्ण भारतीय रेलवे पर पुणे मंडल का नाम ऊंचा होगा।

आयकर आयुक्त कार्यालय, आयकर भवन, पटियाला-147001

पटियाला प्रभार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री सुरेश कुमार, आयकर आयुक्त, पटियाला की अध्यक्षता में दिनांक 19-06-2013 को सांय 03:00 बजे सम्मेलन कक्ष में की गई।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पटियाला प्रभार पहले हिंदी में सबसे आगे रहता था। काफी पुरस्कार जीते गए हैं। अतः यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तथा बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग किया जाए तो पटियाला प्रभार पुनः हिंदी में प्रथम रह सकता है। पटियाला प्रभार में शील्ड आनी चाहिए। उन्होंने श्री हरजिन्द्र सिंह, आयकर अपर आयुक्त, संगरूर द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में हिंदी के प्रयोग संबंधी टिप्पणी करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

1. अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक का संदर्भ लेते हुए कहा कि सभी रेंजों तथा छोटे कार्यालयों जैसे बरनाला, राजपुरा तथा नाभा इत्यादि आयकर अधिकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की नियमित बैठक होनी चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि पटियाला प्रभार के सभी रेंजों में हिंदी की बैठकें नियमित होती हैं। उन्होंने कहा कि आयकर अधिकारी, राजपुरा, नाभा और बरनाला भी नियमित बैठकें आयोजित करें और कार्यवृत्त की प्रति उनके कार्यालय को भेजें।

2 रेंज कार्यालयों से भिजवाई जाने वाली रिपोर्टों को हिंदी अग्रेषण पत्र लगा कर भेजा जाए। धारा 12-ए व 80-जी की सभी रिपोर्टों को भी हिंदी का अग्रेषण पत्र लगा कर भेजा जाए।

3 निर्धारण कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए। नोटिंग हिंदी में ही करने का प्रयास किया जाए।

4 हिंदी में प्राप्त पत्रों का जबाब अनिवार्य तौर पर हिंदी में होना चाहिए।

5 अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पटियाला प्रभार के जिन आशुलिपिकों को हिंदी टाइप नहीं आती है उन्हें पत्राचार के माध्यम से अगस्त, 2013 से हिंदी टाइप प्रशिक्षण दिलाया जाए । इसके लिए शीघ्र नांमाकन फार्म भेजे जाए ।

6 सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा पंजी में प्रविष्ठियाँ हिंदी में होनी चाहिए ।

7 सभी कंप्यूटरों पर यूनीकोड फॉन्टस डाले गए हैं । यदि किसी कंप्यूटर पर नहीं हैं तो श्री घन श्याम, आशुलिपिक की सहायता ली जाए ।

8 निर्धारण संबंधी जो रजिस्टर हाथ से भरे जा रहे हैं उनमें प्रविष्ठियां हिंदी में होने चाहिए ।

9 हिंदी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी भाग लेना चाहिए ।

10 नगर रा.भा. समिति एवं पटियाला प्रभार की एक संयुक्त पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा हैं जिसके लिए लेख, रचनाएँ, फोटो, साहित्यक रचनाएँ इत्यादि दिनांक 30-07-2013 तक भिजवा दें । परिवार के सदस्य भी रचनाएँ दे सकते हैं । तकनीकी लेख भी भेजे जाएं । रिटर्न फाईल करने और ई-फाइलिंग के संबंध में भी सूचनाप्रद लेख भेजें जाएं ।

11 सभी आयकर अधिकारी पहली तारीख को हिंदी की रिपोर्ट अपनी रेंज को भेजें । रेंजों से रिपोर्ट 3 तारीख को आयकर आयुक्त कार्यालय को भेजी जाएं और 5 तारीख को आयकर आयुक्त कार्यालय से मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाए । हस्ताक्षर करने से पहले सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट के आंकड़े ठीक भरे गए हैं । रिपोर्ट का कोई कालम न तो खाली छोड़ा जाए और न ही अधूरा ।

12 संगरूर, गोबिन्दगढ़ और पटियाला में हिंदी की कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ।

13 सभी रेंज कार्यालयों/आयकर अधिकारी कार्यालयों से सामान्य पत्र व्यवहार, अग्रेषण पत्र तथा नोटिस इत्यादि कार्य हिंदी में ही किया जाए ।

14 सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मुख्य आयकर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र की रा. भा. समिति की बैठक के निर्णयों का पालन किया जा रहा है ।

आयुक्त महोदय ने कहा कि बोलचाल की सरल हिंदी का प्रयोग करें तो हिंदी में काम करना कठिन नहीं होगा । सभी कार्यालयों में हिंदी शब्दावली की प्रतियां उपलब्ध होनी चाहिए । लक्ष्य को प्राप्त करना आसान है । पत्रों और रिटर्नों की पावतियाँ हिंदी में दी जाएं, प्रोसैसिंग की मोहरें हिंदी में लगाई जाएं और सभी प्रकार का सामान्य पत्राचार हिंदी में किया जाए तो 90% का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है ।

कार्यालय आयकर निदेशक (अन्वेषण), आयकर भवन, ऋषि नगर, लुधियाना-141001

आयकर निदेशक (अन्वे.) कार्यालय, लुधियाना प्रभार की बैठक दिनांक 27-06-2013 को अपराह्न 12.30 बजे श्री एच.एस. सोही, आयकर निदेशक (अन्वे.) लुधियाना की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई ।

समिति द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों और महानिदेशालय की बैठक में लिए गए निर्णयों और वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

हिंदी टाइप प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए । नामित किए गए कर्मचारियों के फार्म भरवाकर शीघ्र सहायक निदेशक (रा.भा.), मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय चण्डीगढ़ को भेजे जाएं ।

सभी आयकर सहायक/उप-निदेशक टैलेक्स रिपोर्टों पर पृष्ठांकन हिंदी में करने के प्रयत्न करें ।

हाथ से भरे जाने वाले नोटिस हिंदी/द्विभाषी ही भेजे जाएं ।

सभी अधिकारी हाथ से भरे जाने वाले सभी रजिस्टरों पर प्रविष्टियाँ हिंदी में करने के आदेश दें और तत्पश्चात् यह सुनिश्चित करें कि वे हिंदी में भरे जा रहे हैं ।

पत्रों का पृष्ठांकन (Endorsment) हिंदी में किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी पुस्तकालय स्थापित करने के लिए बजट में प्रकाशन शीर्ष में अलग से फण्ड नहीं

है। विविध व्यय में भी फण्ड पर्याप्त नहीं है अत: इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। आयकर महानिदेशक महोदय, चण्डीगढ़ से अनुरोध किया जाए कि पुस्तकालय के लिए अतिरिक्त फण्ड दें ताकि श्रीनगर तथा जम्मू में लाइब्रेरी स्थापित की जा सके।

बैठक में सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम 2013-14 में निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी दी गई। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करने के लिए कहा।

धारा 3(3) के अंतर्गत भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी ही होने चाहिएं। सभी कार्यालयों से शून्य सूचना और अग्रेषण पत्र हिंदी में ही भेजे जाएं। सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी के यूनीकोड फान्टस लोड कर दिए गए हैं। हिंदी की दोनों तिमाही स्टेटमैंट्स समय पर आयकर निदेशक (अन्वे.) कार्यालय को भेजी जाएं। दोनों स्टेटमैंटस हर तिमाही के समाप्त होने पर संबंधित माह की तीन तारीख को उनके कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार का विलम्ब उचित नहीं है।

रिपोर्टों में आंकड़े सही दिखाए जाएं। अधिकारी स्वयं देखें कि आंकड़े ठीक भरे गए हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 90 प्रतिशत है। सभी कार्यालयों में लक्ष्य के अनुसार हिंदी पत्राचार की मात्रा बढ़ाई जाए।

अधिकारी और कर्मचारी 50 प्रतिशत नोटिंग हिंदी में ही करें।

मोहरें द्विभाषी अथवा केवल हिंदी में ही बनाई जाएं।

हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

कंप्यूटरों में हिंदी के लिए यूनीकोड फान्टस का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासनिक कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करवाया जाए।

महानिदेशालय की बैठकों के निर्णयों को आयकर निदेशक(अन्वे.) कार्यालय की सभी शाखाओं में परिचालित करवाया जाए।

वित्तीय स्वीकृतियों के आदेश हिंदी में ही पारित किए जा रहे हैं।

जो पत्र दो से अधिक कार्यालयों को जाएं वे अनिवार्यत: हिंदी में ही भेजे जाएं।

अपने समापन संबोधन में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर सभी कार्यालयों ने कार्रवाई की है। आज की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी सभी अधिकारी कार्रवाई करें। सभी अधिकारी अपने कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। सभी कार्यालयों से तिमाही रिपोर्ट अवश्य समय पर आएं ताकि आयकर निदेशक (अन्वे.) प्रभार की समेकित रिपोर्ट निर्धारित तिथि तक भेजी जा सके। उन्होंने सभी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया।

'क' क्षेत्र

महा प्रबंधक (राजभाषा) पूर्वोत्तर रेलवे-गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2013 को संपन्न हुई इसमें 31-12-2012 एवं 31-03-2013 को समाप्त तिमाही अवधियों की समीक्षा की गई, बैठक की अध्यक्षत मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर, श्री एच.के. अग्रवाल ने की

उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री संचय यादव ने अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय के कुशल मार्ग निदेशन में मुख्यालय में राजभाषा का प्रयोग-प्रसार काफी बढ़ा है, इसी का सुखद परिणाम है कि हमारे मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय का कार्यकाल रेलवे बोर्ड ने एक वर्ष और बढ़ा दिया है, रिपोर्ट के अनुसार मुख्यालय के सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड सक्रिय करा दिया गया है, इसके लिए अभियान चलाकर कार्यशालाओं के माध्यम से कंप्यूटर प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षित भी किया गया है,

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर, श्री एच. के. अग्रवाल ने सबसे पहले राजभाषा का सर्वाधिक प्रयोग करने पर चल शील्ड प्राप्त करने वाले

परिचालन एवं सिगनल विभाग को बधाई दी और उनसे आगे भी यह प्रदर्शन करते रहने की अपेक्षा की ।

उन्होंने कहा कि हमारी रेलवे पूरी तरह से 'क' क्षेत्र में स्थित है जहां सारा सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में ही होना है, हमें गर्व है कि यह रेलवे हिंदी के प्रयोग-प्रसार की दिशा में सदैव अग्रणी रहा है और अन्य रेलों का मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्रोत्र भी रहा है, यह आप सभी के सम्मिलित सहयोग का ही परिणाम है कि राजभाषा प्रयोग के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे को बराबर पुरस्कृत किया जाता है।

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला आयकर भवन, सैक्टर-2, पंचकूला-134112

मुख्य आयकर आयुक्त,हरियाणा क्षेत्र पंचकूला की वित्तीय वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही बैठक एवं वर्ष 2013-14 की प्रथम बैठक दिनांक 25-04-2013 को मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष श्री एस.के. शतपथी की अध्यक्षता में मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई ।

मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष श्री एस.के. शतपथी ने अपने संबोधन में कहा कि कंप्यूटर से कार्य करना सहज हो गया है और 2020 तक तो रोबोट ही मनुष्य के समकक्ष हो जाएगा और भविष्य में मनुष्य का स्थान लेकर सभी कार्य रोबोट द्वारा ही निष्पादित होंगे । अत: अपने आप को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होइए चूंकि आज विश्व परिवार की अवधारणा में अन्य सभी बातें गौण हो गई है । आज विश्व की 13 प्रतिशत जनसंख्या अपने जन्मस्थान से दूर अन्य देशों में निवास कर रही है और वहां की भाषा को अपनाने के साथ अपनी-अपनी भाषा का प्रचार-प्रसार भी वहां कर रही है । अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे कहूंगा कि आप भी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यों को प्रोत्साहन दें । प्रत्येक मुनष्य में कुछ ने कुछ प्रतिभा अवश्य होती है उस प्रतिभा का उपयोग कर इस विश्व को और अपने आप को बेहतर बनाइए । गत वर्ष राजभाषा में सराहनीय प्रयोग के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला क्षेत्र को नराकास चंडीगढ़ द्वारा प्रोत्साहन शील्ड से पुरस्कृत किया गया है । इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं हमारे क्षेत्र में हिंदी में अच्छा कार्य हो रहा है । आप अपने-अपने स्तर पर हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं तलाशें और इस प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दें ।

कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा-शुल्क एवं सेवाकर, 48, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क, आयुक्तालय भोपाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30-06-2013 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 28-06-13 का पूर्वाह्न 11.00 बजे आयुकत महोदय डॉ. डी.के. वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों के समक्ष पिछली तिमाही की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत किए गए जिनकी पुष्टि समिति के सदस्यों ने की ।

अनुभाग प्रभारियों द्वारा 01-01-2013 से 31-03-2013 की अवधि की राजभाषा हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिए गए की आगे भी ज्यादा से ज्यादा कार्य राजभाषा हिंदी में करने का लक्ष्य बनाऐ रखा जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने समस्त प्रभागों को राजभाषा हिंदी की तिमाही प्रगति बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए ।

आयुक्त महोदय ने राजभाषा नीति और प्रायोगिक हिंदी पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए ।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि आयुक्तालय में आयोजित होने वाली लगभग सभी बैठकों के कार्यवृत्त द्विभाषी रूप में जारी किया जाए ।

समिति ने निर्णय लिया कि सभी अधिकारी नोटशीट एवं पत्रों पर आवश्यक रूप से हिंदी में हस्ताक्षर करे ।

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी शाखा को प्रशासनिक शब्दावली के प्रकाशन एवं समस्त अनुभागों में वितरण करने के आदेश दिए ।

आयुक्तालय के कंप्यूटरों पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुमोदित हिंदी साफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के निर्देश दिए ।

आयुक्तालय में प्रतिमाह होने वाली मॉनीटरिंग सेल मीटिंग में सभी उप/सहायक आयुक्त अपने न्याय क्षेत्र में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति का उल्लेख अवश्य करें । मॉनीटरिंग सेल मीटिंग के कार्यवृत्त में भी इसका उल्लेख किया जाये ।

समिति ने निर्णय लिया कि-वर्ष 2013-14 के वार्षिक लक्ष्य के अनुपालन हेतु शतप्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु आयुक्तालय के सभी अनुभाग एवं अधीनस्थ प्रभागीय कार्यालय में होने वाले सभी विषयों पर संभवतः पत्राचार हिंदी में ही किया जाए, एवं अनुस्मारक पत्र अनिवार्य रूप से हिंदी में ही प्रेषित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देशित किया कि आयुक्तालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने व्यक्तिगत निवेदन/आवेदन पत्र एवं चिकित्सा, स्थानांतरण, अवकाश, यात्रा भत्ता, एल. टी.सी. अग्रिम एवं भुगतान संबंधी आवेदन आदि हिंदी में संबंधित शाखा को प्रेषित कर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करें ।

बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2012-13 की चतुर्थ बैठक का आयोजन दिनांक 12-04-2013 को 12.00 बजे दिन में श्री उमेश कुमार, कार्यकारी सी ई ओ, बोकारो स्टील प्लांट की अध्यक्षता में इस्पात भवन स्थित सी ई ओ सम्मेलन कक्ष में किया गया । बैठक में मुख्य रूप से 31 दिसम्बर, 2012 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति की समीक्षा की गई तथा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर चर्चा की गई । गहन विचार-विमर्श के बाद बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

1. कम हिंदी टिप्पणी लिखने वाले विभागों जैसे-आई एण्ड ए एवं सामग्री प्रबंधन में हिंदी टिप्पणी का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया जाए ।
2. संसदीय राजभाषा समिति के लिए धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों, नेम प्लेट, साइन बोर्ड, रबर की मोहरें, विजिटिंग कार्ड इत्यादि का द्विभाषी अभिलेख प्रत्येक विभाग में तैयार किया जाए ।
3. मैक्स फोन में उत्पादकता, राजभाषा एवं सुरक्षा संबंधी डायल टोन लगाये जाने की संभावना की स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाय ।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि राजभाषा कार्यान्वयन जैसे संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए राजभाषा नीति के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई ।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

'ग' क्षेत्र

महानिदेशालय असम राइफल्स शिलांग-793010

दिनांक 21 जून, 2013 को 15: 30 बजे लाइटकोर (शिलांग) स्थित महानिदेशालय असम राइफल्स के सम्मेलन कक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलांग की वर्ष 2013 की प्रथम बैठक मेजर जनरल पंकज सचदेवा, अपर महानिदेशक, असम राइफल्स की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस बैठक में शिलांग स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैकों एवं उपक्रमों से करीब 70 अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

बैठक के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मदों से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा के अलावा तिमाही प्रगति रिपोर्ट के ऑन लाइन प्रेषण एवं राजभाषा से जुड़े पदों के पदनाम एवं वेतनमान में एकरूपता लाने के बारे में चर्चा की गई । स्थानीय नगर राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत बेहतरीन कार्य निष्पादन हेतु तीन सदस्य कार्यालयों-सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, शिलांग को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 'राजभाषा ट्रॉफी' प्रदान की गई तथा पाँच कार्यालयों-सीमांत मुख्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, नीपको लि. पूर्वी कमान मुख्यालय भारतीय वायु सेना, केन्द्रीय पुलिस बल एवं आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग को प्रशस्ति स्वरूप प्रमाणपत्र दिए गए ।

गुवाहाटी (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की 41वीं बैठक दिनांक 26-07-13 को गुवाहाटी रिफाइनरी

प्रशिक्षण केन्द्र में नराकस (उपक्रम) के अध्यक्ष एवं गुवाहाटी रिफ़ाइनरी के महाप्रबंधक श्री जे बरपूजारी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री एन के चक्रवर्ती की स्वागत भाषण से प्रारंभ हुई इस बैठक में नराकास (केंद्रीय कार्यालय) एवं नराकास (मोरीगांव) के प्रतिनिधि, हिंदी शिक्षण योजना के उप निदेशक (पूर्वोत्तर) एवं प्रभारी राजभाषा विभाग श्री एस. एल.एस. पूर्ति, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे । अपने भाषण में अध्यक्ष श्री जे बरपूजारी जी ने हिंदी कार्यान्वयन तथा अन्य कामों में नवीन प्रयोग के द्वारा कामों में गुणवत्ता एवं वृद्धि लाने की आवश्यकताओं पर रोशनी डाली ।

भारत सरकार की प्रतिनिधि, राजभाषा विभाग के श्री एस.एल.एस. पूर्ति ने भी नराकास की महती भूमिका तथा हिंदी प्रशिक्षण पर जोर दिया ।

सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट का समेकित स्लाइड प्रस्तुत करके अध्यक्ष, नराकास (उपक्रम) तथा श्री एस एल एस पूर्ति द्वारा आकलन किया गया और इसके पश्चात इसी के आधार पर विचार-विमर्श, सुझाव तथा कई रचनात्मक प्रस्ताव लिए गए ।

हर वर्ष की भांति इस बैठक के दौरान नराकास (उपक्रम)की वार्षिक हिंदी पत्रिका 'प्रागज्योतिका' का ग्यारहवां अंक इंडियन ऑयल मुख्यालय, नई दिल्ली से पधारे कार्यपालक निदेशक(मानव संसाधन) श्री ए. के. चौधरी के करकमलों से लोकार्पण किया गया तथा उत्कृष्ट रचनाकारों को पुरस्कार व प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया । श्री चौधुरी ने हिंदी के विकास की दिशा में 'ग' क्षेत्र में स्थित इस नराकास(उपक्रम) की नवीन प्रयासों को देखकर सभी सदस्य कार्यालयों की प्रशंसा की ।

दक्षिण गोवा

राजभाषा विभाग, भारत सरकार की अनुमति से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दक्षिण गोवा की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तृतीय अर्ध वार्षिक बैठक तारीख 23 अप्रैल, 2013 को राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (एनसीएओआर) के सभा भवन, सडा, गोवा में संपन्न हुई । इस बैठक के अध्यक्ष रियर ऐडमिरल विनीत बख्शी, विसेप, गोशिलि के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दक्षिण गोवा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रधान थे ।

श्री डी. के. पणिक्कर, पूर्व उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने दक्षिण गोवा, नराकास को 32 कार्यालयों से प्राप्त छमाही रिपोर्ट अवधि (अक्तूबर, 2012 से मार्च, 2013 तक) पर गहन समीक्षा की । समीक्षा के दौरान राजभाषा में सरकारी कामकाज को बढ़ाने के प्रयास, धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना, राजभाषा प्रशिक्षण, राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन तथा शेष कार्यालयों को नियमावली के नियम 10 (4) में अधिसूचित करना आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई । तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि सभी सदस्य कार्यालयों को नीचे लिखे कार्य तत्काल करने चाहिए ।

1. अब तक प्रशिक्षण लिए शेष कर्मचारियों की सूची बनाकर अगली बैठक के पहले उनके हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण को पूरा करना चाहिए ।
2. तदनंतर सभी अर्हक सदस्य कार्यालयों को राजभाषा नियम 10(4)के अंतर्गत अधिसूचित कराने के लिए कारवाई करके उसकी प्रति नराकास को अगली बैठक के पहले भेज देनी चाहिए ।
3. सभी कार्यालयों में हिंदी में कम से कम कार्य साधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उच्च्व स्तरीय हिंदी कार्यशाला चलाकर उन्हें हिंदी में कार्यालयीन काम करने सक्षम बना दिया जाए और उसकी अनुपालन रिपोर्ट नराकास को अवश्य भेजें ।
4. राजभाषा नियम 8(4) का अनुसरण करते हुए हर कार्यालय में चुनिंदा व्यक्तियों को उनकी प्रवीणता को ध्यान में रखते हुए यथा संभव सर्वाधिक काम हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट करते हुए कार्यालय आदेश निकालकर उसकी सूचना नराकास को बिना विलंब पहुँचा दें ।
5. सभी सदस्य कार्यालयों को हिंदी कार्यशालाओं में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के निष्पादन का व्यावहारिक अभ्यास देकर इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करके नराकास को अवगत करा दें ।
6. हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में देने की स्थिति को ज्यों-का-त्यों बनाए रखें ।

7. नराकास की बैठकों में प्रशासनिक प्रधानों का भाग लेना अत्यंत आवश्यक है । इस तरह के आदेश काफी समय पहले से ही अलग-अलग स्तर पर जारी किए गए हैं । अत: सभी प्रशासनिक प्रधान नराकास की इस अहम बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने की कृपा करें । जिन कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान यदि किसी कारण से (मुख्यालय से बाहर होने की दशा में) न आ सकें तो उनके कार्यालय प्रभारी प्रतिनिधि ही अवश्य बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें ।

'ख' क्षेत्र

चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 06-06-2013 को सांय 03:00 बजे किसान भवन, सैक्टर-35, चण्डीगढ़ में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री जसपाल सिंह, मुख्य आयकर आयुक्त, उ.प. क्षेत्र, चण्डीगढ़ एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की गई ।

बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नई दिल्ली ने किया ।

अपने संबोधन में राजभाषा विभाग के उप-निदेशक श्री शैलेश कुमार सिंह ने कहा की अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में इस समिति द्वारा राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं । इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । समिति के सहयोग से क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । इसके लिए अध्यक्ष महोदय और सचिव का बहुत-बहुत धन्यवाद । समिति को पुरस्कार मिलने पर सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई । सम्मेलन के दौरान सचिव, राजभाषा विभाग ने विस्तृत चर्चा की है जिसका उल्लेख श्री शर्मा ने अभी-अभी किया है । सभी सदस्य इन बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करें । मानकों के अनुसार हिंदी पद सृजित किए जाएं । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य तौर पर हिंदी में ही दिए जाएं । संसदीय समिति ने हाल ही में चंडीगढ़, शिमला, सोलन का दौरा किया है । समिति ने इस बात पर बल दिया कार्यालय प्रमुख स्वयं बैठकों में आएं ताकि सार्थक चर्चा हो और प्रभावी निर्णय लिए जा सकें । राजभाषा कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों में दायित्व बोध होना चाहिए । ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने के लिए सभी विभाग राजभाषा विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाएं क्योंकि अब राजभाषा विभाग को रिपोर्ट ऑनलाइन ही भेजी जानी हैं । कार्यालयों के सभी कंप्यूटरों पर यूनीकोड फांट्स के माध्यम से ही किया जाए ।

अपने समापन संबोधन में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज की बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं समिति के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ । आज रा.भा. विभाग के प्रतिनिधि श्री शैलेश कुमार सिंह भी इस बैठक में पहले की तरह उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ । आज की बैठक में लगभग 95 कार्यालयों की रिपोर्टों की समीक्षा की गई । जिन कार्यालयों में अच्छा कार्य हो रहा है, वे निश्चय ही प्रशंसा के पात्र है । जिन कार्यालयों में अभी कुछ कमी है वे लगातार प्रयास करते रहें । वे भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य सफल होगें । हमारे कार्यालयों में पहले की अपेक्षा अब काफी कार्य हिंदी में होने लगा है । राजभाषा नीति को लागू करने की कठिनाईयाँ भी धीरे-धीरे दूर हो रही है । अब कंप्यूटरों पर काफी कार्य हिंदी में होने लगा है । हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार कंप्यूटरों पर यूनीकोड फान्टस का ही प्रयोग किया जाए ताकि हिंदी में ई-मेल भेजना भी संभव हो सके । हिंदी कार्य की रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो रही है । रिपोर्टों में पूरा कार्य दिखाया जाए । जिस क्षेत्र में भी संभव हो हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास किए जाएं । कल क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है । सचिव राजभाषा विभाग ने भी इस बात पर बल दिया कि कार्यालयों में सरल और बोल-चाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए । अनुवादक भी सरल अनुवाद करें । इससे निश्चय ही कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

अमृतसर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अमृतसर की छमाही बैठक श्री गुरप्रीत सिंह, मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर की अध्यक्षता में 13 जून, 2013 को 3:30 बजे बाद दोपहर, होटल मोहन इंटरनेशनल में आयोजित की गई । बैठक में श्री सुरिन्दर जीत सिंह, आयकर आयुक्त, श्री एस.के अग्रवाल, आयकर आयुक्त एवं राजभाषा अधिकारी तथा राजभाषा विभाग

के प्रतिनिधि के रूप में श्री शैलेश कुमार सिंह उप निदेशक, (कार्यान्वयन) उपस्थित हुए ।

राजभाषा विभग के प्रतिनिधि श्री शैलेश कुमार सिंह (उप कार्यान्वयन) ने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य है । मूल रूप से हिंदी में कार्य करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से हिंदी का प्रयोग करें । उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन नीति के अनुरूप नियम 5 तथा धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा । तिमाही प्रगति रिपोर्टों के ऑन लाइन प्रेषण के संबंध में सूचित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय कृपया ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि राजभाषा पुरस्कारों के लिए तिमाही रिपोर्टे ऑन लाइन प्रेषित की जा सकें । बहुत कम संख्या में छमाही रिपोर्टे प्राप्त होने पर खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैठक में 90 प्रतिशत छमाही रिपोर्टों की समीक्षा होनी चाहिए ।

अंत में अपने अध्यक्षीय संबोधन में अध्यक्ष महोदय श्री गुरप्रीत सिंह जी ने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करना हम सभी का दायित्व है । इस संबंध में अगर कार्यालय प्रमुख पहल करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं । विशेष रूप से राजभाषा नियम 5 तथा धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल देते हुए उन्होंने हिंदी पत्राचार बढ़ाने तथा नोटिंग हिंदी में करने को कहा । उन्होंने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है जरूरत केवल हिंदी के प्रति मानसिकता बदलने की है ।

(ग) कार्यशालाएं

'ग' क्षेत्र

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, आयकर भवन, महात्मा गांधी रोड, शिलांग-793001

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा सरकारी काम-काज में हिंदी में कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग में 21 जून, 2013 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में आयकर विभाग, शिलांग क्षेत्र के कार्मिक शामिल हुए । श्री मनीष कुमार साह, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने कार्यशाला में राजभाषा नीति/ अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया । कार्यशाला के माध्यम से सभी कर्मचारियों को हिंदी सीखने और उसका उपयोग सरकारी कार्य में करने की अपील की गई । यह भी कहा गया कि कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं का भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए जिससे कि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग में सार्थक सुधार हो सके ।

मुख्य नियंत्रण सुविधा, पी.बी. नं. 66, हासन-573201

30 जून, 2013 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए दिनांक 26 अप्रैल, 2013 को एमसीएफ, हासन में कार्यरत वरि. तकनीकी सहायक-ए, तकनीकी सहायक एवं वैज्ञानिक सहायकों के लिए एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला के सत्र संचालन के लिए श्री बी. आर. राजपूत, वरि. हिंदी अधिकारी, सैक, अहमदाबाद को आमंत्रित किया गया । उन्होंने कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों को अपना दैनंदिन कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने तथा राजभाषा नीति एवं नियमों का अनुपालन करने के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से समझाया व हिंदी में पत्राचार इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी ।

कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के बारे में यूनिकोड एवं गूगल हिंदी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी दिया गया । जिसका संचालन श्री कमलेश कुमार खरे, हिंदी टंकक, एमसीएफ ने किया ।

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, गुवाहाटी- 573201

आयकर आयुक्त कार्यालय, गुवाहाटी में 29 और 30 मई, 2013 को दो पूर्ण कार्य दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । उपर्युक्त कार्यशाला में गुवाहाटी प्रभार के कार्यालयों से कुल 14 पदाधिकारियों को नामित किया गया था जिन्हें कार्यशाला के उद्देश्य एवं महत्ता पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई और अभ्यास कार्य करवाया गया ।

कार्यशाला के वरिष्ठ अनुवादक श्री रामलाल शर्मा ने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिभागियों को सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए छोटी-छोटी टिप्पणी और पत्र के मसौदे हिंदी में तैयार करने की जानकारी दी और प्रतिभागियों से अनुभाग की फाइलों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास कार्य करवाया । त्रैमासिक/छमाही व वार्षिक रिपोर्टों की महत्ता और इसे भरने की जानकारी देते हुए सुश्री निलिमा देवी, कनिष्ठ अनुवादक ने कंप्यूटर पर युनिकोड इन्स्टॉल करना और हिंदी में काम करने का अभ्यास कार्य करवाया ।

कार्यशाला समापन के अवसर पर प्रतिभागियों को 'कार्यालय सहायिका', प्रत्यक्षकर शंब्दावली सहित अन्य सहायक सामग्री वितरित की गई और उन्हें इस कार्यशाला में अर्जित ज्ञान तथा कौशल का उपयोग करते हुए अधिकाधिक कार्यालयीन कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने का आग्रह किया गया ।

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय बेगमपेट, हैदराबाद-500016

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, बेगमपेट, हैदराबाद में दिनांक 14-6-2013 को प्रशासन, लेखा एवं प्रयोगशाला में प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

प्रारंभ में, उप निदेशक (राजभाषा) ने हिंदी कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला । कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी श्री ए. एस. लक्ष्मण राव ने कहा कि 'हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा है और यह काफी सरल है आज दिन-ब-दिन हिंदी का महत्व बढ़ रहा है, इसीलिए हमें बेझिझक अपने सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए' ।

तदुपरांत व्याख्यान सत्र के अंतर्गत उप निदेशक (राभा) श्री गजानन पाण्डेय ने 'संघ सरकार की राजभाषा नीति' के तहत राजभाषा अधिनियम /नियम, वार्षिक कार्यक्रम तथा ओलिक/संसदीय राजभाषा समिति के बारे में बताया । श्री जे. श्रीनिवास, सहायक निदेशक (राभा) ने हिंदी वाक्य संरचना पर व्यावहारिक जानकारी दी और अभ्यास कराया, साथ ही पऊवि की प्रोत्साहन योजना के बारे में भी बताया । श्री एस. आई. जबीउल्ला, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने 'हिंदी वर्णमाला' की पृष्ठभूमि पर मूलभूत जानकारी प्रदान की और दोपहर के सत्र में स्लाइड के माध्यम से प्रतिभागियों को 'पऊवि की गतिविधियों' से अवगत कराया ।

अंत में, फीड-बैक के रूप में प्रतिभागियों हेतु लिखित-परीक्षा का भी आयोजन किया गया । उन्हें विषय से संबंधित सामग्री भी प्रदान की गई । इस कार्यशाला में 20 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह.) का कार्यालय, असम मैदामगांव बेलतला, गुवाहाटी-781029

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) असम का कार्यालय में दिनांक 2-5-2013 को एकदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । यह कार्यशाला दो सत्रों में आयोजित किया गया । प्रथम सत्र अधिकारियों के लिए था तथा दूसरा सत्र कर्मचारियों के लिए था । इस कार्यशाला में व्याख्याता के रूप में व्याख्यान देने के लिए श्रीमती उदिता जैन, प्रभारी हिंदी अधिकारी, प्रसार भारती को आमंत्रित किया गया था । इसमें 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

व्याख्याता श्रीमती उदिता जैन ने कार्यालय में हिंदी में अधिक से अधिक कामकाज करने तथा टिप्पण-आलेखन पर अपने विचार व्यक्त किए । साथ ही कार्यालय में किस तरह हिंदी में टिप्पण-आलेखन को बढ़ाया जा सकता है तथा किस प्रकार टिप्पण-आलेखन में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है यह भी बताया । उन्होंने सदस्यों से कहा कि हिंदी में कामकाज करना आसान है क्योंकि हिंदी में किसी विषय पर वह जो सोचते हैं, उसे उसी लिख सकते हैं। शब्दों के अनुवाद पर न जाकर देवनागरी लिपि में उसे वैसे ही लिख दें । इस कार्यशाला में उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फाइलों में किस प्रकार हिंदी में टिप्पण लिखते हैं उसका अभ्यास भी कराया ।

आकाशवाणी : कोलकता

आकाशवाणी, कोलकाता केंद्र द्वारा दिनांक 30-5-2013 को अपराह्न 2.00 बजे से 5.30 बजे तक केन्द्र के प्रथम तल स्थित युववाणी हॉल में हिंदी कार्यशाला

का आयोजन किया गया । उक्त कार्यशाला में कम्प्यूटर में ''यूनिकोड की स्थापना व प्रशिक्षण'' विषय पर व्याख्यान देने के लिए हिंदी टंकण /आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, 1ए कौंसिल हॉउस स्ट्रीट, कोलकाता कार्यालय के श्री अनूप कुमार, सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को आमंत्रित किया गया था ।

कार्यशाला के प्रारंभ मे सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री उत्तम चन्द साह ने व्याख्याता एवं प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया । श्री साह ने आगे उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों का परिचय श्री अनूप कुमार से करवाया ओर उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि वे यूनिकोट सॉफ्टवेयर के प्रयोग व उपयोग की जानकारी प्राप्त करें एवं कंप्यूटरों में प्रयोग में आने वाली सभी शंकाएं व्याख्याता से बेझिझक जानकारी प्राप्त कर दूर करें ।

व्याख्याता श्री अनूप कुमार, सहायक निदेशक ने लैपटाप कंप्यूटर के माध्यम से यूनिकोड साफ्टवेयर की स्थापना की जानकारी दी। उन्होंने उक्त साफ्टवेयर के प्रयोग का लिखित अभ्यास भी कराया । श्री अनूप कुमार, सहायक निदेशक ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम संध की राजभाषा हिंदी में ही सभी कार्य करें एवं राजभाषा को उचित मर्यादा एवं गौरव प्रदान करें ।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर व्याख्याता ने केंद्र के 2 कंप्यूटरों पर यूनिकोड साफ्टवेयर की स्थापना की तथा प्रशिक्षणार्थियों को स्थापना का प्रशिक्षण भी दिया । अंत में सहायक निदेशक (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यशाला समाप्त हुई ।

आकाशवाणी : चेन्नै

आकाशवाणी चेन्नै केंद्र में अप्रैल-जून, 2013 तिमाही की हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25-6-2013 को कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में हुआ । हिंदी में प्रवीणता और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, कार्यशाला का उद्देश्य रहा ।

दिनांक 25-6-2013 को आयोजित हिंदी कार्यशाला का विषय रहा हिंदी टिप्पण व आलेखन । उक्त कार्यशाला में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों और आमंत्रित व्याख्याता का स्वागत करते हुए केंद्र के सहायक निदेशक (रा. भा.) डॉ. ओ. वासवन ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अधीन आनेवाली कागजों को शत प्रतिशत द्विभाषी में भेजना, हिंदी पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाना आदि पर जानकारी देते हुए राजभाषा हिंदी के कार्यन्वयन पर जोर डाला ।

कार्यशाला में डॉ. पी. आर. वासुदेवन हिंदी अधिकारी महालेखाकार का कार्यालय चेन्नै ने कक्षा चलाई । उन्होंने प्रशासनिक शब्दों को समझने और लिखने में कर्मचारियों को अभ्यास देते हुए टिप्पणी और आलेख हिंदी में लिखने के विषय में विस्तृत जानकारी दी । संपूर्ण सत्र के दौरान कर्मचारियों और व्याख्याता के बीच विचारों का आदान -प्रदान होता रहा । व्याख्याता ने विभिन्न कार्यालयीन प्रयोगों में शब्दों के सटीक उपयोग के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया । कार्यशाला में हिंदी व अंग्रेजी में शब्दावली और वाक्यांश की सहायक सामग्री का वितरण किया गया ताकि कर्मचारियों को संदर्भ सामग्री के रूप में वह काम आए ।

आकाशवाणी : हैदराबाद

आकाशवाणी हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 25-4-2013 को हुई तिमाही बैठक में हुए निर्णयानुसार कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 21-6-2013 को अपराह्न 2.30 से 5.00 बजे तक मल्टी टास्क कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्राध्यक्ष श्री एम. एस. एस. प्रसाद, उप महानिदेशक (कार्यक्रम) (प्रभारी) ने की । अतिथि वक्त के रूप में हिंदी शिक्षण योजना से श्री मो. कमालुद्दीन, वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक को आमंत्रित किया गया ।

कार्यशाला के प्रारंभ में सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती यू.गायत्री देवी ने उप महानिदेशक महोदय, व्याख्याता और प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया और कहा कि केंद्र द्वारा मल्टी टास्क कर्मचारियों के लिए वर्ष 2013 के दौरान यह दूसरी कार्यशाला चलाई जा रही है । पिछली कार्यशाला दि. 11-3-2013 को आयोजित की गई थी ।

केंद्राध्यक्ष महोदय ने कार्यशाला का उद्घघाटन करते हुए प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है

कि हम राजभाषा हिंदी को सीखें । इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की हैं । अत: कर्मचारीगण कार्यशाला का पूरा लाभ उठाएं एवं कार्यालयीन हिंदी के छोटे-मोटे शब्द सीखें और कार्यशाला की समाप्ति के बाद कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का प्रयोग करें ।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में व्याख्याता श्री मो. कमालुद्दीन ने कर्मचारियों को हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बारे में बहुत ही सरल तरीके से हिंदी और तेलुगु में सविस्तार समझाया । उन्होंने स्वर और उनकी मात्राएँ तथा व्यंजनों पर मात्रा लगाने की विधि पर समझाया एवं सिखाया । साथ ही मात्रा सहित व्यंजनों (बारह खडी) को कैसे लिखते हैं । पर प्रकाश डालते हुए सोदाहरण समझाया । कार्यशाला के दूसरे सत्र में उन्होंने 'हिंदी में दो, तीन और चार अक्षरों को मिलाकर कैसे शब्द लिख सकते है' पर जानकारी देते हुए आसानी से याद रखने वाले उदाहरण सहित प्रस्तुत करते हुए प्रशिक्षणार्थियों से अभ्यास करवाया ।

प्रशिक्षणार्थियों ने यह विचार व्यक्त किया कि कार्यशाला बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही और उन्हें हिंदी वर्णमाला की प्राथमिक जानकारी के साथ-साथ हिंदी के छोटे-मोटे शब्दों को लिखते समय आने वाले शंकाओं को भी दूर करने का अवसर मिला । उन्होंने यह प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया कि भविष्य में यथासंभव प्रति दो महीनों में ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए । व्याख्याता और कर्मचारियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान रहा जो कार्यशाला को सफल बनाया ।

कार्यशाला में आकाशवाणी के मुख्य भवन में ही स्थित विज्ञापन प्रसारण सेवा, सिविल निर्माण स्कंध कार्यालयों सहित आकाशवाणी, हैदराबाद के कुल मिलाकर 23 मल्टी टास्क कर्मचारियों ने भाग लिया ।

क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु) कर्मचारी राज्य बीमा निगम 143, स्टर्लिंग रोड चेन्नै-600034

क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै में दिनांक 1-7-2013 से 2-7-2013 तक एक दो दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । क्षेत्रीय कार्यालय की विभिन्न शाखाओं व शाखा कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालय, तिरूनेलवेली तथा सेलम के 19 कर्मचारियों को इस कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया ।

क्षेत्रीय निदेशक श्री पी.बी. मणि, ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले सभी कर्मचारियों को कार्यालय कार्य में हिंदी का प्रयोग करने का अभ्यास कराया जाना अनिवार्य है । उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से यह आशा की कि वे कार्यशाला में हिंदी कार्य का अभ्यास प्राप्त करके अपने कार्यालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग करेंगे ।

कार्यशाला में क्षेत्रीय कार्यालय व कुछेक बाहरी व्याख्याताओं ने राजभाषा हिंदी संबंधी विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उपयोगी जानकारी दी तथा प्रशिक्षणार्थियों से अधिकाधिक अभ्यास करवाया ।

दिनांक 2-7-2013 को कार्यशाला के समापन अवसर पर सहायक निदेशक (रा.भा.) ने प्रशिक्षण हेतु उपस्थित सभी कर्मचारियों को कार्यशाला के आयोजन में सहयोग प्रदान करने तथा विभिन्न व्याख्याताओं के विचारों को ध्यान पूर्वक सुनने व अधिकाधिक अभ्यास करने के लिए धन्यवाद दिया । इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि वे भविष्य में कार्यालय कार्य में सरल एवं छोटे-छोटे हिंदी वाक्यांशों का प्रयोग करके हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने में अपना योगदान दें ताकि हिंदी पत्राचार प्रतिशतता का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को कार्यशाला प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए एसिक हिंदी मार्गदर्शिका की एक-एक प्रति भी प्रदान की इस प्रकार कार्यशाला का समापन हुआ ।

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. कुत्तेत्तूर पोस्ट, वाया काटीपल्ला, मंगलूर -575030

रिफाइनरी के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए दिनांक 11-7-2013 को हिंदी कम्प्यूटर कार्यशाला का आयोजन कार्यशाला भवन के सेमीनार कक्ष में किया गया । उक्त कार्यशाला में 32 प्रशिक्षणार्थियों को पत्र लेखन, अनुवाद, राजभाषा नीति एवं यूनिकोड संबंधी प्रशिक्षण दिया गया । इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यालीन कार्यों को हिंदी में करने, हिंदी पत्राचार लेखन संबंधी कौशल को बढ़ाने एवं राजभाषा नियमों की जानकारी देना था ।

एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुशीलचन्द्र एम., महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) ने किया ।

अपना वक्तव्य सुविचार के साथ आरंभ करते हुए कहा कि 'यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं, परंतु किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना नहीं सीख सकते'। उन्होंने इस सुविचार को हिंदी कार्यशाला से जोड़ते हुए कहा कि आप सभी में तैरने का हौसला है इसलिए आज आप यहां एकत्र हैं। आइए, इस ज्ञानरूपी कंप्यूटर हिंदी कार्यशाला में गोता लगाएँ और कुछ सीख कर जाएं, जिसका प्रयोग आप अपने कार्यालयीन कार्यों में कर सकें।

उन्होंने अपने संबोधन को समाप्त करते हुए कहा कि हिंदी को राष्ट्रीयता की भावना के साथ हमें सीखना है। मैं हिंदी भाषा पर गर्व करता हूँ क्योंकि यह एक मात्र भाषा है जो हमें एकता के सूत्र में पिरोती है।

अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए मुख्य संकाय डॉ. नारायण राजू ने कहा कि राजभाषा का प्रचार-प्रसार करने हेतु एवं इसे कार्यालयीन प्रयोग में लाने हेतु हिंदी का माहौल बनाए रखना आवश्यक है तथा एमआरपीएल तो इस कार्य के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने अपने अनुभव को बांटते हुए कहा कि मैंने दो वर्षों तक बुल्गेरिया में सेवा-कार्य किया है, वहां की आबादी महज 70 लाख है तथा कार्यालयीन और राष्ट्रीय भाषा बुल्गेरियन है। किंतु उन्हें हिंदी से विशेष प्रेम है, वह भारतीय व्यक्ति को 'इंडियन' कहकर नहीं पुकारते अपितु 'हिंदी' कहते हैं। उन्हें भारतीय फिल्मों से भी गहरा लगाव है तथा हिंदी फिल्में देखना पंसद करते हैं। हम दिन-रात अपनी मातृभाषा में संबोधन करते है किंतु कार्यालय में आते ही अंग्रेजीमयी हो जाते हैं।

इससे पूर्व डॉ. पाल ने कार्यशाला की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने में आने वाली कठिनाईयों एवं झिझक को दूर करना। कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में कर सकें। उन्होंने एक दिवसीय कार्यशाला की रूप रेखा प्रस्तुत करते हुए संकाय का परिचय दिया तथा कार्यशाला के विषयों पर भी प्रकाश डाला।

हिंदी कार्यशाला का आयोजन कुल चार सत्रों में किया गया। प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि संकाय डॉ. नारायण राजू, हिंदी प्रोफेसर ने हिंदी -पत्र-लेखन के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए हिंदी कार्यों को किस प्रकार सरलतापूर्वक किया जा सकता है इसकी जानकारी विस्तार से प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की। इस सत्र में उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के सरकारी पत्रों को हिंदी में लिखने के कौशल का ज्ञान प्रदान किया तथा सरल-शब्दों के उपयोग पर बल दिया।

दूसरे सत्र में वरिष्ठ कार्यपालक डॉ. पाल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी विधिक जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की तथा बताया कि किस प्रकार से हिंदी का अनुप्रयोग दैनिक कार्यालयी कार्यों में सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

तीसरे सत्र में अतिथि संकाय ने प्रशिक्षणार्थियों को अनुवाद संबंधी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया तथा कार्यशाला के दौरान सीखे गए विषयों संबंधी अभ्यास करवाया गया। चौथे सत्र में शब्द संसाधन एंव हिंदी में ई-मेल भेजने संबंधी जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, अंतिम सत्र के दौरान राजभाषा हिंदी पर क्विज का कार्यक्रम भी रखा गया, इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों से कार्यशाला में दिए गए प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे गए तथा सही उत्तर बताने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर-742101, मुर्शिदाबाद जिला (पश्चिम बंगाल)

दिनांक 22-6-2013 को एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन कर अधिकारी संवर्ग के कुल 31 पदधारीगण राजभाषा के विविध पहलुओं यथा प्रयोजनमूलक हिंदी, हिंदी भाषा के मानकीकरण, पत्राचार के विविध स्वरूप, हिंदी व्याकरण और टिप्पण-आलेखन जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किए गए। कार्यशाला में डॉ सूरज प्रसाद साह, प्रोफेसर, जयपुरिया कॉलेज, कोलकाता तथा डॉ सुनीता, प्रध्यापिका सावित्री गर्लस कॉलेज, कोलकाता अतिथि व्याख्याता के तौर पर उपस्थित थे। संस्थान के निदेशक माननीय डॉ एस. निर्मल कुमार के कर कमलों द्वारा इस अवसर पर पधारे उक्त दोनों अतिथियों को पुष्पगुच्छ से स्वागत कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान निदेशक

महोदय द्वारा कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों व प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए यह उदगार व्यक्त किया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है । यह एक सरल और सहज भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को सहजता से व्यक्त कर सकते है । उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकारी पदधारी होने के नाते हमारा यह नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय संविधान में निहित राजभाषा हिंदी नियमों का पूर्णरूपेण अनुपालन और इसके प्रचार-प्रसार के लिए सदैव प्रयत्नशील एवं कटिबद्ध रहते हुए राजभाषा हिंदी को इसकी उचित स्थान व मर्यादा दिलाने में एक अहम भूमिका निभाएं । सही अर्थों में ऐसा तभी संभव है जब हम सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे । उनके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सहायक टूल्स अर्थात मंत्र राजभाषा, ई-महाशब्दकोश, हिंदी टंकण आदि का हवाला देते हुए इसका अधिकाधिक प्रयोग करने का सुझाव भी प्रतिभागियों को दिया गया । साथ ही, कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों से यह भी अपील किया गया कि वे वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में भी राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें ।

तत्पश्चात, आदरणीय प्रोफेसर सूरज प्रसाद साह द्वारा प्रयोजनमूलक हिंदी, हिंदी भाषा के मानकीकरण और पत्राचार के विविध स्वरूप पर विशद चर्चा के साथ कार्यालय प्रयोजनार्थ संक्षिप्त तथा शुद्ध हिंदी लिखने की कौशल एवं सरल-सहज शब्दों के अनुप्रयोग पर व्याख्यान सहित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया । इस अवसर पर उनके द्वारा अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह विचार प्रकट किया गया कि आज हिंदी सिर्फ हमारी राजभाषा न रहकर यह पूरे विश्व की भाषा बन गई है और इस वजह से हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम इसके प्रचार-प्रसार व समुचित व्यवहार के लिए सदा सचेष्ट रहें ।

इसके अतिरिक्त, डॉ सुनीता, प्राध्यापिका, सावित्री गर्लस कॉलेज, कोलकाता द्वारा हिंदी व्याकरण विशेषकर लिंग के प्रयोग तथा इससे जुड़े नियमावली और वाक्य रचना पर प्रकाश डाला गया । उनके द्वारा कार्यालयीन टिप्पण व आलेखन आदि पर चर्चाएं तथा इसके लेखन विधि से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया । इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी के वाक्यांशों के सरल सहज हिंदी स्वरूप पर भी आलोकपात किया गया ।

कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर अध्यक्षीय अभिभाषण के दौरान संस्थान के निदेशक द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि कार्यशाला का आयोजन हमारे लिए काफी उपयोगी एवं लाभदायक होता है क्योंकि इस दौरान हमें नई-नई जानकारी व बातें सीखने को मिलती हैं जिससे हम हमारे भीतर व्याप्त हिचक और शंकाओं को दूर कर सकते हैं । उन्होंने यह भी कहा की यह कार्यशाला सही मायने में तभी सफल साबित होगा जब हम अधिक से अधिक अपने कार्यक्षेत्र में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करेंगे । इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा भी कार्यशाला में दी गई जानकारियाँ एवं विषयों तथा इसकी उपयोगिता पर विचार व्यक्त किया गया ।

सर्वशेष में सहायक निदेशक (राभा) के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा की गई ।

गुवाहाटी रिफाइनरी में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला सम्पन्न

दिनांक 29-4-13 को गुवाहाटी रिफाइनरी प्रशिक्षण केंद्र में नराकास (उपक्रम), गुवाहाटी सदस्य कार्यालयों के हिंदी अधिकारियों के लिए ऑनलाइन तिमाही रिपोर्ट कैसे भरें एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शीर्षक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए एक नया पहल के अनुसार हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की त्वरित एवं त्रुटिहीन प्राप्ति एवं हिंदी की प्रभावी प्रगति के लिए राजभाषा विभाग ने तिमाही प्रगति एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रस्तुती के लिए एक प्रणाली विकसित की है और सभी कार्यालयों को निदेश जारी किए हैं कि तिमाही रिपोर्ट सिर्फ ऑनलाइन में ही राजभाषा विभाग को भेजा जाएं । इस नए पहल से सभी सदस्य कार्यालयों को परिचित कराने एवं ऑनलाइन प्रदर्शन द्वारा वास्तविक प्रशिक्षण दिलाने पंजाब एवं नेशनल बैंक के प्रबंधक (राजभाषा) श्री अजय द्विवेदी को संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रण किया गया और उन्होंने अति सरलता से रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया एवं ऑनलाइन तिमाही रिपोर्ट भरने की तकनीक विस्तार से जानकारी दी ।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी श्री बदरी यादव जी ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा पहल किए गए ऑनलाइन पर तिमाही रिपोर्ट भरने की अनिवार्यता एवं उद्देश्य व्याख्या की ।

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 12, रीजेन्ट पार्क, कोलकाता - 700040

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता में दिनांक 18-5-2013 को पूर्वाहन 10.00 बजे से 1.00 बजे तक संस्थान के हिंदी सेल के प्रभारी अधिकारी श्री आर. डी. शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में "राजभाषा कार्यान्वयन, टिप्पणी एवं मसौदा लेखन" विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में तकनीकी एवं प्रशासनिक वर्ग के कुल मिलाकर 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डॉ. रूस्तम राय, सहायक निदेशक (राजभाषा), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ने संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की स्थिति का जायजा लेते हुए उन्हें भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया। उन्होंने सत्र के दौरान नोटिंग-ड्राफ्टिंग, मात्रा संबंधी समस्या, लिंग, कारक इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आई टी टूल्स जैसे मंत्र राजभाषा, लीला, शब्दिका इत्यादि के बारे में भी बताया। कई कर्मचारियों ने उनसे प्रश्न पूछकर अपने झिझक को दूर किया। अन्त में कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं बाहर से पधारे हिंदी विशेषज्ञ के प्रति श्री के. एल. अहिरवार, तकनीकी अधिकारी (राजभाषा) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई।

केनरा बैंक, राजभाषा कक्ष, मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग अंचल कार्यालय, आई एम ए हाऊस, बी. एन. नगर, हुबली-580029

दिनांक 31-5-2013 को केनरा बैंक आर. से. टी., दावणगेरे में हिंदी को बढ़ावा देने हेतु हिंदी कार्यशाला आयोजित किया गया।

इस कार्यालय में 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला सुबह 9.45 बजे से सायं 5 बजे तक चला। कार्यशाला में श्री अनिल कुमार केशरी एवं श्री सी. एन. शेखर के द्वारा सत्र लिया गया। मुख्य प्रबंधक श्री श्री विजय कुमार ए. सी ने अपने स्वागतीय भाषण में कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, हुबली की सराहना की। हुबली के राजभाषा कक्ष के अधिकारी श्री अनिल कुमार केशरी ने कहा कि केनरा बैंक हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयासरत है। मुख्य अतिथि श्री सी. एन. शेखर ने अपने वक्तव्य में कहा, "केनरा बैंक, हिंदी को दक्षिण भारत में बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है"। बाद में कार्यशाला सुबह 9.45 बजे से सायं 5 बजे तक चला। कार्यशाला में श्री अनिल कुमार केशरी एवं श्री सी. एन. शेखर के द्वारा सत्र लिया गया। अंतत: श्री के राघेवेन्द्र द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला सम्पन्न हुआ। इस कार्यशाला में 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

'ख' क्षेत्र

दूरदर्शन : नागपुर

दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर में दि. 20 जून, 2013 को एक अर्ध-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। 'यूनिकोड के माध्यम से कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य' विषय पर आयोजित उक्त कार्यशाला में कार्यक्रम, अभियांत्रिकी तथा प्रशासन अनुभाग के सदस्यों ने भाग लिया। श्री मनमोहन सोलंकी, प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, नागपुर इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने यूनिकोड के तकनीकी पहलुओं की व्याख्या करते हुए इसके माध्यम से कम्प्यूटर पर किस तरह सरलता से हिंदी में कार्य किया जा सकता है, इस तथ्य को विस्तार से समझाया। उन्होंने कंप्यूटर पर हिंदी टंकण हेतु उपलब्ध नए-नए टूल्स की जानकारी दी, विशेषकर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित लिप्यंतरण (ट्रांसलिटरेशन) की बोर्ड की जानकारी से उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी अत्यंत प्रभावित हुए क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से ऐसे कर्मचारी भी कंप्यूटर पर अपना कार्य हिंदी में आसानी से कर सकते हैं जिन्होंने टंकण का कोई पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं लिया। हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा सकता है। कार्यशाला में कुल 32 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

आरंभ में श्री सी.एल. नंदनपवार, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) ने कार्यशाला की प्रस्तावना रखी। श्री ए. आर. गड़पाले, निदेशक (अभि.) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से इस अवसर का

लाभ उठाने तथा अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने की अपील की । कार्यशाला का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री रवीन्द्र मिश्रा, प्रभारी हिंदी अधिकारी ने किया ।

आकाशवाणी : नागपुर

आकाशवाणी नागपुर सभाकक्ष, में मंगलवार, दिनांक 25 जून, 2013 को अपराह्न 3-30 बजे "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया गया ।

कार्यालय प्रमुख द्वारा हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता आयोजन पर प्रकाश डाला और कहा की, हिंदी कार्यशाला से हिंदी कार्य करने में जो झिझक हो रही है, उसे दूर करने में सहायता मिलती है ।

कार्यशाला का विषय था "कार्यालय में राजभाषा हिंदी में कार्य करते समय आने वाली कठिनाईयां एवं निराकरण" इस विषय पर अतिथि वक्ता ने विस्तार पूर्वक बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया । इस विषय पर सविस्तार चर्चा करके बड़े रोचक ढ़ंग से राजभाषा हिंदी में कार्य करने में आ रही समस्या का समाधान कराया तथा संक्षिप्त में वर्तनी ज्ञान करवाया । जो सभी के लिए ज्ञानवर्धक व उपयोगी रहा । अंत में निदेशक (अभियांत्रिकी) श्री रमेश घरडे ने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की वे शासकीय कार्य हिंदी में करें तथा कार्यशाला में प्राप्त जानकारी का प्रयोग अपने दैनंदिनी कार्य में लाए । श्री सिद्धार्थ मेश्राम, कार्यक्रम प्रमुख ने अतिथि वक्ता एवं सभी उपस्थित अधिकारी गण एवं कर्मचारियों का आभार प्रकट किया ।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, रूडा बिल्डिंग पांचवी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट -360001

भारतीय कपास निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय, राजकोट में शुक्रवार दिनांक 28-6-2013 को श्री यू.के. सिंह उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में करना चाहिए क्यों कि निगम में हिंदी का जो वातावरण है उससे हम सभी भलीभांति परिचित है । उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में जितनी आत्मीयता है वह किसी अन्य भाषा में नहीं है इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रतिभागियों से निष्ठापूर्वक हिंदी के कार्यान्वयन में अपना योगदान देने की अपील की । इस अवसर पर श्री संतोषकुमार शर्मा, राजभाषा प्रभारी ने सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं की उपादेयता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यशालाएं ही ऐसा मंच है जो हमें अपनी कमियों से रुबरु करवाता है तथा उसमें अपेक्षित सुधार के अवसर प्रदान करता है । उन्होंने कहा कि हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं तथा हमारे लिए कार्यशाला की आवश्यकता नहीं है । व्यक्ति जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ सीखता है । हमें सदैव सीखनें के लिए तत्पर रहना चाहिए । श्री शर्मा नें प्रतिभागियों को हिंदी पत्राचार, टिप्पण एवं आलेखन के बारे में जानकारी दी इसके साथ ही हिंदी को सरलतापूर्वक कैसे प्रयोग किया जाए जिससे कि यह कार्यालयीन कार्य की भाषा बन सके इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला । कार्यशाला में कुल 2 अधिकारी एवं 16 कर्मचारियों ने भाग लिया । कार्यक्रम का संचालन श्री संतोषकुमार शर्मा द्वारा किया गया एवं आभार ज्ञापन श्री पुनीत सिंघल लेखा अधिकारी द्वारा किया गया ।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) एस. ए. एस. नगर

21 जून 2013 को नाईपर में राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया । कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राजभाषा के प्रति नाईपरवासियों को प्रोत्साहित करना था । कार्यशाला को मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए दो प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया । जिसमें प्रथम प्रतियोगिता "अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूपान्तरण" तथा द्वितीय प्रतियोगिता "भाषण प्रतियोगिता" थी, जिसका विषय "नैतिकता एवं अनुशासन का महत्व" था । दोनों प्रतियोगिताओं में लगभग 25 से 30 प्रतिभागी सम्मिलित हुये । "अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूपान्तरण" प्रतियोगिता में सुश्री हिना लतीफ निजामी (विद्यार्थी) प्रथम स्थान पर तथा द्वितीय स्थान पर डॉ. बलकार सिंह, वैज्ञानिक रहे तथा द्वितीय प्रतियोगिता "भाषण प्रतियोगिता" में सुश्री हिना लतीफ निजामी (विद्यार्थी) एवं सुश्री किंजल पटेल (विद्यार्थी) संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे तथा द्वितीय स्थान पर श्री धामेलिया तेजस म. (विद्यार्थी) रहे ।

'क' क्षेत्र

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय (सं.नि.प्रा.) आयकर भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

मुख्य आयकर आयुक्त, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी -म. प्र. छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय भोपाल के मुख्य सभा कक्ष में दिनांक 13-6-2013 से 14-6-2013 तक विभिन्न सत्रों में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

13 जून 2013 को कार्यशाला के प्रथम दिवस प्रथम वक्ता के रूप में 'राजभाषा संबंधी नियम-अधिनियम' विषय पर अतिथि व्याख्यानदाता श्री राज केसरवानी, से. नि. सहायक निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा व्याख्यान दिया गया । श्री केसरवानी जी ने प्रतिभागियों को राजभाषा संबंधी नियम अधिनियमों की विस्तृत जानकारी दी । उन्होंने कहा कि 'भाषा को तालाब न बनाकर, सरिता की तरह प्रवाहमान बनाना चाहिए' । साथ ही भाषा के संक्षिप्त इतिहास, राजभाषा के कार्यान्वयन, शब्दों माणकीकरण, हिंदी शब्दों के प्रयोग को रोचक उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया । द्वितीय व्याख्यान के रूप में डॉ डी. के. त्यागी, सहायक निदेशक (राजभाषा), मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा 'हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट' विषय पर प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी । श्री त्यागी जी द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट से संबंधित सभी नियमों से प्रतिभागियों को अवगत कराते हुए उक्त रिपोर्ट के प्रपत्र को भरने का अभ्यास भी करवाया गया । व्याख्यान के बाद प्रतिभागियों के प्रपत्र संबंधी प्रश्नों का भी समाधान किया गया ।

मध्यान्ह पश्चात आयोजित सत्र में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक एवं अनुसंधान संस्थान (निटर), भोपाल की डॉ. (श्रीमती) अंजना तिवारी, सह-प्राध्यापक को 'जीवन प्रबंध न' विषय पर व्याख्यान हेतु अतिथि व्याख्यानदाता के रूप में डॉ. तिवारी ने महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों से जीवन प्रबंधन के तरीके ग्रहण करते हुए उनके चरित्रों के गुणों को जीवन में आत्मसात करने हेतु प्रतिभागियों को प्रेरित किया । साथ ही अर्थव्यवस्था के संबंध में नीति ज्ञाता-चाणक्य के प्रबंध न एवं बचत की आवश्यकता से भी परिचित करवाया । डॉ. तिवारी ने प्रतिभागियों को भारतीय संस्कृति एवं सामाजिकता के मूल आधारों से जुड़ें रहते हुए भाषाई मूल आधार हिंदी में अधिक कार्य करने एवं सहजता से उसके प्रसार हेतु प्रोत्साहित किया । व्याख्यान में प्रतिभागियों से प्रतिप्रश्नोत्तर भी शामिल किये गए ।

इसी दिन चतुर्थ व्याख्यान के रूप में 'आंतरिक आडिट मामलों एवं आयकर संबंधी कार्यों में हिंदी का प्रयोग' विष्य पर श्री बी.के. गुप्ता, संयुक्त आयकर आयुक्त (लेखा परीक्षा), कार्यालय आयकर आयुक्त (लेखा परीक्षा), भोपाल ने उपस्थित प्रतिभागियों को आयकर संबंधी कार्यो में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए इस हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया । साथ ही अभ्यास सत्र में प्रतिभागियों को प्रदान किए गए प्रश्नपत्र के माध्यम से नियमित कामकाज में प्रचलित शब्दों के उपयोग हेतु अभ्यास करवाया गया ।

कार्यशाला के दूसरे दिन 'राजभाषा संबंधी व्यवहारिक ज्ञान/शुद्ध लेखन एवं वर्तनी' विषय पर व्याख्यान हेतु केन्द्रीय विद्यायल क्र.1 भोपाल के श्री ए. के. त्रिपाठी स्नातकोत्तर शिक्षक (हिंदी) को अतिथि व्याख्यानदाता के रूप में आमंत्रित किया गया था । श्री त्रिपाठी ने शिक्षकोत्तर गुणों के साथ प्रतिभागियों को सही वर्तन, लिपि एवं संयुक्ताक्षर के विषय के विषय में भाषाई ज्ञान प्रदान किया । साथ ही प्रतिभागियों को हिंदी के कामकाज में आने वाली सामान्य अशुद्धताओं के संबंध में उनकी जिज्ञासाओं का निराकरण किया । द्वितीय व्याख्यान के रूप में 'यूनीकोड एवं कम्प्यूटर पर हिंदी का अनुप्रयोग' विषय पर श्री सुशील गिरी, उच्च श्रेणी सहायक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल ने प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की । श्री गिरी ने वर्तमान में कम्प्यूटर पर हिंदी में कामकाज हेतु यूनीकोड के महत्व को बताते हुए, साफ्टवेयर डाउनलोडिंग/इंस्टालेशन को भी समझाया साथ ही यूनीकोड की विशेषताओं को समझाते हुए प्रतिभागियों को अभ्यास भी करवाया गया । उक्त व्याख्यान को प्रतिभागियों ने उत्सुकता के साथ समझा एवं अभ्यास किया ।

इसी दिन तृतीय व्याख्यान के रूप में 'आयकर का आधारिक ज्ञान एवं पत्राचार/टिप्पण व आलेखन' विषय शामिल किया गया था । विषय विशेषज्ञ श्री एस.के. दीनानी, आयकर अधिकारी, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, भोपाल ने कार्यशाला में भाग ले रहे नवीन कर सहायकों/वरि. कर सहायकों/आशुलिपिकों को आयकर विभाग की आधारिक संरचना से अवगत कराते हुए आयकर के विस्तृत उद्देश्यों

को समझाया । श्री दीनानी ने दक्षता के साथ विषय को प्रस्तुत करते हुए आयकर प्रणाली एवं आयकर संबंधी कार्यों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हुए प्रतिभागियों को प्रयोगिक जानकारी दी गई । प्रतिभागियों ने व्याख्यान में आयकर संबंधी कार्यों में हिंदी के विभिन्न प्रयोगों के साथ ही आयकर विभाग के वीजन, मिशन एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामान्य कामकाज करना भी सीखा ।

14 जून, 2013 को कार्यशाला के अंतिम दिवस मध्यान्ह पश्चात् आयोजित द्वितीय सत्र में विषय विशेषज्ञ एवं अतिथि व्याख्यानदाता श्री राज केसरवानी, से.नि. सहायक निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने 'हिंदी संबंधी प्रोत्साहन योजनाएँ विषय पर जानकारी प्रदान की । श्री केसरवानी ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु लागू नियमानुसार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी । उन्होंने यह भी बताया कि हिंदी में सहजता पूर्वक कार्य करने के साथ ही सरकार की विभिन्न हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है । श्री केसरवानी ने प्रतिभागियों को उत्साहित करते हुए आह्वान किया कि राजभाषा का प्रचार-प्रसार करना सभी शासकीय कर्मचारियों का संवैधानिक दायित्व है, अत: हिंदी में कामकाज को निरंतर बढ़ावा दिया जाना चाहिए । कर्मचारियों ने हिंदी संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं को समझकर हिंदी में कार्य करने का संकल्प भी लिया ।

आकाशवाणी : नई दिल्ली

आकाशवाणी नई दिल्ली के सभागार कक्ष में दिनांक 14 मई, 2013 को आकाशवाणी नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का विषय था 'हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन' ।

कार्यशाला की औपचारिक शुरूआत उपमहानिदेशक श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी के उद्बोधन से हुई, श्री वाजपेयी ने अपने सम्बोधन में सभी अधि./कर्मचारियों से सम्पूर्ण कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने की अपेक्षा की, ताकि राजभाषा की अनुपालना सुनिश्चित हो सके । उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं के आयोजन से एक माहौल बनता है और हिंदी के प्रसार में इस माहौल का लाभ उठाने में ही कार्यशालाओं की सार्थकता है ।

श्रीमती स्नेहलता, सहायक निदेशक ने हिंदी में टिप्पण व प्रारूप लेखन विषय पर चर्चा करते हुए विभिन्न प्रकार की टिप्पणियों को हिंदी में आसानी से लिखने के लिए उपस्थित अधि./कर्म. को अभ्यास कराया । श्रीमती स्नेहलता ने जिस सहज और सरलता से अधि./कर्म. को बताया उससे कर्मचारीगण काफी प्रभावित हुए एवं हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित हुए ।

कार्यशाला में उपस्थित अधि./कर्म. ने जब परि-प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न किया तो उन्होंने बड़ी सहजता से उन्हें समझाया और इसके अलावा दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग में आने वाले शब्दों और वाक्यों के संबंध में भी बताया ।

'टिप्पण एवं प्रारूप लेखन' मुख्य विषय के उपरान्त दूसरी मुख्य वक्ता श्रीमती ऋचा बैनर्जी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा नीति व उसकी अनुपालना पर सार गर्भित प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सके अधिक से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से राजभाषा नीति की अनुपालना के प्रति गंभीर रहने का आवहान किया । उन्होंने हिंदी में सरलता से काम कैसे करें इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया, उन्होंने यूनिकोड पर जानकारी देते हुए इसे नेट के जरिए अपने कम्प्यूटर पर डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी बताई ।

आकाशवाणी : बीकानेर

आकाशवाणी बीकानेर में दिनांक 11 जून, 2013 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला की अध्यक्षता केन्द्र के कार्यक्रम अध्यक्ष एवं का. केन्द्राध्यक्ष श्री श्रवण कुमार ने की ।

व्याख्यान माला के अन्तर्गत केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी श्री केशव प्रसाद बिस्सा ने केन्द्र पर राजभाषापरक गतिविधियों की परिचयात्मक हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की । उन्होंने आकाशवाणी केन्द्रों पर अनुभागवार किए जाने वाले दैनंदिक कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इन सभी मदों में अपेक्षित कार्य शत प्रतिशत रूप से हिंदी में निष्पादित होने जरूरी होते हैं । उन्होंने कहा कि केन्द्र पर हो रहे हिंदी के निष्ठापूर्ण कार्यों का ही परिणाम है कि केन्द्र को अनेक राजभाषा पुरस्कार और प्रशस्तियां प्राप्त हुई हैं । उन्होंने आगे

भी सभी सहकर्मियों को हिंदी के प्रति सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने पर जोर दिया । कार्यशाला का संयोजन करते हुए केन्द्र के प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कहा कि भाषा को मां का सम्बोधन दिया जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही मानव को विचारों की अभिव्यक्ति देना सिखाती हैं । उन्होंने हिंदी के मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, जन भाषा और राजभाषा स्वरूपों की चर्चा करते हुए हिंदी के संवैधानिक कर्त्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि हिंदी आज देश की सीमाओं को लांघकर न केवल वैश्विक धरातल को छू रही है बल्कि हिंदी बाजारवाद की सबल और समर्थ भाषा बनती जा रही है । ऐसे में हमें अपना मन टटोलना होगा कि हिंदी को लेकर हम कहां खड़े हैं ।

राजभाषा हिंदी के संवैधानिक उपलब्ध्य और वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम विषय पर बोलते हुए मुख्य वक्ता श्री अनिल शर्मा ने कहा कि देश में हिंदी की जानकारी तो सभी रखते हैं लेकिन किसी न किसी अभिमान के रहते अंग्रेजी के साथ चिपके रहना चाहते हैं । उन्होंने बताया कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी हिंदी को समझते हैं और वस्तुत: अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी को समझने वालों की बहुतायता के फलस्वरूप ही हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में सहज स्वीकृति मिली । श्री शर्मा ने राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम का परियच देते हुए कहा कि हिंदी कार्यान्वियन की दृष्टि से देश को क, ख और ग तीन भागों में बांटा गया है, जहां क क्षेत्र में मौलिक पत्राचार का लक्ष्य पूरा सौ प्रतिशत है तथा हिंदी में प्राप्त पत्रों का अनिवार्यत: हिंदी में उत्तर दिया जाना अपेक्षित है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का जिक्र करते हुए उन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी की द्विभाषिक आवश्यकता की भी व्याख्या की और कहा कि इसके अन्तर्गत केवल अंग्रेजी में निर्गमन को राजभाषा नियमों की अवहेलना माना गया है ।

आकाशवाणी : जगदलपुर

आकाशवाणी जगदलपुर में दिनांक 27 जून, 2013 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का विषय 'देश में हिंदी की स्थिति और उसका कार्यालयीन उपयोग' रखा गया था । इस विषय पर श्री राजेन्द्र रंजन गायकवाड़, जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल जगदलपुर जो हिंदी के साहित्यकार भी हैं, को प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर आकाशवाणी के केन्द्राध्यक्ष श्री एस. के. मिश्रा, उप निदेशक (अभि.) ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का महत्व बताते हुए कहा कि हिंदी का उपयोग बोलचाल के लिए अलग, अखबार के लिए अलग व साहित्य के लिए अलग ढंग से किया जाता है परन्तु कहीं पर भी हिंदी का महत्व कम नहीं होता । उन्होंनें भारत में हिंदी की उपयोगिता के संबंध में विभिन्न न्यूज चैनलों एवं विज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि हिंदी के बिना उनका काम नहीं चल सकता । न केवल कार्यालयीन उपयोग, न केवल साहित्यिक उपयोग बल्कि हिंदी का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक बढ़ गया है । केन्द्र पर हिंदी में कार्य करने पर बल देते हुए उनका कहना था कि हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत हिंदी में कार्य करना है और खुशी की बात है कि हमारा केन्द्र हिंदी कार्य के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है । हिंदी अधिकारी श्री आर. डी. पाण्डे, (सहायक अभियन्ता) ने हिंदी कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और प्रति तिमाही हिंदी कार्यशाला का फल भी अच्छा मिल रहा है, केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारीगण हिंदी में कार्य कर रहे हैं ।

मुख्य वक्ता श्री राजेन्द्र रंजन गायकवाड़ ने अपने उद्बोधन में बताया कि आकाशवाणी हिंदी सीखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है । उन्होंने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि रेडियो का 'हवा महल' कार्यक्रम उन्हें बहुत प्रिय है और उसमें प्रसारित होने वाले नाटकों को सुनकर उन्होंने अपनी हिंदी को परिष्कृत किया है, बहुत कुछ सीख पाई है । हिंदी सीखने की प्रेरणा देते हुए श्री राजेन्द्र रंजन ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीकरण गुप्त, प्रेमचंद और अन्य प्रसिद्ध साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने पर जोर दिया । उन्होंने बताया कि राहुल सांस्कृत्यायन को 36 भाषाओं का ज्ञान था । किसी भी भाषा का ज्ञान हमेशा अच्छा रहता है और सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए परन्तु अपनी भाषा की दुर्गति नहीं करनी चाहिए । उनका कहना था कि देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी जानने वाले लोग हैं यदि उनके साथ सम्पर्क करते हुए हम हिंदी का उपयोग न करें, उनकी परीक्षाए हिंदी में न ली जाए तो उनके साथ अन्याय होगा । सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी हिंदी की बहुत आवश्यकता है । और बस्तर के

परिप्रेक्ष्य में तो यहां की बोलियों का भी महत्व बहुत अधिक है ।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान 5 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016

संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकें, इसमें उन्हें सहायता देने के लिए समय समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है । इसी क्रम में संस्थान के स्टाफ सदस्यों के लिए 10 मई, 2013 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस कार्यशाला का उद्देश्य यूनीकोड साफ्टवेयर 'सारांश' के इस्तेमाल का अभ्यास कराना था जिसे इसका प्रयोग आसानी से किया जा सके । इस कार्यशाला में संस्थान के कुल 22 सहभागियों ने भाग लिया ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री जी.बी. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (समान्य सेवा) ने किया । उन्होंने उपस्थित सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से सहभागियों को यूनीकोड साफ्टवेयर 'सारांश' का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी और उनकी इस साफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी । उन्होंने आशा प्रकट की कि यह कार्यशाला सहभागियों के लिए उपयोगी साबित होगी ।

कार्यशाला के विषय को आर्यन ई-साफ्टवेयर प्राइवेट कम्पनी के श्री रोहित द्वारा भाषण एवं अभ्यास पद्धति द्वारा प्रतिपादित किया गया । सहभागियों को स्क्रीन पर इस साफ्टवेयर की विशेषताएं दिखाई गई और उनके लिए इसे इस्तेमाल करने के तरीकों का निदर्शन किया गया । इसमें सीखने की संभागी विधि भी अपनाई गई ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विमानपत्तन पर दिनांक 16-4-2013 से 17-4-2013 तक दो दिनों की अर्द्ध-दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमान श्री डी.पॉल मणिक्कम् निदेशक विमानपत्तन जयपुर द्वारा किया गया । इस अवसर पर उन्होंने कार्यशाला का महत्व बताते हुए कहा कि कार्यशाला से कार्मिकों के कार्यो मे सुधार आता है एवं कार्यशाला से हमें अपनी कमियों की जानकारी मिलती है तथा उनमें सुधार के सुझाव एवं अवसर मिलते है । इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जयपुर विमानपत्तन पर हिंदी कार्य का प्रतिशत लगभग 100% तक पहुँच गया है जोकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे बनाए रखना है । जयपुर विमानपत्तन राजभाषा कार्यान्वियन में उत्तरी क्षेत्र के कार्यालयों में प्रथम स्थान पर रहता है तथा इसी उपलक्ष्य में जयपुर विमानपत्तन कार्यालय को उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है । यह सभी अनुभागाध्यक्षों के सहयोग से ही संभव हो पाया है । यह कार्यशाला विशेष रूप से उन कार्मिकों हेतु आयोजित की गई थी जो अपने अपने अनुभागों में राजभाषा कार्यान्वियन का कार्य सुनिश्चित कराते हैं ।

कार्यशाला में श्री विभूतिकांत शर्मा, प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक ने "कामकाजी हिंदी का स्वरूप एवं पारिभाषिक शब्दावली" विषय पर, श्री ओ.पी. चास्ता, वरि. प्रबंधक (राजभाषा), केनरा बैंक ने "प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय" विषय पर, श्रीमती मंजुला वाधवा, प्रबंधक (राजभाषा) नाबार्ड ने "कार्यालयी कामकाज में यूनिकोड का प्रयोग" विषय पर तथा श्री ओमप्रकाश मनियारिया, राजभाषा अधिकारी, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने "तिमाही प्रगति रिपोर्ट" विषय पर व्याख्यान दिए । ■

अनुवित हिंदी से बचें । सरकारी कामकाज में अक्सर लोग अंग्रेजी से अनुवाद की गई हिंदी का प्रयोग करते हैं । इसकी बजाय मूल रूप से हिंदी लिखना अधिक लाभकर होगा ।

संगोष्ठी/सम्मेलन

राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय द्वारा चण्डीगढ़ में आयोजित उत्तर-I एवं उत्तर-II क्षेत्रों का राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

उत्तर-I एवं उत्तर-II क्षेत्रों का राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ के सभागार में दिनांक 05 जून, 2013 को श्री अरुण कुमार जैन, सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव (राजभाषा), श्री जसपाल सिंह, अध्यक्ष नराकास चण्डीगढ़, श्री जे. पी. गुप्ता, अध्यक्ष नराकास (बैंक) चण्डीगढ़ तथा श्री आलोक निगम, अध्यक्ष नराकास (कालका-परवाणु) भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे । प्रारम्भ में माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्यविशेष अतिथियों का मंच पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया और माननीय अतिथियों द्वारा दीप-प्रज्ज्वलन एंव स्वस्ति वाचन के उपरान्त संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री दिलीप कुमार पाण्डेय ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया । उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में यूनिकोड के महत्व एवं राजभाषा विभाग द्वारा शुरु किए गए सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने की महत्ता पर प्रकाश डाला और यह स्पष्ट किया कि कम्प्यूटरों को यूनिकोड से युक्त करने की प्रक्रिया में ऑनलाइन रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण कड़ी है । इसलिए सूचना प्रबंधन प्रणाली पर सभी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों द्वारा पंजीकरण के पश्चात् अपनी तिमाही रिपोर्टे इसके माध्यम से राजभाषा विभाग को भेजी जाएं जिससे कि इसका सही तरीके से अकालन हो सके ।

उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री शैलेश कुमार सिंह एवं श्री राकेश कुमार द्वारा क्रमश: उत्तर क्षेत्र-I एवं उत्तर क्षेत्र-II में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत किया गया ।

श्री आलोक निगम, अध्यक्ष नराकास(कालका-परवाणु) ने अपने संबोधन में हाल ही में गठित इस नराकास की पिंजौर में सम्पन्न हुई प्रथम बैठक में नराकास द्वारा शुरु की गई राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों का जिक्र किया और इसमें गति लाने के प्रयासों की जानकारी दी । श्री जे. पी. गुप्ता, अध्यक्ष नराकास (बैंक) चण्डीगढ़ ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक नराकास द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों की जानकारी दी जिसके कारण इस नराकास को विगत वर्षो में इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार सहित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा है । उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ जुटे रहने का आवाहन किया ।

श्री जसपाल सिंह, अध्यक्ष नराकास चण्डीगढ़ ने इस अवसर पर कहा कि चण्डीगढ़ नराकास समय पर अपनी बैठकों एवं विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती है । उन्होंने चण्डीगढ़ में आठ राज्यों के इस सम्मेलन के आयोजन को आठ क्षेत्रों की संस्कृतियों का मिलन स्थल बताया। राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने आयकर विभाग द्वारा अपने मूल साफ्टवेयर को द्विभाषी बनाए जाने की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसकी शुरुआत कार्यालय स्तर पर की जा चुकी है ।

श्री लीलाधर मण्डलोई महानिदेशक आकाशवाणी एवं अध्यक्ष नराकास दिल्ली (मध्य) ने कहा कि हिंदी पखवाडे के दौरान जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उनमें थोडे बदलाव की जरुरत है । हिंदी के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नराकास स्तर पर राजभाषा पोस्टर प्रदर्शनी, पत्रिका प्रकाशन एवं व्याख्यान भाषाओं की शुरुआत की जानी चाहिए । इस अवसर पर उन्होंने सरल भाषा के उपयोग एवं भाषा के सौंदर्य पर नराकास दिल्ली (मध्य) द्वारा महाकवि निराला की स्मृति शुरु की गई व्याख्यानमाला का जिक्र किया और कहा कि हिंदी में कार्य करने वाले कार्मिकों को पर्याप्त प्रोत्सहान दिया जाना चाहिए जिससे कि अन्य कार्मिकों को भी हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी ।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार जैन, सचिव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ऐसे समारोहों को विचारों के आदान-प्रदान का एक साझा मंच बताया और कहा कि संघ की राजभाषा नीति को लागू करने में नराकासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि ये समितियां ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगी तो राजभाषा कार्यान्वयन में अपेक्षित गति नहीं आ पाएगी। नराकास के तीन पहलू ही राजभाषा नीति के पहलू हैं: (1) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन (2) राजभाषा नियम 8(4) एवं 10(4) के अन्तर्गत मूल कामकाज में हिंदी का प्रयोग तथा (3) राजभाषा संगोष्ठी एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन माध्यम से कार्मिकों में जागरुकता उत्पन्न करना। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नराकास द्वारा इस तीसरे पहलू पर अच्छा कार्य किया जा रहा है। पहले पहलू पर स्थिति संतोषजनक है जबकि दूसरे पहलू पर हम अभी भी काफी पीछे हैं क्योंकि अभी भी हम पूरी तरह से अपना मूल कामकाज हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्य के अनुसार पत्राचार शतप्रतिशत होना चाहिए लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पा रहा है जिस पर संसदीय राजभाषा समिति ने भी असंतोष जताया है। अत: इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसके तहत सचिव महोदय ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष जोर दिए जाने की बात कही:-

(1) काडर विकास (संवर्ग संरचना) को उचित महत्व दिया जाए जिससे कि राजभाषा संबंधी पदों का सृजन एवं इन पर पदस्थापना हो सके। इसके लिए यह बताया गया है कि इस पर कोई रोक नहीं है।

(2) प्रशिक्षण का समुचित लाभ उठाया जाना चाहिए तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी नराकास स्तर पर इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। अंग्रेजी आशुलिपिकों के लिए हिंदी आशुलिपी का प्रशिक्षण जरुरी है जिससे कि वे डिक्टेशन हिंदी में ले सकें।

(3) सभी हिंदी अनुभागों को कम्प्यूटर पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और साफ्टवेयर विकास का कार्य द्विभाषी रूप में होना चाहिए। अगर प्रारम्भ से ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो सही तरीके से कार्यान्वयन हो सकेगा।

(4) सरल-सहज हिन्दी के प्रयोग हेतु नराकास स्तर से कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है जोकि इस दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा किया गया एक विशेष पहल है।

(5) पत्रिकाओं के अलावा इनमें प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों को भी पुरस्कृत करने की योजना शुरु की गई हैं।

(6) यह भी योजना बनाई गई है कि विभिन्न क्षेत्रों की पत्रिकाओं में प्रकाशित अच्छे-अच्छे लेखों का चयन कर उन्हें संकलित किया जाएगा जिससे कि अच्छे लेखकों को प्रोत्साहन मिल सके।

इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा उत्तर-I उत्तर-II स्थित कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों तथा नराकासों में से राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों तथा नराकासों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राजभाषा शील्ड एवं प्रमाण-पत्र से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण के उपरान्त निदेशक (का.) श्री हरिन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुती के माध्यम से सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं हिंदी साफ्टवेयरों की अद्यतन जानकारी दी गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सुश्री वन्दना तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा विभिन्न राज्यों की लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। सुश्री नीरु तथा डा. नरेश मोहन ने संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक मंच संचालन किया। श्री शैलेश सिंह, उप निदेशक(का) द्वारा सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, पुरस्कार विजेताऐं एवं सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रथम सत्र की समाप्ति की घोषणा के साथ सभी को मध्याह्न भोजन के लिए आमंत्रित किया गया।

द्वितीय सत्र मध्याह्न भोजन के उपरान्त 02.40 बजे अपराह्न में प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री अरुण कुमार जैन, सचिव राजभाषा विभाग द्वारा की गई। साथ ही संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री डी.के.पाण्डेय तथा निदेशक (का.) श्री हरेन्द्र कुमार भी मंच पर उपस्थित थे। यह एक खुला सत्र था, जिसमें सम्मेलन के प्रतिभागियों द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा जो विचार/सुझाव/समस्या आदि रखे गए उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

गुवाहाटी रिफाइनरी में नराकास पर हिंदी संगोष्ठी

दिनांक 26-03-13 को इडियन ऑयल के गुवाहाटी रिफाइनरी प्रशिक्षण केन्द्र में नराकास स्तर पर आयोजित एक दिवसीय हिंदी संगोष्ठी कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है।

"राष्ट्रीय अस्मिता के परिप्रेक्ष में पूर्वोत्तर में हिंदी का विकास एवं कार्यान्वयन" मुख्य विषयवस्तु पर आधारित दो शीर्षकों पर आमंत्रित विशिष्टि वक्ताओं, अध्यक्षों तथा सार-समीक्षकों के द्वारा गहन विचार-मंथन से कई विचारनीय मुद्दा सामने आए ।

विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे असम के जाने माने साहित्यकार एवं समाज सेवी श्रीमती मनिकुंतला भट्टाचार्य जी का कहना था कि उनकी प्रादेशिक भाषा में लिखी गई कई पुस्तकों का अनुवाद न होती तो आज वह जिस मुकाम पर है इस मुकाम पर पहुंचने में शायद सालों लग जाते । आज अनुवाद की वजह से उनकी प्रादेशिक भाषा की रचनाएं विश्वपटल पर जा पहुंची है । अत: भाषाएं किसी भी प्रकार से दीवार नहीं हो सकती बल्कि विश्वपटल पर कदम रखने की द्वार ही हो सकती हैं ।

हिंदी के संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति जागरुकता - "पूर्वोत्तर में स्थित नराकास समितिओं/कार्यालयों की भूमिका के परिप्रेक्ष में" शीर्षक पर राजभाषा विभाग के सेवा निवृत्त सहायक निदेशक श्री अशोक कुमार मिश्र ने संविधान में राजभाषा प्रयोग संबंधी दिए गए विभिन्न नियम/अधिनियमों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि पूवोत्तर में स्थित सभी नराकास समितिओं को अपने स्तर पर कार्यान्वित करने हेतु प्रयास करना चाहिए । नराकास समितिओं के पास एक उत्कृष्ट माध्यम है - नराकास बैठकें । वर्ष में दो नराकास बैठकों के माध्यम से आपसी विचार-विमर्श के द्वारा सदस्य कार्यालयों के साथ मिलजुल कर राजभाषा प्रयोग को बढ़ावा ला सकते हैं । हिंदी प्रयोग का मूल आधार है प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भाव । नदियां जैसे ऊपर से होकर नीचे की ओर बहती हैं, उसी तरह ये तीन मूलमंत्र भी ऊपर से होकर नीचे तक आना चाहिए । जब किसी कार्यालय का विभागाध्यक्ष हिंदी प्रयोग के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भाव अपनाएंगे तो उस कार्यालय में राजभाषा प्रयोग को जरूर बढ़ावा मिलेगी । संगोष्ठी आयोजन की जरुरत पर ध्यान आकर्षित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि संगोष्ठी का उद्देश्य है जागरुकता पैदा करना । विद्वतगण के विचार मंथन से निचोर कर जो बातें सामने आती हैं यही राजभाषा के प्रति लोगों में जागरुकता लाती हैं ।

सम्प्रति हिंदी अपनी मौलिक रूप में विकसित नहीं हो रही है । केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण का अभाव है । पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों में हिंदी का शोध-पत्र अंग्रेजी में ही देना होता है । इन सभी हालातों से उभरकर आने के लिए हिंदी को और सहज और सरल बनानी होगी । कार्यक्षेत्र में सहज-सरल हिंदी प्रयोग के लिए प्रेरित करनी होगी, तभी हिंदी का विकास होगा और वातावरण उर्वर होगा ।

प्रश्न-उत्तर सत्र में गैर सरकारी कार्यालय 'सेतु' के प्रमुख श्री रामेश्वर शर्मा जी ने प्रश्न उठाया कि कार्यालयों में पूरी तरह से राजभाषा प्रयोग कब होगा । उत्तर देते हुए श्री मिश्र जी ने कहा कि इसका उत्तर पहले ही उनके व्याख्यान में है । तीन मूलमंत्र-प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भाव की आधार पर अगर सभी कार्यालयों के विभागाध्यक्षों द्वारा राजभाषा प्रयोग शुरु किया जाए तो पूरी तरह से सभी कार्यालयों में हिंदी प्रयोग निश्चित हो सकती है । इसके लिए अनुकूल मानसिकता की जरुरत है ।

केनरा बैंक राजभाषा कक्ष अंचल कर्यालय, आई एम ए हाऊस, बी. एन. नगर, हुबली-580029

पिछलें 6 महीनों में केनरा बैंक, अंचल कार्यालय हुबली में चौथी बार हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया । दिनांक 20-05-2013 को केनरा बैंक, अंचल कार्यालय हुबली में उप महाप्रबंधक श्री बी. जयराम रेड्डी की अध्यक्षता में "हिंदी भाषा का बाजारीकरण" विषय पर हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस अवसर पर दूरसंचार विभाग के उप महाप्रबधंक श्री उदय शिवराम हेगड़े मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे । इस बैठक में नराकास, हुबली-धारवाड के राजभाषा अधिकारी श्री एस. आर. जैन भी उपस्थित थे । इस संगोष्ठी मे केनरा बैंक के 5 प्रतिभागी सुश्री अनिता फडण्वीस, सुश्री सुमति मिश्रा, श्री अमित भारतीय, श्री राजीव डी, दीक्षित एवं श्री निर्मल कुमार तथा कॉर्पोरेशन बैंक के एक प्रतिभागी श्री शंशाक कुमार ने उपयुक्त विषय पर अपने प्रर्दशन किए । इस संगोष्ठी का संक्षिप्तीकरण केनरा बैंक के मंडल प्रबंधक श्री एम. एस. घाटगे के द्वारा किया गया । समारोह का शुभारंभ श्रीमति अनिता फडण्वीस के प्रार्थना गीत से हुआ । इसके बाद उप महा प्रबंधक श्री बी. जयराम रेड्डी, मुख्य अतिथि श्री उदय शिवराम हेगड़े एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा संस्थापक श्री अम्मेम्बाल सुब्बराव पै के छायाचित्र पर मालार्पण एवं दीप प्रज्जवलन किया गया । श्री मोहन जी कारंत ने अपने स्वागत

भाषण में कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए केनरा बैंक प्रत्येक तिमाही में हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है सुश्री ललिताम्बा एस. बी. ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया। मुख्य अतिथि श्री उदय शिवराम हेगड़े ने अपने वक्तव्य में कहा "राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने जैसे बड़े देशप्रेम के कार्य के लिए, केनरा बैंक में एक शाम बिताने के लिए मिला अपने अध्यक्षीय भाषण में उप महा प्रबंधक श्री बी. जयराम रेड्डी ने कहा कि केनरा बैंक, अंचल कार्यालय हुबली में हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य बढ़-चढ़ कर हो रहा है। श्री अनिल कुमार केशरी द्वारा कार्यक्रम का मंच संचालन सफलतापूर्क किया गया। अंततः प्रबंधक श्री बी. एस. बिरादर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। ■

॥ राजभाषा : महत्वपूर्ण जानकारी ॥

- विश्व के लगभग 133 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है।

  ऐसे देशों में जहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या अधिक है, जैसे फिजी, गुआना, मारीशस, नेपाल, कम्बोडिया, त्रिनिदाद आदि के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।
- प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, दूसरा मारीशस तथा तीसरा नई दिल्ली में हुआ था।

  पश्चिम देशों में लंदन विश्वविद्यालय का 'स्कूल ऑफ ओरियंटल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज' सबसे प्राचीन संस्था है जिसमें हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है।
- फ्रांस दूसरा बड़ा देश है, जहां हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

  उत्तरी अमेरिका में हिंदी पढ़ाने वाले 114 केन्द्र हैं, जबकि सोवियत रूस में 7 हिंदी शोध संस्थान हैं।
- दक्षिण, भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में 1927 में हुई।
- ब्रिटिश भारत में, 1803 में पहला परिपत्र जारी किया गया ताकि सभी नियमों, विनियमों का हिंदी में अनुवाद किया जाए।
- दक्षिण में हिंदी का आगमन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 के आक्रमण के बाद शुरू हुआ।
- 14वीं सदी में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर, आदिलशाही, कुतबशाही, बरीदशाही आदि राज्यों ने हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया था।
- 'हिन्दुस्तान लैंग्वेज' नामक पहला हिंदी ग्रामर जॉन जोशना केटलर ने 1698 में लिखा।

  'तारिक फरिश्ता' नामक पुस्तक के अनुसार बीजापुर और गोलकुण्डा के बहमनी साम्राज्य की राजभाषा हिंदी थी।
- तंजावुर के राजा श्री शाह ने हिंदी में 'विश्वजीत' और 'आधाविलास' नामक दो नाटक क्रमशः 1674 और 1711 में लिखे।
- देवनागरी टाइप अक्षर सर्वप्रथम 1667 में यूरोप में तैयार किए गए।
- प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वानों– एडबीनग्रीव्स, ग्राडस, ग्रियर्सन, ग्रिफिथ, हार्नले, रोडाल्फ, टेसीदरी, ओल्डाम, पीनकैट इत्यादि ने हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया।
- संयुक्त राष्ट्र में हिंदी स्वीकार करने का प्रस्ताव मारीशस द्वारा रखा गया।
- वर्ष 1909 से मारीशस में "हिन्दुस्तान" नामक तथा फिजी में "फिजी समाचार" नाम से हिंदी साप्ताहिक छप रहे हैं।
- करीब 3000 हिंदी पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं।
- विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है।

प्रतियोगिता/पुरस्कार

उत्तरी-I एवं उत्तरी-II क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2013 को उत्तरी क्षेत्र-1 व उत्तरी क्षेत्र-2 का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सैक्टर-30, चण्डीगढ़ में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री अरुण कुमार जैन, सचिव राजभाषा विभाग ने की। इस अवसर पर उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बैंकों के प्रमुख व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस समारोह में उत्तर क्षेत्र स्थित कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/के कामकाज में राजभाषा कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति के साथ-साथ इसमें नराकासों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया और विशेष प्रस्तुति के आधार पर सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं हिंदी सॉफ्टवेयरों की अद्यतन जानकारी दी गई। समारोह में राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/ उपक्रमों/निगमों/ बैंकों के उन कार्यालय प्रमुखों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए जिन्होंने वर्ष 2011-12 के दौरान हिन्दी में सराहनीय कार्य किए हैं। कार्यालयों की श्रेणी में श्री जसपाल सिंह, मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ़ को प्रथम, उपक्रमों की श्रेणी में भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय को प्रथम, बैंकों की श्रेणी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय व पंजाब नेशनल बैक मंडल कार्यालय को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ख क्षेत्र की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में चंडीगढ की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय) को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

उत्तर-1 क्षेत्र के लिए वर्ष 2011- 12 के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार

क क्षेत्र

कार्यालय

1.	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय नई दिल्ली	प्रथम
2.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय फरीदाबाद	द्वितीय
3.	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), उत्तरी अंचल, फरीदाबाद	तृतीय

उपक्रम

1.	नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. मण्डलीय कार्यालय, पालमपुर	प्रथम
2.	सेल, केन्द्रीय विपणन संगठन उत्तरी क्षेत्र दिल्ली	द्वितीय
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम, दिल्ली मंडल कार्यालय, दिल्ली	तृतीय

बैंक

1.	पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय, उत्तरी दिल्ली	प्रथम
2.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, प्रादेशिक कार्यालय , नई दिल्ली	द्वितीय
3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	तृतीय

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

1.	दिल्ली (बैंक)	प्रथम
2.	पानीपत (का.)	द्वितीय
3.	दिल्ली (उपक्रम)	तृतीय

ख क्षेत्र

कार्यालय

1.	मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय उ.प्र. क्षेत्र चंडीगढ़	प्रथम
2.	कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना	द्वितीय
3.	कार्यालय आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना	तृतीय

उपक्रम

1.	भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय चंडीगढ़	प्रथम
2.	दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना	द्वितीय
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, लुधियाना	तृतीय

बैंक

1.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़	प्रथम
2.	पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय, चंडीगढ़	द्वितीय
3.	पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय, पटियाला	तृतीय

न.रा.का. स.

1.	लुधियाना (का.)	प्रथम
2.	चण्डीगढ़ (का.)	द्वितीय
3.	जालंधर (का.)	तृतीय

ग क्षेत्र

कार्यालय

1.	कार्यालय महानिरीक्षक के.रि.पु.ब., जम्मू सेक्टर बनतालाब, जम्मू	प्रथम
2.	भारतीय समवेत औषध संस्थान जम्मू तवी	द्वितीय
3.	फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, जम्मू	तृतीय

उपक्रम

1.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. जम्मू	प्रथम
2.	भारतीय मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि., जम्मू व कश्मीर परिमंडल जम्मू	द्वितीय
3.	एनएचपीसी लिमिटेड, सलाल पावर स्टेशन, ज्योतिपुरम	तृतीय

बैंक

1.	पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय, जम्मू	प्रथम
2.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा, जम्मू	द्वितीय
3.	भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जम्मू	तृतीय

न.रा.का. स.

1.	जम्मू (का.)	प्रथम

उत्तर-2 क्षेत्र के लिए वर्ष 2011- 12 के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार

क क्षेत्र

कार्यालय

1.	आयुध उपस्कर निर्माणियाँ समूह मुख्यालय, कानपुर	प्रथम
2.	आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर	द्वितीय
3.	ऑप्टो इलैक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी, देहरादून	तृतीय

उपक्रम

1.	भारत जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय मेरठ	प्रथम
2.	एन.टी.पी. सी. लि., नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन, दादरी	दितीय
3.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मथुरा रिफाइनरी मथुरा	तृतीय

बैंक

1.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय, आगरा	प्रथम
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर	द्वितीय
3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर	तृतीय

न.रा.का. स.

1.	लखनऊ (बैंक)	प्रथम
2.	आगरा (कार्यालय)	द्वितीय
3.	कानपुर (बैंक)	तृतीय

गुवाहाटी रिफाइनरी को राजभाषा पुरस्कार सम्मान

वर्ष 2011-12 के लिए राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा बढ़ावा के लिए उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी रिफाइनरी की अध्यक्षता में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), गुवाहाटी को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित कुल 23 नराकास समितियों में से उत्कृष्ट पाया गया और उक्त समिति को भारत सरकार की ओर से "क्षेत्रीय राजभाषा प्रथम पुरस्कार सम्मान" से सम्मानित किया गया तथा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ठ कार्य निष्पादन हेतु पूर्वोत्तर के उपक्रम कार्यालयों में से गुवाहाटी रिफाइनरी कार्यालय को उपक्रम वर्ग में "क्षेत्रीय राजभाषा द्वितीय पुरस्कार सम्मान" से सम्मानित किया गया । उक्त प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार गत 18 अप्रैल, 2013 को आशुतोष

बर्थ सेन्टेनरी हॉल, इंडियन म्यूजियम कैम्पस, कोलकाता में आयोजित "पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह" के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विश्वभारती, शांतिनिकेतन के उपाचार्य श्री सुशांत दत्तगुप्त जी के करकमलों से गुवाहाटी रिफाइनरी के मुख्य प्रबंधक (निगम संचार व सी.एस. आर.) श्रीमती अंजना बरुआ शर्मा को राजभाषा शील्ड सम्मान तथा वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, नराकास (उपक्रम) सुश्री बिनीता ब्रहम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के सचिव श्री अरूण कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के प्रथम सत्र में राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री बी.एन. पाण्डेय ने "पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन" संबंधी अपना गहन विचार प्रकट किए। वही भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के निदेशक (तकनीकी) श्री हरिन्द्र कुमार द्वारा "सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं हिंदी सॉफ्टवेयरों" की अद्यतन जानकारी दी गई । इस सम्मेलन के दौरान भारत सरकार राजभाषा विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई कि मार्च, 2013 से हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑन-लाइन भेजना अनिवार्य होगी। राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के निदेशक (तकनीकी) श्री कुमार द्वारा ऑन-लाइन में तिमाही रिपोर्ट प्रेषण संबंधी जानकारी स्लाईड प्रस्तुतीकरण द्वारा दी गई ।

वही राजभाषा सचिव श्री जैन की उपस्थिति में द्वितीय सत्र में "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन" पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा उपस्थिति सभी प्रतिभागियों द्वारा राजभाषा संबंधी पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया गया ।

उक्त समारोह में पुरस्कार प्राप्त कार्यालयों के अलावा पूर्वोत्तर के विभिन्न केंन्द्रीय कार्यालयों, सरकारी बैंकों व वित्तीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों, हिंदी प्राधिकारियों तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कई विद्वतगण इस सम्मेलन में प्रतिभागिता की । सम्मेलन का समापन क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, पूर्वोत्तर के अनुसंधान अधिकारी श्री बदरी यादव जी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ ।

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, मेरठ को नराकास में तृतीय पुरस्कार

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तृतीय छमाही बैठक दिनांक 16/05/2013 को मेरठ में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री एम.पी. नागपाल, उप महाप्रबंधक, सिंडिकेट बैंक द्वारा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार थे । बैठक में मेरठ क्षेत्र के 15 बैंकों के कार्यालय प्रमुख एवं राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे । नगर में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु सराहनीय एवं अनुकरणीय प्रयास के लिए केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, मेरठ को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नाबार्ड, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर पुरस्कृत

नगर में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य में उत्कृष्ठ योगदान देने हेतु नाबार्ड, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को 'विशेष पुरस्कार' की शील्ड देकर सम्मानित किया गया । नाबार्ड की ओर से यह पुरस्कार श्री आलोक गीताई, सहायक महाप्रबंधक ने प्राप्त किया । इसके अलावा, बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित संयुक्त हिंदी प्रतियोगिताओं में विजेता रहे राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के 07 अधिकारियों को पुरस्कार प्राप्त हुए ।

लेखा कार्यालय, गोला बारूद फैक्टरी, खड़की, पुणे

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे द्वारा दिनांक 10-5-2013 को अयोजित बैठक 2011-12 के दौरान राजभाषा हिंदी के उत्तम कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकारी कार्यालयों एवं उपक्रमों की श्रेणी में अध्यक्ष, न.रा.का.स., पुणे द्वारा वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.), केजीएफ, लेखा कार्यालय, गोला बारूद फैक्टरी

(शेष पृष्ठ 86 पर)

गुवाहाटी रिफाइनरी में पांच दिवसीय अनुवाद कार्यक्रम का सफल समापन

गुवाहाटी रिफाइनरी के प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 8 अप्रैल से 12 अप्रैल, 13 तक नराकास (उपक्रम) सदस्य कार्यालयों के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित 5 कार्य दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अन्य विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से एक यह 5 कार्य दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशक्षिण पाठ्यक्रम है जो देश के विभिन्न कार्यालयों के लिए उनकी मांग पर भी निःशुल्क संचालित किया जाता है । इस पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली तथा कोलकाता कार्यालयों से दो सहायक निदेशक क्रमशः श्रीमती मीना गुप्ता एवं श्री सतीश कुमार पांडे जी पधारे और दोनों अनुभवी संकाय सदस्यों ने अति विदग्धता से अनुवाद संबंधी विभिन्न गूढ़ तत्वों पर व्याख्यान किया ।

गुवाहाटी रिफाइनरी द्वारा आयोजित इस पाठ्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उप महाप्रबंधक (तकनीकी) श्री एन के शर्मा जी ने अपने भाषण में अनुवाद के आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कहा कि कार्यालयों में हिंदी प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी में कार्यदक्षता प्राप्त होना जरूरी हैं और यह जरूरत अनुवाद जैसे पाठ्यक्रमों के द्वारा ही संभव हो सकते हैं । इस मौके पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता कार्यालय से पधारे श्री एस के पांडे जी ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के उद्देश्य, लक्ष्य एवं पाठ्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी ।

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, अमृतसर

आंचलिक राजभाषा अधिकारी श्री सुदीप सैनी ने दिनांक 3-5-2013 को सतलुज मार्केट शाखा में जालंधर के आस-पास के स्थानों से आए शाखा हिंदी प्रतिनिधियों को तथा दिनांक 3-6-2013 को जम्मू एमसीबी शाखा में जम्मू शहर के आस-पास की शाखाओं से आए हिंदी प्रतिनिधियों को यूनिकोड की मदद से हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया । जिसकी मदद से हिंदी टाइपिंग अत्यंत आसान हो जाती है। इस प्रशिक्षण में यूनिकोड सॉफ्टवेयर की जानकारी के साथ-साथ हिंदी टाइप करने के लिए स्वर व व्यंजन को रोमन में लिखकर देवनागरी लिपि में प्रवर्तित कर हिंदी शब्द बनाना, यूनिकोड सॉफ्टवेयर को कम्प्यूटर में इन्स्टाल करने की विधि की भी जानकारी भी दी गई । इसके साथ ही प्रत्येक प्रतिनिधि को प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। सभी शाखाओं में यूनिकोड लगाने के बाद भी इस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि स्टाफ कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने में हिचक रहे हैं। दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन शहरों के आस-पास की 27 शाखाओं से आए हिंदी प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण पाया। विभिन्न शाखाओं से आए इन स्टाफ सदस्यों ने इस प्रशिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया । सभी प्रतिनिधियों ने भविष्य में अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने का आश्वासन दिया। स्टाफ सदस्यों की रूची और हिंदी के प्रचार-प्रसार को ध्यान में रखते हुए आंचलिक कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूनिकोड द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए शेष सभी शाखाओं को 31 अगस्त तक हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण दे दिया जायेगा । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राजभाषा को तीव्र गति मिलती है इस तथ्य को मध्य नज़र रखते हुए बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय ने जो टिप्पणी दी है वह है "यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है तथा आज के परिप्रेक्ष्य के बहुत अनुकूल है इस प्रकार के कार्यक्रमों से राजभाषा कार्यान्वयन को और गति मिलती है" । उक्त कार्यक्रम की सराहना करते हुए बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल बैंकिंग समूह (उत्तर), नई दिल्ली ने अपने अधीन कार्यरत 12 आंचलिक कार्यालयों को भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने के निर्देश जारी किए हैं ।

कार्यायन ज्ञापन

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 2 मई, 2013 का का.ज्ञा.

सं. 11014/11/2013-राभा (प)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु पुरस्कार योजना ।

केंद्र की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से बढ़ाया जाना है । इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं । विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं । इस रीति से राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु एक नई पुरस्कार योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2 योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए आवधिक हिंदी पत्रकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। इन पत्रिकाओं में कार्मिकों के लेख प्रकाशित होते हैं । केंद्र सरकार के कार्मिकों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु पुरस्कार योजना शुरू की जानी प्रस्तावित है ताकि राजभाषा में लेख लिखने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और कार्मिकों को अच्छे लेख पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकें ।

3 पात्रता

(क) केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक।

(ख) उक्त लेख विभागीय अथवा किसी भी पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष में प्रकाशित होने चाहिए ।

(ग) मंत्रालय अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ कार्यालय के कार्मिक द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के लेख वित्तीय वर्ष के आधार पर शामिल कर सकता है।

(घ) हिंदी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।

(ङ) हिंदीतर भाषी लेखक उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में स्थित हो।

4 पुरस्कार

भाग लेने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने प्रस्तावित हैं :–

हिंदी भाषी

प्रथम पुरस्कार - 20,000/-रू.

द्वितीय पुरस्कार - 18,000/-रू.

तृतीय पुरस्कार - 15,000/-रू.

हिंदीतर भाषी

प्रथम पुरस्कार - 25,000/-रू.

द्वितीय पुरस्कार - 22,000/-रू.

तृतीय पुरस्कार - 20,000/-रू.

5 मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर तीन-तीन लेखों का चयन करेगा । इस चयन के लिए हिंदी प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग मंत्रालयों में प्राप्त लेखों को मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवा कर तीन पुरस्कार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए चयन करेगा ।

6 पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी की सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा ।

7 यह योजना वित्त वर्ष 2013-13 के लिए वर्ष 2013-14 में दिए जाने वाले पुरस्कारों से लागू की जाएगी । मंत्रालय/विभाग से अनुरोध है की पैरा 2.6 में दी गई चयन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चयनित लेख 15 जून 2013 तक राजभाषा विभाग को प्रेषित करें ।

8 समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना का अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तथा सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करें ।

अनुलग्नक 'क'

नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	लेख का विषय	संपर्क सूत्र : फोन, मोबाइल, ई मेल आदि

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 28 मार्च, 2013 का का.ज्ञा.

सं. 12015/09/2013-राभा (तक)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को ऑनलाइन प्रेषित करना।

कृपया राजभाषा हिंदी के का.ज्ञा.सं. 11011/9/ 2011-रा.भा./अनुसंधान, दिनांक 14 नवंबर, 2011 तथा का. ज्ञा.सं. 20003/3/2011-रा.भा.(का-2), दिनांक 27 फरवरी, 2012 का अवलोकन करें जिसके द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संशोधित प्रोफार्मा भेजा गया गया था। पिछले कुछ समय से राजभाषा विभाग द्वारा यह महसूस किया जा रहा था कि डाक से भेजी जाने वाली उक्त रिपोर्टें राजभाषा विभाग को समय से न मिलने के कारण इनकी समीक्षा करके राजभाषा हिंदी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित कराना संभव नहीं हो पाता था ।

2. राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम में दिए गए राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निदेशों का सम्यक अनुपालन करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु उक्त तिमाही प्रगति रिपोर्टें/वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें ऑनलाइन मंगवाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा एक वैब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार करवाया गया है । यह राजभाषा विभाग की वैबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर 'सूचना प्रबंधन प्रणाली' लिंक पर उपलब्ध है ।

3. तिमाही प्रगति रिपोर्टें तथा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें ऑनलाइन भेजने के लिए प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, बैंक, उपक्रम एवं उनके अधीन कार्यालय तथा सांविधिक निकायों को दो प्रयोगकर्ता बनाने होंगे, एक राजभाषा अधिकारी/नोडल अधिकारी के लिए तथा दूसरा उस कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष (Administrative Head) के लिए। प्रयोगकर्त्ता बनाने के लिए राजभाषा विभाग की वैब साइट पर सर्व प्रथम अपना ऑनलाइन पंजीकरण (On line Registration) करना होगा । राजभाषा विभाग में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा पंजीकरण के अनुमोदन के बाद ही रिपोर्टें ऑनलाइन भेजी जा सकेंगी । राजभाषा अधिकारी/नोडल अधिकारी अपना लॉग-इन तथा पासवर्ड भरकर अपने कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भरेंगे । कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष (Administrative Head) रिपोर्ट में दी गई सूचना को सत्यापित कर राजभाषा विभाग (मूख्यालय) अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को आगे की कार्रवाई हेतु अग्रेषित करेंगे । सॉफ्टवेयर सिस्टम के प्रयोग संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/ संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली तिमाही रिपोर्टें तत्काल प्रभाव से केवल ऑनलाइन ही भेंजे। वित्तीय वर्ष 2012-13 की पिछली रिपोर्टें अर्थात् जून, सितंबर और दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाली तिमाही की रिपोर्टें भी विधिवत ऑनलाइन भरकर राजभाषा विभाग को भिजवा दें ।

5. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों व बैंकों इत्यादि के लिए उपरोक्त नई सूचना प्रबंधन प्रणाली के प्रयोग के लिए समन्वय का कार्य करेंगे ।

6. रिपोर्टों के ऑनलाइन प्रेषण में कोई कठिनाई होने पर अधोहस्ताक्षरी अथवा वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) श्री केवल कृष्ण से फोन नं. 23438178 पर सम्पर्क कियां जा सकता है ।

भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तकनीकी कक्ष, नई दिल्ली का दिनांक 30 मई, 2013 का का.ज्ञा सं. 12015/13/2013-राभा (प)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों निगमों आदि में केवल द्विभाषी कंप्यूटर सिस्टम का विकास, खरीद व प्रयोग ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबंधों का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टमों में हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा हो । राजभाषा विभाग द्वारा केवल द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) इलैक्ट्रानिक उपकरणों/सॉफ्टवेयरों के ही प्रयोग करने हेतु समय-समय पर निदेश जारी किए गए हैं ।

2. राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि केंद्रीय सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि में जिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, उनमें से कुछ में राजभाषा हिंदी में पूर्णतया काम करने की सुविधा नहीं है ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटर सिस्टमों में हिंदी में काम करने की सुविधा हो ताकि बढ़ते हुए कंप्यूटरीकरण के कारण हिंदी की प्रगति में रूकावट न पहुंचे और जिन कंप्यूटर प्रणालियों में द्विभाषी प्रयोग की सुविधा है उनमें अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग हो । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में खरीदे जाने वाली या विकसित किए जाने वाली कंप्यूटर सिस्टमों में पहले से ही द्विभाषी सुविधा हो । ■

(पृष्ठ 81 का शेष)

खड़की, पुणे-3 को उपविजेता घोषित किया गया एवं शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, 21 केमेक स्ट्रीट, कोलकाता-700016

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय कोलकाता को वर्ष 2011-12 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए ग-क्षेत्र-बैंक वर्ग में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 18 अप्रैल, 2013 को कोलकाता में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (कोलकाता) द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में श्री वी के शुक्ल, महाप्रबंधक ने शील्ड ग्रहण किया । श्रीमती मिनी अगस्टीन, वरिष्ठ प्रबंधक (राभा) को इस अवसर पर प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ ।

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, जीवन भारती लेवल-5, टावर-1, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली

दिनांक 17 मई, 2013 को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिल्ली स्थित समस्त बैंकों के प्रतिभागियों के बीच **'राजभाषा नियम/अधिनियम प्रतियोगिता'** का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में श्री नरेन्द्र मेहरा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया । अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हिंदी में काम करने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को बदलने पर बल दिया। साथ ही साथ भारत सरकार की अपेक्षाओं एवं नवोन्मेषी योजनाओं से अवगत कराते हुए डेस्क से संबंधित काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया । श्री मेहरा ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की तथा कहा कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किये जा रहे ऐसे प्रयास प्रशंसनीय है एवं मूलभूत अपेक्षाओं के अनुपालन में भी बैंक ऑफ इंडिया सतत् अग्रसर है । उक्त कार्यक्रम में संबोधित करते हुए श्री गौरी शंकर, महाप्रबंधक, नेशनल बैंकिंग समूह (उत्तर) ने भी समस्त प्रतिभागियों को शाखा/कार्यालय में हिंदी में अपना कार्य करने हेतु प्रेरित किया तथा हिंदी में कार्य करने के लिए मानसिक स्तर पर अपने आपको तैयार करने पर बल दिया । इस अवसर पर श्री मुरली एम. प्रसाद, आंचलिक प्रबंधक, नई दिल्ली अंचल ने भी अपने संबोधन भाषण में प्रतिभागियों को अपने-अपने डेस्क का अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रेरित किया तथा ऐसी प्रतियोगिताओं के महत्व पर चर्चा करते हुए अपनी सोच में बदलाव द्वारा हिंदी की प्रगति को बढ़ाने पर बल दिया । ■

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती त्रैमासिक पत्रिका में संकलित सभी रचनाएं एवं लेख आदि अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है । संपादक मंडल को हमारी और से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई ।

–बी टी मकवाणी, हिंदी अधिकारी, भारतीय जीव बीमा निगम, राजकोट मंडल कार्यालय, राजकोट

राजभाषा भारती अंक 134 (अप्रैल-जून 2012) पत्रिका का कलेवर उच्चकोटी का है । कार्यालय हिंदी का प्रयोग, तकनीकी, साहित्यक रचना, पत्रकारिता एवं राजभाषा विषयक सामग्रियों का समावेश है, जो जनसंपर्क के लिए अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरक है ।

–डॉ. पुरुषोतम कुमार, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) अमशेदपुर-831007

राजभाषा भारती अंक 134 में उच्च अधिकारियों के रचनाओं के समाहार से पत्रिका काफी ज्ञानवर्धक व उत्कृष्ट को गई है । पत्रिका का मुख पृष्ठ काफी आकर्षक है तथा इसमें प्रकाशित सभी रचनाएं राजभाषा को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। साथ ही साथ राजभाषा भारती, भारत सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों को जोड़ने का माध्यम भी बन रही है ।

–अंचल प्रबंधक, यू को बैंक, राजभाषा विभाग, अंचल कार्यालय, टी एन शर्मा, जोरहाट-785001

राजभाषा भारती अंक 134 पत्रिका में दिए गए लेख अत्यंत ज्ञानवर्धक और उच्चकोटि के लगे । डॉ रामचंद्र राय, डॉ अचलानन्द जखमोला, प्रा. शशि कांत पशीने 'शाकिर' तथा क्षेत्रपाल शर्मा के लेख विशेष उल्लेखनीय तथा लाभप्रद हैं ।

–श्री योगेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, ग्रेफ केंद्र, दीघी कैंप, पुणे-411015

राजभाषा भारती अंक 134 में प्रकाशित डॉ रामचंद राय का लेख 'कामकाजी हिंदी एवं वाक्य संरचना', डॉ अचलानन्द जाखमोला का 'उच्चारण वर्तनी और लिपि के अंतर्संबन्ध', श्री क्षेत्रपाल शर्मा का 'गवई गाव गुलाब' और श्री ललित शर्मा का 'महान समाज सुधारक : संत पीपा जी' ज्ञानवर्धक लेख हैं । मगर सर्वाधिक रोचक और सामयिक लेख है श्री सुरेन्द प्रसाद राय का 'खगोलीय पिंड और हमारा जीवन' जिसके माध्यम से सूर्य ऊर्जा ग्रहण करने के अनेक व्यावहारिक उपाय है ।

–वरिष्ठ सहायक-एस जी (राजभाषा), हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, कछाड पेपर मिल, पंचग्राम, असम

त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' अंक 134 हमेशा की तरह स्तरीय तथा संग्रहणीय है । डा. रामचंद्र राय का लेख 'कामकाजी हिंदी एवं उसकी वाक्य संरचना, विषय से संबंधित उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराती है । अनुवाद कला तथा कवि नागार्जुन पर लिखी रचनाएं भी विशेष रूप से पठनीय है । अन्य कार्यालयों की गतिविधियों को भी पत्रिका में सचित्र प्रकाशित किए जाने से इसका महत्व और बढ़ जाता है ।

–प्राणेश कुमार सिन्हा, उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001

राजभाषा भारती अंक 134, हमेशा की तरह से महत्वपूर्ण जानकारी से भरा है । राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु पत्रिका में सम्मिलित अधिकांश रचनाएं उपयोगी हैं । पत्रिका में डॉ रामचंद्र राय द्वारा रचित लेख 'कामकाजी हिंदी एवं उसका वाक्य सरंचना' एवं क्षेत्रपाल शर्मा द्वारा रचित लेख 'गवई गाँव गुलाब' बहुत अच्छे लगे। हिंदी संवर्ग से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यह पत्रिका बहुत उपयोगी है ।

—गंगा दास बासिया, हिंदी अधिकारी, कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, जी ब्लॉक, के. कामराज मार्ग, नई दिल्ली-110011

'राजभाषा भारती' पत्रिका का आवरण पृष्ठ आकर्षक है । इसमें प्रकाशित लगभग सभी रचनाएं स्तरीय एवं संग्रहणीय हैं । पत्रिका में साहित्य के लगभग सभी सरल विधाओं का समावेश और उसके माध्यम से जनजागृती की परिकल्पना सचमुच प्रशंसनीय है । 'भाषा बांधन : परिसंवाद', 'तकनीकी विषय और राजभाषा-वर्तमान स्थिति', 'मीडिया और आम आदमी के सरोकार' जैसे आलेखों का समावेश पत्रिका को पठनीय बनाने में सार्थक सिद्ध हुए हैं । पत्रिका के सफल संपादन के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई ।

—सुश्री मंजूषा भटनागर, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), मंगलूर रिफाईनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, कुत्तेतूर पोस्ट, वाया काटीपल्ला मंगलूर

राजभाषा भारती अंक 134 पत्रिका में अंकित सभी लेख एवं राजभाषा के प्रसार की गति विधियों को दर्शाना एक सराहनीय कदम है ।

—डा सविता सिंह, कार्यकारी राजभाषा अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान. सेक्टर 67, एस ए एस नगर, (मोहाली), पंजाब-160062

राजभाषा भारती अंक 134 पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं एवं लेख अत्यंत रोचक, पठनीय तथा ज्ञानवर्धक है । विशेष रूप से प्रा शशिकांत पशीने 'शाकिर द्वारा लिखित 'आंशिक पर्यायवाची-सूक्ष्म-आर्तभेदी शब्द एवं श्री क्षेत्रपाल शर्मा द्वारा लिखित लेख 'गवई गांव गुलाब' बहुत ज्ञानवर्धक है ।

—वरिष्ठ लेखा अधिकारी/राजभाषा, प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी)-1, महाराष्ट्र, दूसरी मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यू म्मरीन लाईन्स, 101 महर्षि कर्वे मार्ग, मुम्बई-40020

राजभाषा भारती अंक 134 में प्रकाशित चिंतन, साहित्यकी, स्वास्थ्य आदि से संबंधित प्रत्येक लेख अत्यंत रोशक एवं आकर्षक हैं ।

—सुश्री आर. माहेश्वरी अम्मा, हिंदी अधिकारी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनन्तपुरम-695022

राजभाषा भारती अंक 134 में राजभाषा से संबंधी विविध लेखों का संकलन जानकारीपूर्ण एवं ज्ञानवर्धन करने वाला लगा । राजभाषा की वैविध्यपरक जानकारी के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी लेख भी ज्ञानवृद्धि एवं साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ावा देनेवाले हैं ।

—बी एस नकवाल, राजभाषा अधिकारी, महाप्रबंधक, बीएसएनएल कार्यालय, नाशिक-422002

MGIPRRND—4035 HA/2013—5,000

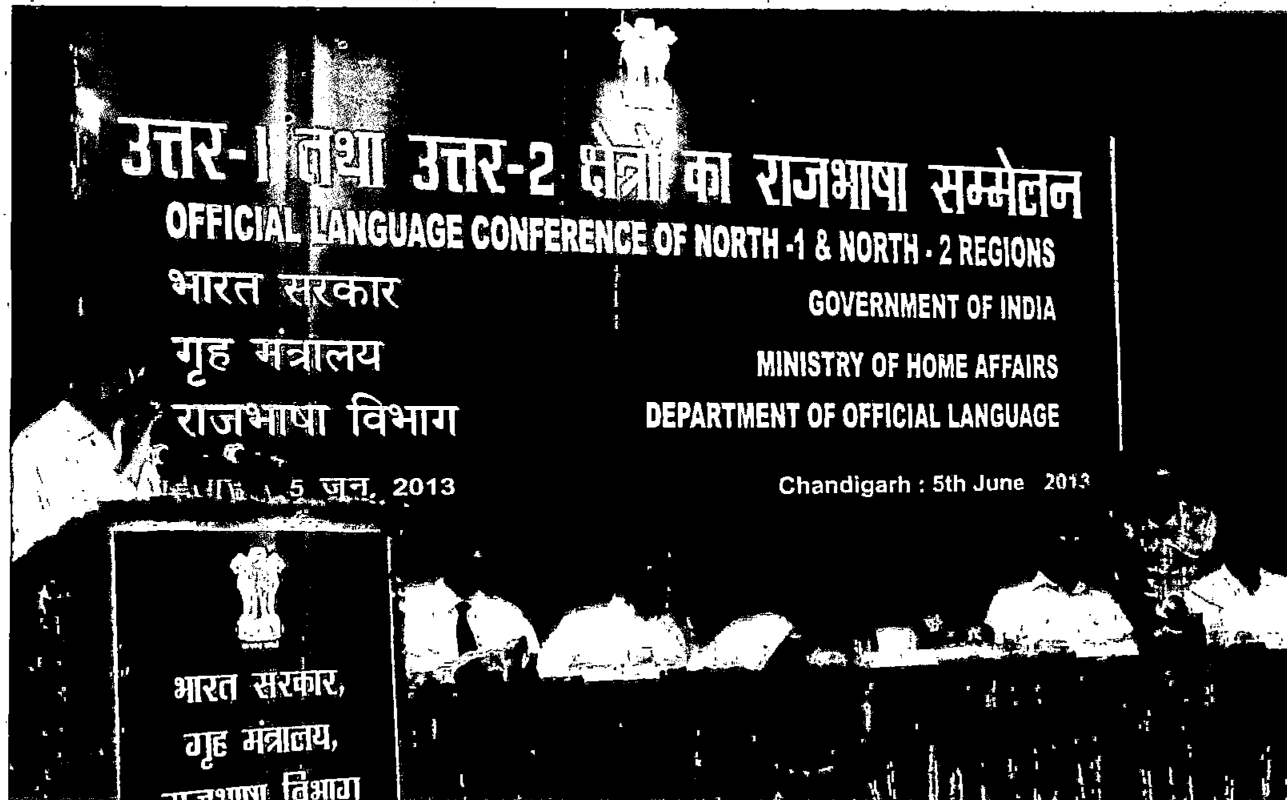

उक्त सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री अरुण कुमार जैन सचिव राजभाषा विभाग भारत सरकार ।

उक्त सम्मेलन में स्वागत भाषण देते हुए श्री डी. के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव ।

पं.सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)

प्रैस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचार-पत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम

'राजभाषा भारती' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1. प्रकाशन स्थान	एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110003
2. प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064
4. क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5. प्रकाशक का नाम व पता	शांति कुमार स्याल, (परामर्श दाता) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II, भवन, चौथा तल बी विंग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-23438137
6. संपादक (पदेन) का नाम व पता	भोपाल सिंह निदेशक (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-II, भवन, चौथा तल बी विंग, नई दिल्ली-110001
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	लागू नहीं

मैं, शांति कुमार स्याल घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह./-
प्रकाशक के हस्ताक्षर

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 के लिए शान्ति कुमार स्याल, (परामर्श दाता द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड. मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।